



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212
दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/ नौ- /भू0सं0 **B 60** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

अनूप जालान

पुत्र/पुत्री स्व0 श्याम बिहारी जालान

22-आवास विकास कालोनी

बेतियाहाता (उत्तरी), अपोजिट गंगोत्री देवी विद्यालय,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **207** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 60** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3143.00	रु0	18.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14192.00	रु0	109.00

योग(अ) रु0	17335.00	रु0	127.00
------------	-----------------	-----	---------------

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2097.00	रु0	15.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00

योग(ब) रु0	5337.00	रु0	47.00
------------	----------------	-----	--------------

महायोग(अ+ब) रु0	22672.00	रु0	174.00
-----------------	-----------------	-----	---------------

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 75** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिनेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री छोटे लाल जायसवाल

पुत्र/पुत्री श्री छोटे लाल जायसवाल

निवासी-ग्राम व पोस्ट-घघसरा,

मंझरिया (घघसरा), सहजनवाँ,

गोरखपुर, उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **117** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 75** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-110.00	रु0	-164.00
योग(अ) रु0				
		-110.00	रु0	-164.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3130.00	रु0	-132.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 41** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुमन श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-जैतपुर,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **391** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 41** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	75.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1374.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0 1449.00 रु0 -11.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	176.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 896.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2345.00 रु0 -4.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 9** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री केशव अग्रवाल पुत्र श्री महाबीर अग्रवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-सीमेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स,

डी0सी0एम0कटरा, गीता प्रेस रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **9** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 9** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2910.00	रु0	-212.00
योग(अ) रु0 2910.00 रु0 -212.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	352.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 6112.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 9022.00 रु0 -154.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 12** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुलोचना वर्मा

पुत्र/पुत्री

निवासी-72, वार्ड नं.-15,

बंजरिया, संतकबीर नगर

उत्तर प्रदेश

आवंटन पत्र सं0 **333** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 12** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3287.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8139.00	रु0	36.00
योग(अ) रु0		11426.00	रु0	41.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1383.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		2463.00	रु0	16.00
महायोग(अ+ब) रु0		13889.00	रु0	57.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 38** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

समोज कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री बच्चा सिंह

निवासी-106, बिलासपुर, बिलासपुर,

शहर/गॉव-बिलासपुर, अंचल-भगवानपुर हाट,

जिला-सिवान।

आवंटन पत्र सं0 **388** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 38** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	824.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3295.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 4119.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	498.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 1218.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5337.00 रु0 7.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 26 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सुनील कुमार यादव

पुत्र/पुत्री श्री राजेन्द्र यादव

निवासी-ग्राम-भप्सा, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर,

यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 26 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 26 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4707.00	रु0	-146.00
योग(अ) रु0		4707.00	रु0	-146.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	569.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6329.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		11036.00	रु0	-88.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 103** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री घनश्याम सिंह

पुत्र/पुत्री श्री रघुवीर सिंह

निवासी-घनश्याम नगर,

पिपरा वार्ड नं.-10, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र सं0 **254** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 103** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	707.00	रु0	30.00
योग(अ) रु0 707.00 रु0 30.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	85.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3325.00 रु0 36.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4032.00 रु0 66.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 39** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अशोक सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-उसरी, पोस्ट-पाली,

थाना-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **177** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 39** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3339.00	रु0	42.00
योग(अ) रु0		-3339.00	रु0	43.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2916.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		2916.00	रु0	37.00
महायोग(अ+ब) रु0		-423.00	रु0	80.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 21 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री जय प्रकाश शर्मा

पुत्र/पुत्री श्री रामनाथ शर्मा

निवासी-केशव सृष्टि ए विंग, फ्लैट नं0-1101,

मुरली मल्ल कम्पाउण्ड, एल0बी0एस0 मार्ग,

भाण्डुप वेस्ट-मुम्बई-400078

आवंटन पत्र सं0 21 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 21 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-51.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0		-51.00	रु0	-17.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5709.00	रु0	41.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 45** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रंजना यादव पत्नी श्री राम करन यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-पिपरा,

वार्ड नं.-11, सहजनवाँ,

गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 **308** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 45** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1918.00	रु0	-32.00
योग(अ) रु0		1918.00	रु0	-32.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	232.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2152.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		4070.00	रु0	-13.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 11** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेश कुमार सिंह पुत्र श्री राजेश्वर सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राजेश्वर सिंह

निवासी-द्वारा आशुतोष कुमार जायसवाल जंगल तिनकोनिया नं-1,

निकट प्रज्ञा गैस गोदाम पादरी बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **361** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 11** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-72.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -72.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 648.00 रु0 7.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 19** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सन्तोष कुमार

पुत्र/पुत्री श्री काशी प्रसाद

निवासी-माया बाजार दक्षिणी,

फाटक,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **369** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 19** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-53.00	रु0	-60.00
योग(अ) रु0 -53.00 रु0 -60.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 667.00 रु0 -53.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 25** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुभाष प्रसाद पुत्र श्री रामजश प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-फायर सर्विस

गोलघर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **345** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 25** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	112.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2057.00	रु0	-12.00
योग(अ) रु0				
		2169.00	रु0	-12.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	263.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1343.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3512.00	रु0	-1.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 75 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती सुशीला देवी

पुत्र/पुत्री

वार्ड संख्या 9, केशोपुर,

पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 75 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 75 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	12595.00	रु0	58.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33527.00	रु0	249.00
योग(अ) रु0		46122.00	रु0	307.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	5579.00	रु0	38.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		11339.00	रु0	96.00
महायोग(अ+ब) रु0		57461.00	रु0	403.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 69 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री रामनारायण यादव

पुत्र/पुत्री श्री इन्द्रदेव यादव

निवासी-ग्राम-भिटिनी, पोस्ट-चड़राव (सहजनवों)

थाना-सहजनवों,

जनपद-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 69 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 69 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-22.00	रु0	-95.00
योग(अ) रु0		-22.00	रु0	-95.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5738.00	रु0	-37.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 30** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ब्रजपाल पुत्र स्व0 ख्याली राम

पुत्र/पुत्री

निवासी-206-सिधारीपुर

(मैरेज हाउस)

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **350** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 30** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4702.00** रु0 **103.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **8139.00** रु0 **125.00**

योग(अ) रु0 12841.00 रु0 228.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1553.00** रु0 **28.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2633.00 रु0 39.00

महायोग(अ+ब) रु0 15474.00 रु0 267.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 26** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री राम कवल गुप्ता

निवासी-ग्राम-सूरदहॉ,

पोस्ट-बड़हलगंज, तहसील-गोला बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **346** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 26** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-408.00	रु0	-50.00
योग(अ) रु0				
		-408.00	रु0	-50.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		672.00	रु0	-39.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 78** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती नूजहत प्रवीन

पुत्र/पुत्री

निवासी-भीटी रावत

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **212** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 78** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-325.00	रु0	-107.00
योग(अ) रु0 -325.00 रु0 -107.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2915.00 रु0 -75.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 113** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सालिक प्रसाद सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-मुख्य आरक्षी रविन्द्र सिंह

थाना-कोत0 देहात गोण्डा,

जिला-गोण्डा।

आवंटन पत्र सं0 **223** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 113** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-262.00	रु0	2.00
योग(अ) रु0 -262.00 रु0 2.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2978.00 रु0 34.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 22 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री किशन चन्द पुत्र स्व0 बजरंगी लाल

पुत्र/पुत्री स्व0 बजरंगी लाल

निवासी-मोहल्ला-शेषपुर

पोस्ट-गीता प्रेस, थाना-राजघाट

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 22 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 22 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	101.00	रु0	-417.00
योग(अ) रु0		101.00	रु0	-417.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	6.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5766.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5867.00	रु0	-359.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 42 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री शरद चन्द अग्रहरि पुत्र श्री बजरंगी लाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-शेषपुर,

पोस्ट-गीताप्रेस, थाना-राजघाट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 42 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 42 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5485.00	रु0	-158.00
योग(अ) रु0		5485.00	रु0	-158.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	70.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5830.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		11315.00	रु0	-100.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 28 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजेश पुत्र श्री राम दुलारे यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कालेसर,

पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 292 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 28 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	548.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5092.00	रु0	56.00
योग(अ) रु0		5640.00	रु0	62.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	683.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2603.00	रु0	27.00
महायोग(अ+ब) रु0		8243.00	रु0	89.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 59 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री हरिश्चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री श्रीनाथ पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

निवासी-14-पावर हाउस कालोनी,

मोहददीपुर, पोस्ट-कूडाघाट,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 59 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 59 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 61** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुधीर कुमार अकेला

पुत्र/पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

श्री सुधीर कुमार अकेला पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं

श्रीमती रिकू देवी पत्नी श्री सुधीर कुमार अकेला, निवासी-सहजनवाँ

सेक्टर-23, गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **412** दिनांक **24/12/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 61** से0 **23** क्षे. **62.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	4396.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8656.00	रु0	87.00
योग(अ) रु0		13052.00	रु0	127.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1579.00	रु0	15.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1240.00	रु0	12.00
योग(ब) रु0		2819.00	रु0	27.00
महायोग(अ+ब) रु0		15871.00	रु0	154.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **124.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 55** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री श्रवण कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम समुझ सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-रहीमाबाद उर्फ सरैया,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **317** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 55** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	195.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3616.00	रु0	16.00
योग(अ) रु0		3811.00	रु0	16.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	461.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2381.00	रु0	21.00
महायोग(अ+ब) रु0		6192.00	रु0	37.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 22 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती पुष्पा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-655/19, शांति कुंज, उमाशंकर मन्दिर के पास,

फरीदाबाद, सेक्टर-22,

फरीदाबाद, हरियाणा-121005

आवंटन पत्र सं0 286 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 22 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	46.00	रु0	-163.00
योग(अ) रु0		46.00	रु0	-163.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0	4.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0 19.00
योग(ब) रु0		1924.00	रु0 19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1970.00	रु0 -144.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 90** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री केशव प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग

विभाग, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **90** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 90** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1088.00	रु0	-3.00
योग(अ) रु0 -1088.00 रु0 -3.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4672.00 रु0 55.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 84** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र स्व0 अभिनन्दन सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 अभिनन्दन सिंह

निवासी-ग्राम-खैराट,

पोस्ट-बन्जरिया बाजार,

जिला-देवरिया-274408

आवंटन पत्र सं0 **84** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 84** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **25432.00** रु0 **549.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **43634.00** रु0 **663.00**

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **8355.00** रु0 **146.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5760.00** रु0 **58.00**

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 31 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती विमला सिंह पत्नी श्री परमात्मा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-जिगिना

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 295 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 31 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	6693.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13312.00	रु0	-275.00
योग(अ) रु0		20005.00	रु0	-275.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2420.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4340.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		24345.00	रु0	-256.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 74** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रीता जायसवाल पत्नी श्री प्रमोद कुमार जायसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-माट, पोस्ट-चड़रांव,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **74** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 74** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5388.00	रु0	73.00
योग(अ) रु0		5388.00	रु0	75.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	652.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6412.00	रु0	67.00
महायोग(अ+ब) रु0		11800.00	रु0	142.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 86** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बालकेश सिंह पुत्र श्री रामनिवास

पुत्र/पुत्री श्री रामनिवास

निवासी-ग्राम-धनखिरिया तेतरिया

पोस्ट-घेंचुआ (बखिरा खास)

जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **97** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 86** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	238.00	रु0	68.00
योग(अ) रु0 238.00 रु0 72.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	24.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3264.00 रु0 41.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3502.00 रु0 113.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 39** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री उमेश कुमार छापडिया पुत्र श्री राम गोपाल छापडिया,

पुत्र/पुत्री

निवासी-मैसर्स सर्वोत्तम फीड्स प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0,

गौरी कटरा, गीता प्रेस रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **39** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 39** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1651.00	रु0	-304.00
योग(अ) रु0 -1651.00 रु0 -304.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4109.00 रु0 -246.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 24** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती विद्या गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोतीनगर,

खलीलाबाद

जनपद-संतकबीर नगर (यू0पी0)

आवंटन पत्र सं0 **168** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 24** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	6.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3519.00	रु0	-616.00
योग(अ) रु0	रु0	3525.00	रु0	-616.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0	रु0	3666.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	7191.00	रु0	-584.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 186** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राकेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री हरिशंकर प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-घघसरा,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **131** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 186** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1682.00	रु0	-51.00
योग(अ) रु0 -1682.00 रु0 -51.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1558.00 रु0 -19.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 21** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

पवन कुमार वर्मा एवं श्री विनय कुमार वर्मा

पुत्र/पुत्री श्री बजरंगी प्रसाद वर्मा

निवासी-ग्राम-केशोपुर, वार्ड नं.-8/16,

सहजनवाँ, गोरखपुर,

उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **230** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 21** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2466.00	रु0	28.00
योग(अ) रु0		2466.00	रु0	28.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	299.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3539.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		6005.00	रु0	64.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 10 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राम प्रीत यादव पुत्र स्व0 नरायन यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-भरसाड,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 274 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 10 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	215.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3793.00	रु0	17.00
योग(अ) रु0		4008.00	रु0	17.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0	485.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0 19.00
योग(ब) रु0		2405.00	रु0 21.00
महायोग(अ+ब) रु0		6413.00	रु0 38.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 21 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री भृगुनाथ सिंह यादव पुत्र स्व0 गनपत यादव

पुत्र/पुत्री स्व0 गनपत यादव

निवासी-बिछिया जंगल तुलसीराम,

आजाद नगर,

गोरखपुर-273014

आवंटन पत्र सं0 285 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 21 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	199.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3648.00	रु0	-223.00
योग(अ) रु0		3847.00	रु0	-223.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	465.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2385.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		6232.00	रु0	-204.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 27 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री गंगा प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री राजबली प्रसाद

निवासी-ग्राम-डुमरी,

पोस्ट-डुमरी निवास,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 291 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 27 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	8364.00	रु0	177.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14475.00	रु0	216.00
योग(अ) रु0		22839.00	रु0	393.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2762.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4682.00	रु0	66.00
महायोग(अ+ब) रु0		27521.00	रु0	459.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 4** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती प्रीती राय पत्नी श्री संजय सिंह

पुत्र/पुत्री श्री लल्लन सिंह

निवासी-ग्राम-सिरसिया,

पोस्ट-चिउटहा, थाना-पिपराईच,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **354** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 4** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3134.00	रु0	19.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5426.00	रु0	46.00
योग(अ) रु0		8560.00	रु0	65.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1035.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1755.00	रु0	15.00
महायोग(अ+ब) रु0		10315.00	रु0	80.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 48** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

डा0 शिव औम्भू पुत्र श्री नरसिंह प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री नरसिंह प्रसाद

निवासी-मोहल्ला-केशोपुर वार्ड नं0-9,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **136** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 48** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1406.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10927.00	रु0	-79.00
योग(अ) रु0		12333.00	रु0	-79.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1492.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		5092.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		17425.00	रु0	-43.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 125** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री इन्द्र देव सिंह पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-हरदी, पोस्ट-हरपुर गुदहट,

तहसील व थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **192** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 125** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	11732.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22800.00	रु0	-125.00
योग(अ) रु0		34532.00	रु0	-125.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4177.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		7417.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		41949.00	रु0	-93.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 139** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कंचन सिंह पत्नी श्री भैयाराम सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-देईपार,

पोस्ट-पिपरौली बाजार,

जनपद-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **172** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 139** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **2909.00** रु0 **304.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **13478.00** रु0 **365.00**

योग(अ) रु0 16387.00 रु0 669.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1983.00** रु0 **81.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 5223.00 रु0 113.00

महायोग(अ+ब) रु0 21610.00 रु0 782.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 17** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ध्रुवनारायण सिंह

पुत्र/पुत्री श्री शिवकरन सिंह

निवासी-ग्राम-धनखिरिया, पोस्ट-घेंचुआ,

बखिरा उर्फ बागनगर,

जनपद-संतकबीर नगर

आवंटन पत्र सं0 **337** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 17** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	951.00	रु0	-571.00
योग(अ) रु0 951.00 रु0 -571.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	115.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1195.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2146.00 रु0 -560.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 20** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रेनू सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-455, गहमर कुँज,

कंचनपुर मटियारी,

लखनऊ, उ0 प्र0 226028

आवंटन पत्र सं0 **340** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 20** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1136.00	रु0	6.00
योग(अ) रु0				
		1139.00	रु0	6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	138.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1218.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2357.00	रु0	17.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 112** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मनीषा नाथानी पत्नी श्री संजीव कुमार नाथानी

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड संख्या-9, गाँधी नगर,

सेवरही,

जिला-कुशीनगर।

आवंटन पत्र सं0 **164** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 112** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	334.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6148.00	रु0	78.00
योग(अ) रु0		6482.00	रु0	86.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	784.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4024.00	रु0	43.00
महायोग(अ+ब) रु0		10506.00	रु0	129.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 187** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बरसैनी,

पोस्ट-हेमधापुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **259** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 187** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2290.00	रु0	-70.00
योग(अ) रु0 -2290.00 रु0 -70.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 950.00 रु0 -38.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 8** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्देश्वर सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा श्री राजन सिंह,

गौतमनगर, कालेपुर (कबाडी मार्केट)

आवंटन पत्र सं0 **8** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 8** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	549.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2373.00	रु0	663.00
योग(अ) रु0		2373.00	रु0	1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2.00	रु0	146.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5762.00	रु0	204.00
महायोग(अ+ब) रु0		8135.00	रु0	1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 30** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती पूनम जैसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-कालीमंदिर के पास,

केशोपुर, वार्ड नं. 8, सहजनवाँ,

गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र सं0 **184** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 30** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	80.00	रु0	-428.00
योग(अ) रु0				
		80.00	रु0	-428.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	7.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3247.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3327.00	रु0	-396.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 73** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जगदम्बा यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-टड़वांमाफी,

पोस्ट-भड़सार, थाना-गीडा, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **195** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 73** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	7031.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18792.00	रु0	64.00
योग(अ) रु0		25823.00	रु0	68.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3124.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		6364.00	रु0	40.00
महायोग(अ+ब) रु0		32187.00	रु0	108.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 25 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी

पुत्र/पुत्री श्री छैल बिहारी गुप्ता

निवासी-मनोज मेडिकल हाल,

अलहदादपुर,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 25 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 25 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	4626.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23040.00	रु0	232.00
योग(अ) रु0		27666.00	रु0	279.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3347.00	रु0	34.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9107.00	रु0	92.00
महायोग(अ+ब) रु0		36773.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 5** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी संध्या पुत्री श्री सुरेश चौधरी

पुत्र/पुत्री श्री सुरेश चौधरी

निवासी-भरपुरवा, भीटी रावत,

जिला-गोरखपुर,

उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **355** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 5** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-53.00	रु0	-31.00
योग(अ) रु0 -53.00 रु0 -31.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 667.00 रु0 -24.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 37** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राकेश कुमार गौतम पुत्र श्री मुसाफिर राम गौतम

पुत्र/पुत्री श्री मुसाफिर राम गौतम

निवासी-22 बी, सुड़िया कुआँ

बशारतपुर,

गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र सं0 **387** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 37** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1499.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4109.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0 5608.00 रु0 -11.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	679.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 1399.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 7007.00 रु0 -4.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 94** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दीन दयाल अग्रवाल पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद अग्रवाल

पुत्र/पुत्री स्व0 महाबीर प्रसाद अग्रवाल

निवासी-नियर मार्केट, केशोपुर वार्ड नं.-09

सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर

यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 **194** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 94** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5723.00	रु0	-3193.00
योग(अ) रु0		5732.00	रु0	-3193.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	694.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3934.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		9666.00	रु0	-3161.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 150** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विजय कुमार जायसवाल पुत्र श्री सीताराम जायसवाल

पुत्र/पुत्री श्री सीताराम जायसवाल

निवासी-बेवरी चौराहा,

पोस्ट-गोला बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **256** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 150** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -324.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2916.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 154** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सत्येन्द्र कुमार एवं राम अशीष सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 रंगलाल

निवासी-ग्राम-तितनपार,

पोस्ट-भीटीरावत

तहसील-सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **215** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 154** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1317.00	रु0	-83.00
योग(अ) रु0 -1317.00 रु0 -83.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1923.00 रु0 -51.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 6 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री हीरा प्रसाद मिश्र पुत्र स्व0 इन्द्रासन मिश्र

पुत्र/पुत्री स्व0 इन्द्रासन मिश्र

निवासी-ग्राम-दिया बाती,

पोस्ट-करमा कला,

जिला-संत कबीर नगर,

आवंटन पत्र सं0 6 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 6 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	503.00	रु0	-42.00
योग(अ) रु0		503.00	रु0	-42.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	47.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5807.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		6310.00	रु0	16.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 158** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अर्चना

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड नं.-10, आन्ध्रा बैंक के बगल में,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **233** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 158** से0 **23** क्षे. **263.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4734.00	रु0	32.00
योग(अ) रु0		4734.00	रु0	32.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	573.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5260.00	रु0	53.00
योग(ब) रु0		5833.00	रु0	57.00
महायोग(अ+ब) रु0		10567.00	रु0	89.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **526.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 101** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विवेक सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम जी सिंह

निवासी-55, स्वप्न लोक कालोनी,

कामता,

लखनऊ 227105

आवंटन पत्र सं0 **123** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 101** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-178.00	रु0	-93.00
योग(अ) रु0 -178.00 रु0 -93.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3062.00 रु0 -61.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 81** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती प्रीती मिश्रा पत्नी श्री अनिल कुमार मिश्रा

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री अनिल कुमार मिश्रा,

निदेशक/टेलीकाम, फ्लैट संख्या-बी-2/2 आर0डी0एस0ओ0 का

मानक नगर, लखनऊ।

आवंटन पत्र सं0 **213** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 81** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2402.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12490.00	रु0	3.00
योग(अ) रु0 14892.00 रु0 3.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1801.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 5041.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 19933.00 रु0 35.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 35 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती विमलेश यादव

पुत्र/पुत्री श्री रामयश यादव

निवासी-मुहल्ला-उत्तरी हुमायूपुर

(यादव टोला), गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 298 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 35 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	219.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3826.00	रु0	38.00
योग(अ) रु0		4045.00	रु0	40.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	490.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2410.00	रु0	24.00
महायोग(अ+ब) रु0		6455.00	रु0	64.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 129** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री नरेन्द्र यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-386 टी0,

रुस्तमपुर, तहसील-गोरखपुर सदर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **120** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 129** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1839.00	रु0	39.00
योग(अ) रु0 -1839.00 रु0 40.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 37.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1401.00 रु0 77.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 88** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कमलावती देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या 358सी, महादेव झारखण्डी टुकडा नं0-3,

थाना-शाहपुर, तहसील-सदर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **244** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 88** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2888.00	रु0	11.00
योग(अ) रु0		2888.00	रु0	11.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	350.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3590.00	रु0	34.00
महायोग(अ+ब) रु0		6478.00	रु0	45.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 15** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सेराज अहमद पुत्र श्री शरीफ अहमद

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या 10, सन्त हुसैन नगर कालोनी,

शिवपुर सहबाजगंज,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **183** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 15** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1285.00	रु0	83.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9884.00	रु0	205.00
योग(अ) रु0		11169.00	रु0	288.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1351.00	रु0	34.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4591.00	रु0	66.00
महायोग(अ+ब) रु0		15760.00	रु0	354.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 5** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री भृगुनाथ प्रसाद गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री भृगुनाथ प्रसाद गुप्ता

निवासी-ग्राम-अहिरौली (हरदिया),

पोस्ट-पिछौरा, थाना-बेलीपार,

जिला-गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **5** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 5** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	25432.00	रु0	549.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43634.00	रु0	663.00
योग(अ) रु0		69066.00	रु0	1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	8355.00	रु0	146.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		14115.00	रु0	204.00
महायोग(अ+ब) रु0		83181.00	रु0	1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 55** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संतोषी पत्नी श्री महेन्द्र

पुत्र/पुत्री

निवासी-लटकना सोनसरसा

बाबू खजनी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **405** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 55** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	664.00	रु0	-27.00
योग(अ) रु0	रु0	664.00	रु0	-27.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	80.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0	रु0	800.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	1464.00	रु0	-20.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 66 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती विभा रानी वर्मा पत्नी श्री प्रेम शंकर

पुत्र/पुत्री श्री कुँवर प्रसाद वर्मा

निवासी-ग्राम-कोटिया,

पोस्ट-कुरेम,

जिला-गलिया-221712

आवंटन पत्र सं0 448 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 66 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1756.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7847.00	रु0	-232.00
योग(अ) रु0		9603.00	रु0	-232.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0	1162.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0 19.00
योग(ब) रु0		3082.00	रु0 19.00
महायोग(अ+ब) रु0		12685.00	रु0 -213.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 74** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती बन्दना गिरि पत्नी श्री उग्रसेन गिरि

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मकरहट,

पोस्ट-पाली, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **494** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 74** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4227.00** रु0 **89.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7822.00** रु0 **117.00**

योग(अ) रु0 12049.00 रु0 206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1457.00** रु0 **25.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2537.00 रु0 36.00

महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 242.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 52** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गौरा देवी पत्नी स्व0 रत्नसेन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-डुमरी निवास,

सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **474** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 52** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	119.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2116.00	रु0	7.00
योग(अ) रु0				
		2235.00	रु0	7.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	270.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1350.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3585.00	रु0	18.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 60 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सुशीला गौड पत्नी श्री अनूप कुमार गौड,

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कुचडेहरी,

पोस्ट एवं थाना-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 444 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 60 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	211.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3757.00	रु0	-275.00
योग(अ) रु0		3968.00	रु0	-275.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	480.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2400.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		6368.00	रु0	-256.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 75** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुनील साहू पुत्र श्री रामबूझ साहू

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-छपरा मगरवी,

थाना व तहसील-घनघटा,

जिला-संत कबीर नगर-272162

आवंटन पत्र सं0 **519** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 75** से0 **23** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	403.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3002.00	रु0	-681.00
योग(अ) रु0 3405.00 रु0 -681.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	412.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	960.00	रु0	10.00
योग(ब) रु0 1372.00 रु0 10.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4777.00 रु0 -671.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 96.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 102 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती ललिता देवी अग्रहरी पत्नी श्री रमेश चन्द्र अग्रहरी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मुहल्ला-शेषपुर,

निकट शिव मन्दिर, गीता प्रेस,

गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र सं0 415 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 102 से0 23 क्षे. 324.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25364.00 रु0 519.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 46932.00 रु0 689.00

योग(अ) रु0 72296.00 रु0 1208.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8746.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 6480.00 रु0 65.00

योग(ब) रु0 15226.00 रु0 211.00

महायोग(अ+ब) रु0 87522.00 रु0 1419.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 648.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 75** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मीरा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-94, सिधारीपुर,

वार्ड नं.-35,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **495** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 75** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-119.00	रु0	-3908.00
योग(अ) रु0		-119.00	रु0	-3908.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		961.00	रु0	-3897.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 176** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अंगद कुमार

पुत्र/पुत्री स्व0 काशीनाथ

निवासी-ग्राम व पोस्ट-भगवानपुर (भेलन्दरी)

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **431** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 176** से0 **23** क्षे. **238.35** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-575.00	रु0	-71.00
योग(अ) रु0 -575.00 रु0 -71.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4767.00	रु0	48.00
योग(ब) रु0 4767.00 रु0 48.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4192.00 रु0 -23.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 63 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती विद्यावती सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशवाखोर

पोस्ट-रन्दौली उर्फ मठिया,

थाना-सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 445 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 63 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1920.00	रु0	19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 80** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती प्रभावती सिंह पत्नी श्री आसबरन सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम सहोदर मल्ल

निवासी-मल्लाह टोला, जंगल तुलसीराम पूर्वी, बिछिया,

पी0ए0सी0 कैम्प

गोरखपुर-273014

आवंटन पत्र सं0 **500** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 80** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4227.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7822.00** रु0 **-383.00**

योग(अ) रु0 12049.00 रु0 -383.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1457.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2537.00 रु0 11.00

महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 -372.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 42** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री कमल भास्कर पुत्र श्री रुप नारायण

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-उज्जीखोर,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **466** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 42** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	846.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4268.00	रु0	-39.00
योग(अ) रु0 5114.00 रु0 -39.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	619.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1699.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6813.00 रु0 -28.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 65** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री बासदेव एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती सुषमा पुत्री श्री हरिशंकर प्रसाद

निवासी-ग्राम-प्यासी, पोस्ट-कुई बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **485** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 65** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4227.00** रु0 **89.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7822.00** रु0 **117.00**

योग(अ) रु0 12049.00 रु0 206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1457.00** रु0 **25.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2537.00 रु0 36.00

महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 242.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 50** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती निर्मला देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-15, काजीपुर,

मगहर, वार्ड नं.-5,

संतकबीर नगर, यू0पी0-272173

आवंटन पत्र सं0 **472** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 50** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	90.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0 90.00 रु0 -2.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	8.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1088.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1178.00 रु0 9.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 41** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री कृष्ण मोहन राय पुत्र श्री अनिरुद्ध प्रसाद राय

पुत्र/पुत्री श्री अनिरुद्ध प्रसाद राय

निवासी-ग्राम-सखीनी,

पोस्ट-कोटवा मिश्र,

जिला-देवरिया-274404

आवंटन पत्र सं0 **465** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 41** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	854.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4290.00	रु0	-70.00
योग(अ) रु0				
		5144.00	रु0	-70.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	622.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1702.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		6846.00	रु0	-59.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 34** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती किरन देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-बिजौवा,

रिठुआखोर,

सहजनवाँ, गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र सं0 **458** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 34** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	852.00	रु0	-249.00
योग(अ) रु0		852.00	रु0	-249.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	104.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1184.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		2036.00	रु0	-238.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 181** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री कमलेश कुमार रसाल पुत्र श्री रामलाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-पुलिस लाईन,

धनबाद,

झारखण्ड-826001

आवंटन पत्र सं0 **436** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 181** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	521.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7521.00	रु0	-1.00
योग(अ) रु0 8042.00 रु0 -1.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	973.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4213.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 12255.00 रु0 31.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 38** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राणा प्रताप पुत्र श्री राम चन्द्र

पुत्र/पुत्री श्री राम चन्द्र

निवासी-मकान सं0 49, ग्राम-नरईचपार,

पोस्ट-नेवास, थाना-ऊरुवा, तहसील-खजनी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **462** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 38** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-264.00	रु0	-52.00
योग(अ) रु0				
		-264.00	रु0	-52.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		816.00	रु0	-41.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 66** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी शुभम यादव पुत्री श्री विरेन्द्र प्रताप यादव

पुत्र/पुत्री श्री विरेन्द्र प्रताप यादव

निवासी-वार्ड नं0-10,

धनश्याम नगर पिपरा, पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **510** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 66** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	838.00	रु0	-10.00
योग(अ) रु0				
		841.00	रु0	-10.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	102.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		822.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1663.00	रु0	-3.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 72** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सतीश कुमार प्रजापति पुत्र श्री कल्पनाथ प्रजापति

पुत्र/पुत्री श्री कल्पनाथ प्रजापति

निवासी-ग्राम-भैसहा बाढ़न,

पोस्ट-भैसहा (सरदारनगर)

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **516** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 72** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	137.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1646.00	रु0	-92.00
योग(अ) रु0				
		1783.00	रु0	-92.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	216.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		936.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2719.00	रु0	-85.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 84** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गिरधर सिंह पुत्र स्व0 देवनारायन सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 देवनारायन सिंह

निवासी-ग्राम-मुजौली,

पोस्ट-चड़राव,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **522** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 84** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **573.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **2869.00** रु0 **-1595.00**

योग(अ) रु0 3442.00 रु0 -1595.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **416.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **720.00** रु0 **7.00**

योग(ब) रु0 1136.00 रु0 7.00

महायोग(अ+ब) रु0 4578.00 रु0 -1588.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 54** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी श्री शिव प्रसाद गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 मोहन लाल

निवासी-द्वारा श्री शिव प्रसाद गुप्ता

रेलवे लाईन के पास, मो0-अधियारी बाग उत्तरी,

पोस्ट-गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र सं0 **476** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 54** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0				
		-108.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		972.00	रु0	11.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 51** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अवनिन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 राम विष्णु जायसवाल

पुत्र/पुत्री स्व0 राम विष्णु जायसवाल

निवासी-बंजरिया पश्चिम,

निकट पोस्ट आफिस, खलीलाबाद,

संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **473** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 51** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	319.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2904.00	रु0	11.00
योग(अ) रु0				
		3223.00	रु0	11.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	390.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1470.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		4693.00	रु0	24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 92** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

मैसर्स इंडियन आटो व्हील्स (पार्टनरशिप फर्म)

पुत्र/पुत्री

मैसर्स इंडियन आटो व्हील्स (पार्टनरशिप फर्म)

द्वारा श्री मोहम्मद आयान पुत्र श्री दिलशाद अहमद,

निवासी-36, हरिओम नगर, सिविल लाईन्स

आवंटन पत्र सं0 **417** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 92** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-622.00	रु0	-333.00
योग(अ) रु0 -622.00 रु0 -333.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5138.00 रु0 -275.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 82** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं कन्हैया लाल गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री हरि प्रसाद गुप्ता

निवासी-ग्राम-टेगरिहा राजा,

पोस्ट-कुन्दरहा, थाना-लालगंज,

जिला-बस्ती।

आवंटन पत्र सं0 **520** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 82** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1260.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3851.00	रु0	30.00
योग(अ) रु0		5111.00	रु0	36.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	618.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1338.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		6449.00	रु0	47.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 171** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मुन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री राम किशोर एवं
पुत्र/पुत्री श्री रामकिशोर
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री मुन्द्रिका प्रसाद
निवासी-सहायक अध्यापक, मुरारी इण्टर कालेज,
सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **187** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **B 171** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद्
में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	568.00	रु0	-207.00
योग(अ) रु0 568.00 रु0 -207.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	32.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0 3632.00 रु0 36.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4200.00 रु0 -171.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष
धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का
कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव
शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया
धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने
का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय
होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत
भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 9** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती नीतू पत्नी श्री अविनाश कुमार यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-उज्जीखोर

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **359** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 9** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-870.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0				
		-870.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	648.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		648.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		-222.00	रु0	7.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 85** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री शिवाकान्त दूबे

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बनकटी,

पोस्ट-अहिरौली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **463** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 85** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	336.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3856.00	रु0	-25.00
योग(अ) रु0 4192.00 रु0 -25.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	507.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1587.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5779.00 रु0 -14.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 58** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुनीता पत्नी श्री परमात्मा यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-31,

ग्राम-बेलवाडी, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **442** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 58** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	212.00	रु0	-215.00
योग(अ) रु0 212.00 रु0 -215.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	14.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 1934.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2146.00 रु0 -196.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 45** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेन्द्र कुमार ओझा पुत्र स्व0 चन्द्र शेखर ओझा,

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा अजय शेखर ओझा,

एच0आई0जी0-41, सिद्धार्थ इन्क्लेव, तारामंडल,

गोरखपुर-273017

आवंटन पत्र सं0 **467** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 45** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	112.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2052.00	रु0	-110.00
योग(अ) रु0				
	रु0	2164.00	रु0	-110.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	261.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
	रु0	1341.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
	रु0	3505.00	रु0	-99.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 57** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

राजेश सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम आशीष सिंह

निवासी-ग्राम-बेलवा बुजुर्ग, पोस्ट-बरसैना,

तहसील-हाटा,

जिला-कूशीनगर-274207

आवंटन पत्र सं0 **441** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 57** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1304.00	रु0	-629.00
योग(अ) रु0 -1304.00 रु0 -629.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 1920.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 616.00 रु0 -610.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 100 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रामदास चौरसिया एवं

पुत्र/पुत्री श्री रामदास

श्रीमती अनुराधा चौरसिया पत्नी श्री ओम प्रकाश चौरसिया,

निवासी-प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मकैनिकल इंजीनियर, एन0आई

पटना विश्वविद्यालय-800005

आवंटन पत्र सं0 425 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 100 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5237.00	रु0	-35.00
योग(अ) रु0		5237.00	रु0	-35.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	634.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6394.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		11631.00	रु0	23.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 8** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती जनक नंदनी

पुत्र/पुत्री श्री अछैवर नाथ पाण्डेय

निवासी-केशोपुर वार्ड नं.-9,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **329** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 8** से0 **23** क्षे. **69.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-151.00	रु0	-100.00
योग(अ) रु0		-151.00	रु0	-100.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1380.00	रु0	14.00
योग(ब) रु0		1380.00	रु0	14.00
महायोग(अ+ब) रु0		1229.00	रु0	-86.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 138.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 132** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गोविन्द लाल सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-केशोपुर (नगर पंचायत सहजनवाँ)

पोस्ट एवं थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **135** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 132** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1211.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9687.00	रु0	-4.00
योग(अ) रु0		10898.00	रु0	-4.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1318.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4558.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		15456.00	रु0	28.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 27 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री ओंकार आर्य पुत्र स्व0 राम प्रताप आर्य

पुत्र/पुत्री

एवं श्री ओम प्रकाश आर्य पुत्र स्व0 राम प्रताप आर्य

निवासी-आर्न ट्रेडिंग कम्पनी, राजा बाजार,

बस्ती।

आवंटन पत्र सं0 27 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 27 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	4610.00	रु0	38.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23001.00	रु0	213.00
योग(अ) रु0		27611.00	रु0	251.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3341.00	रु0	30.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9101.00	रु0	88.00
महायोग(अ+ब) रु0		36712.00	रु0	339.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 172** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संध्या द्विवेदी पत्नी श्री गणेशधर दूबे

पुत्र/पुत्री

निवासी-सब्जी मण्डी का पूर्वी गेट,

केशवपुर, वार्ड संख्या 9, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **234** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 172** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	7.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5295.00	रु0	14.00
योग(अ) रु0		5302.00	रु0	14.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	641.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		4241.00	रु0	38.00
महायोग(अ+ब) रु0		9543.00	रु0	52.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 16** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री रामस्वरुप

पुत्र/पुत्री

निवासी-बेतियाहाता दक्षिणी,

पोस्ट-नई शिवपुरी कालोनी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **366** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 16** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1541.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4156.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0 5697.00 रु0 -11.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	689.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 1409.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 7106.00 रु0 -4.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 46 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-टेकुआपाती टोला (महदेईया), पोस्ट-भीटी रावत,

तहसील व थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 309 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 46 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1651.00	रु0	-14.00
योग(अ) रु0		1651.00	रु0	-14.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	200.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2120.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		3771.00	रु0	5.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 166** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती लालती देवी पत्नी श्री हीरा यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-एस0डी0एम0 बिल्डिंग, वार्ड संख्या-16,

लुचूई, सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **165** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 166** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9541.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21062.00	रु0	-116.00
योग(अ) रु0		30603.00	रु0	-116.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3702.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		6942.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		37545.00	रु0	-84.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 136** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती नीलम त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मु0-सर्वोदय नगर (चिलमापुर)

निकट बगहा बाबा मन्दिर, पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी,

जिला-गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र सं0 **108** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 136** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1360.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10187.00	रु0	43.00
योग(अ) रु0		11547.00	रु0	44.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1396.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4636.00	रु0	38.00
महायोग(अ+ब) रु0		16183.00	रु0	82.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 9** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विनीत कुमार पुत्र श्री जालिम प्रसाद एवं श्री जालिम प्रसाद

पुत्र/पुत्री

पुत्र श्री चन्द्रमन प्रसाद, निवासी-28/10, 1-सी, शक्ति फलैट्स,

लक्ष्मीपुरम मेन रोड, वेलाचेरी,

चेन्नई-42

आवंटन पत्र सं0 **319** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 9** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	689.00	रु0	36.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7878.00	रु0	48.00
योग(अ) रु0		8567.00	रु0	84.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1037.00	रु0	10.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2957.00	रु0	29.00
महायोग(अ+ब) रु0		11524.00	रु0	113.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 19 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती संध्या

पुत्र/पुत्री

निवासी-निवरहर खास रिदुआखोर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 283 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 19 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-466.00	रु0	-96.00
योग(अ) रु0		-466.00	रु0	-96.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1454.00	रु0	-77.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 48** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राजीव सिंह

पुत्र/पुत्री दुर्विजय सिंह

निवासी-ग्राम-अमोढ़ा,

पोस्ट-उरुआ बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **398** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 48** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	75.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1368.00	रु0	14.00
योग(अ) रु0		1443.00	रु0	15.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	174.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		894.00	रु0	9.00
महायोग(अ+ब) रु0		2337.00	रु0	24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 39 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती संगीता सिंह पत्नी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-न्यू कालोनी, लच्छीपुर,

10 नम्बर बोरिंग, गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 302 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 39 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	219.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3821.00	रु0	-36.00
योग(अ) रु0		4040.00	रु0	-36.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	488.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2408.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		6448.00	रु0	-17.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 73 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री विनोद कुमार शुक्ला पुत्र श्री राजमन शुक्ला

पुत्र/पुत्री

निवासी-एन0-390, आशियाना कालोनी,

कानपुर रोड योजना,

लखनऊ।

आवंटन पत्र सं0 73 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 73 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 53** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम लखन गुप्ता पुत्र श्री सोनई गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-प्रकाश रबर उद्योग,

भूखण्ड संख्या-ए-8/13, सेक्टर-13,

गीडा, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **475** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 53** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0 -108.00 रु0 -2.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1080.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 972.00 रु0 9.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 91** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विनोद कुमार गुप्त पुत्र स्व0 रामराज गुप्त

पुत्र/पुत्री स्व0 रामराज गुप्त

निवासी-न्यू रामराज मिष्ठान भण्डार, वार्ड संख्या-15,

सहजनवॉ बाजार काली मंदिर के सामने,

सहजनवॉ, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **430** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 91** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2172.00	रु0	15.00
योग(अ) रु0		2172.00	रु0	15.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	263.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3503.00	रु0	34.00
महायोग(अ+ब) रु0		5675.00	रु0	49.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 55** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ओंकार नाथ उपाध्याय पुत्र श्री राम नवल उपाध्याय

पुत्र/पुत्री श्री राम नवल उपाध्याय

निवासी-ग्राम-मुहम्मदपुर माफी,

पोस्ट-जगतबेला

जिला-गोरखपुर, यू0पी0

आवंटन पत्र सं0 **477** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 55** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	305.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2852.00	रु0	-55.00
योग(अ) रु0 3157.00 रु0 -55.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	382.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1462.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4619.00 रु0 -44.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 180** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम जतन यादव

पुत्र/पुत्री श्री राम अवध

निवासी-मथौली, टिकरिया,

बिगही, गोरखपुर

उ0 प्र0 273212

आवंटन पत्र सं0 **435** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 180** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	396.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6623.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0 7019.00 रु0 -11.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	849.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4089.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 11108.00 रु0 21.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 66 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राकेश त्रिपाठी (तिवारी)

पुत्र/पुत्री श्री दयाशंकर त्रिपाठी

निवासी-चकिया, भीटी रावत,

जिला-गोरखपुर,

उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 66 दिनांक 13/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 66 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	463.00	रु0	-67.00
योग(अ) रु0		463.00	रु0	-67.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	33.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5793.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		6256.00	रु0	-9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 44** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम चरन प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री राज बली प्रसाद

निवासी-ग्राम-डुमरी,

पोस्ट-डुमरी निवास,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **307** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 44** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	8364.00	रु0	177.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14475.00	रु0	216.00
योग(अ) रु0		22839.00	रु0	393.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2762.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4682.00	रु0	66.00
महायोग(अ+ब) रु0		27521.00	रु0	459.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 17 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती अर्चना वर्मा पत्नी श्री दिलीप कुमार वर्मा

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-229ए,

बसन्तपुर (मुतनाजा),

गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र सं0 52 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 17 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	6679.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26506.00	रु0	71.00
योग(अ) रु0		33185.00	रु0	72.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4014.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9774.00	रु0	67.00
महायोग(अ+ब) रु0		42959.00	रु0	139.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 7** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ध्रुप मौर्या पुत्र श्री राम प्रसाद मौर्या

पुत्र/पुत्री श्री राम प्रसाद मौर्या

निवासी-बी-2/8,

सेक्टर-13, गीडा,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **328** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 7** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	21.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1467.00	रु0	10.00
योग(अ) रु0				
		1488.00	रु0	10.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	180.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1260.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2748.00	रु0	23.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 24** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री श्रवण कुमार यादव पुत्र श्री भाल चन्द यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-जुडियान (वार्ड नं0-12)

पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **288** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 24** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1845.00	रु0	-58.00
योग(अ) रु0				
		1845.00	रु0	-58.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	223.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0				
		2143.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3988.00	रु0	-39.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 54** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अमित कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री भोला नाथ गुप्ता

निवासी-ग्राम-पुरमोती, पोस्ट-कुरंगा,

जनपद-मऊ

उत्तर प्रदेश-276306

आवंटन पत्र सं0 **316** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 54** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-553.00	रु0	-483.00
योग(अ) रु0				
		-553.00	रु0	-483.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0				
		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1367.00	रु0	-464.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 15** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री संतोष कुमार जायसवाल पुत्र श्री राधेश्याम जायसवाल

पुत्र/पुत्री

एवं श्रीमती आरती देवी जायसवाल पत्नी श्री संतोष कुमार जायसवाल

निवासी-मकान संख्या-1668, मोहल्ला-कटरा,

आवास विकास कालोनी, बस्ती।

आवंटन पत्र सं0 **365** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 15** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **3134.00** रु0 **65.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5426.00** रु0 **79.00**

योग(अ) रु0 8560.00 रु0 144.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1035.00** रु0 **17.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **720.00** रु0 **7.00**

योग(ब) रु0 1755.00 रु0 24.00

महायोग(अ+ब) रु0 10315.00 रु0 168.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 107** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मोहम्मद फैजी पुत्र श्री मोहम्मद जुनैद वहुद

पुत्र/पुत्री

निवासी-497-यान्बू हाउस,

छोटे काजीपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **218** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 107** से0 **23** क्षे. **178.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	-44.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	-44.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3560.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		3560.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		3560.00	रु0	-8.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **356.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 42** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अन्विता त्रिपाठी पत्नी श्री योगेश मणि त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री श्री शिव विजय पाण्डेय

निवासी-एम0आई0जी0-256,

सिद्धार्थ इन्क्लेव, तारामंडल,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **250** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 42** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-409.00	रु0	-52.00
योग(अ) रु0				
		-409.00	रु0	-52.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2831.00	रु0	-20.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 70 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती कतवारी

पुत्र/पुत्री

निवासी-53, मोहिउद्दीनपुर, ग्राम-मोहिउद्दीनपुर,

पोस्ट-विरई खुर्द, मोहिउद्दीनपुर,

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

आवंटन पत्र सं0 70 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 70 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3368.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	41892.00	रु0	-22.00
योग(अ) रु0		45260.00	रु0	-22.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	5475.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		11235.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		56495.00	रु0	36.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 50** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मालती जैसवाल पत्नी श्री भगवान दास जैसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या एम-35,

गोविन्दपुर कालोनी,

इलाहाबाद-यू0पी0

आवंटन पत्र सं0 **50** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 50** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **6890.00** रु0 **55.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **26823.00** रु0 **242.00**

योग(अ) रु0 33713.00 रु0 297.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4079.00** रु0 **36.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5760.00** रु0 **58.00**

योग(ब) रु0 9839.00 रु0 94.00

महायोग(अ+ब) रु0 43552.00 रु0 391.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 49 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री भगवान दास जैसवाल पुत्र स्व0 मेवा लाल जैसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-एम0-35, गोविन्दपुर कालोनी,

इलाहाबाद,

यू0पी0।

आवंटन पत्र सं0 49 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 49 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	6887.00	रु0	55.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26816.00	रु0	242.00
योग(अ) रु0		33703.00	रु0	297.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4077.00	रु0	36.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9837.00	रु0	94.00
महायोग(अ+ब) रु0		43540.00	रु0	391.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 24** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री इन्द्रजीत सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 रामदवन सिंह

निवासी-ग्राम-रहीमाबाद उर्फ सरैया,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **374** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 24** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-72.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -72.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 648.00 रु0 7.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 37 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री संजीव कुमार नाथानी पुत्र श्री सुरेश कुमार नाथानी,

पुत्र/पुत्री

निवासी-मेडिसीन सेन्टर, हरिकृष्ण मार्केट,

तमकुही रोड, सेवरही,

कुशीनगर।

आवंटन पत्र सं0 37 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 37 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	596.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10942.00	रु0	-368.00
योग(अ) रु0		11538.00	रु0	-368.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1396.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7156.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		18694.00	रु0	-310.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 76 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राकेश कुमार नाथानी पुत्र श्री सुरेश कुमार नाथानी,

पुत्र/पुत्री

निवासी-मेडिसीन एजेन्सीज,

हरिकृष्ण मार्केट, सेवरही,

कुशीनगर।

आवंटन पत्र सं0 76 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 76 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	596.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10942.00	रु0	32.00
योग(अ) रु0		11538.00	रु0	32.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1396.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7156.00	रु0	62.00
महायोग(अ+ब) रु0		18694.00	रु0	94.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 31 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री धर्मे श कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राघव सिंह

निवासी-मकान संख्या 755जे, जंगल तुलसीराम,

बिछिया, शाहपुर,

तहसील-गोरखपुर सदर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 31 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 31 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	-152.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	-152.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5760.00	रु0	-94.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 99** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम सेवक सिंह पुत्र स्व0 सत्य नारायण सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 सत्य नारायण सिंह

निवासी-एल0आई0जी0-8,

शास्त्री नगर, गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **150** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 99** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **14214.00** रु0 **304.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **24487.00** रु0 **365.00**

योग(अ) रु0 38701.00 रु0 669.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4682.00** रु0 **81.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 7922.00 रु0 113.00

महायोग(अ+ब) रु0 46623.00 रु0 782.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 46** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी स्व0 प्रदीप कुमार अग्रवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-अग्रवाल ट्रांसपोर्ट एजेन्सी,

ए/66-ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **46** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 46** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1664.00	रु0	-1652.00
योग(अ) रु0 -1664.00 रु0 -1652.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4096.00 रु0 -1594.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 51** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उमावती देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-सिहोखॉ बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **401** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 51** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	661.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3020.00	रु0	1.00
योग(अ) रु0		3681.00	रु0	1.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	445.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1165.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		4846.00	रु0	8.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 92** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री शिव सहाय यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गालिमपुर,

पोस्ट-तरयापार,

जिला-संतकबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **181** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 92** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **0.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **-251.00** रु0 **-7316.00**

योग(अ) रु0 -251.00 रु0 -7316.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **0.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00

महायोग(अ+ब) रु0 2989.00 रु0 -7284.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 200** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रसाद एवं

पुत्र/पुत्री

श्री सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 राम गुलाम,

निवासी-नीयर गुप्ता पेट्रोल पम्प, हाईवे रोड, सहजनवॉ, ग्राम-पि

पोस्ट-सहजनवॉ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **122** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 200** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	14260.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24516.00	रु0	2.00
योग(अ) रु0		38776.00	रु0	2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4690.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		7930.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		46706.00	रु0	34.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 61** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती किरन देवी पत्नी श्री पप्पू साह

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री किशोर कुमार गुप्ता (किराना की दुकान)

सूरजकुण्ड कालोनी माधोपुर रोड निकट काली मन्दिर के पास,

जिला-गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **505** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 61** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	53.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1182.00	रु0	-9.00
योग(अ) रु0 1235.00 रु0 -9.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	149.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 869.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2104.00 रु0 -2.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 78** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री श्याम मूरत उपाध्याय पुत्र स्व0 सीताराम उपाध्याय

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-भरसोड़,

थाना-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **498** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 78** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	233.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2856.00	रु0	-82.00
योग(अ) रु0		3089.00	रु0	-82.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	374.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1454.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		4543.00	रु0	-71.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 58** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री भुनेश्वर सिंह पुत्र स्व0 मदन पाल सिंह एवं

पुत्र/पुत्री

श्री विशेश्वर सिंह पुत्र स्व0 मदन पाल सिंह

निवासी-मकान संख्या-सी-47, कल्पीपारा कालोनी, सिचाई विभा

बहराईच-यू0पी0।

आवंटन पत्र सं0 **480** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 58** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1239.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4949.00	रु0	-181.00
योग(अ) रु0		6188.00	रु0	-181.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	749.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1829.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		8017.00	रु0	-170.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 68** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम पाण्डेय पुत्र स्व0 भूअल पाण्डेय

पुत्र/पुत्री स्व0 भूअल पाण्डेय

निवासी-ग्राम-ईटार,

पोस्ट-डुमरी निवास, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **488** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 68** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1213.00	रु0	89.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4903.00	रु0	117.00
योग(अ) रु0		6116.00	रु0	206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	740.00	रु0	25.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1820.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		7936.00	रु0	242.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 58** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सत्य प्रकाश भारतीय पुत्र स्व0 मंगल

पुत्र/पुत्री

निवासी-25-पी0 डब्ल्यू0

सिविल लाइन्स,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **414** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 58** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-152.00	रु0	-88.00
योग(अ) रु0	-152.00	रु0	-88.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0	5760.00	रु0	58.00	
महायोग(अ+ब) रु0	5608.00	रु0	-30.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 52 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती अनीता भारती पत्नी श्री सत्य प्रकाश भारतीय

पुत्र/पुत्री

निवासी-25-पी0 डब्ल्यू0

सिविल लाइन्स, दैनिक जागरण प्रेस के सामने,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 413 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 52 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 22547.00 रु0 463.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 41718.00 रु0 615.00

योग(अ) रु0 64265.00 रु0 1078.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 7774.00 रु0 130.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 13534.00 रु0 188.00

महायोग(अ+ब) रु0 77799.00 रु0 1266.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 83** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धर्मेन्द्र यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-नेवास बड़गहन,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **206** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 83** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2603.00	रु0	24.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12960.00	रु0	128.00
योग(अ) रु0		15563.00	रु0	152.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1883.00	रु0	19.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5123.00	रु0	51.00
महायोग(अ+ब) रु0		20686.00	रु0	203.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 3** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शर्मिला सिंह पत्नी श्री राजेश सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बरईपार तेतरिया,

पोस्ट-कोदरी, विकास खण्ड-पाली, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **94** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 3** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	7539.00	रु0	91.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19327.00	रु0	214.00
योग(अ) रु0		26866.00	रु0	305.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3250.00	रु0	36.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		6490.00	रु0	68.00
महायोग(अ+ब) रु0		33356.00	रु0	373.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 49** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रितेश कुमार यादव पुत्र श्री दिलीप कुमार यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड नं0-10, पिपरा,

नगर पंचायत-सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **104** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 49** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2878.00	रु0	-56.00
योग(अ) रु0		2878.00	रु0	-56.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	348.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3588.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		6466.00	रु0	-24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 68** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती चित्रा देवी गोयनका पत्नी श्री राम भगत गोयनका,

पुत्र/पुत्री हीरालाल तुलस्यान

निवासी-मकान संख्या-152,

हनुमान मंदिर रोड, बेतियाहाता,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **68** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 68** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4407.00	रु0	-140.00
योग(अ) रु0 4407.00 रु0 -140.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	533.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 6293.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 10700.00 रु0 -82.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 88** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती परिनिता गोयनका

पुत्र/पुत्री पवन रँगटा

निवासी-मकान संख्या-152,

हनुमान मंदिर रोड, बेतियाहाता,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **88** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 88** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	23.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6407.00	रु0	-7541.00
योग(अ) रु0		6430.00	रु0	-7541.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	778.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6538.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		12968.00	रु0	-7483.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 81** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गीता शर्मा

पुत्र/पुत्री श्री राम नरेश शर्मा

निवासी-केशव सृष्टि ए0विंग, मकान संख्या-1102,

मुरली मल्ल कम्पाउण्ड, एल0बी0एस0 मार्ग भाण्डूप,

वेस्ट-मुम्बई-400078

आवंटन पत्र सं0 **81** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 81** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-51.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0 -51.00 रु0 -17.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5709.00 रु0 41.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 46** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बेद ब्यास

पुत्र/पुत्री श्री मदन प्रसाद

निवासी-ग्राम-तेनुहारी

हाउस संख्या-25, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **396** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 46** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	630.00	रु0	-33.00
योग(अ) रु0		630.00	रु0	-33.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	76.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		796.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		1426.00	रु0	-26.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 30 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती निर्मला सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मल्हीपुर,

पोस्ट-पिपरौली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 62 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 30 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1528.00	रु0	-88.00
योग(अ) रु0		-1528.00	रु0	-88.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		4232.00	रु0	-30.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 73** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम दुलारे प्रसाद

पुत्र/पुत्री स्व0 परदेशी

निवासी-शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, गोरखपुर

शाखा-सुरजकुण्ड, पोस्ट-गोरखनाथ,

गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र सं0 **493** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 73** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4227.00** रु0 **89.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7822.00** रु0 **117.00**

योग(अ) रु0 12049.00 रु0 206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1457.00** रु0 **25.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2537.00 रु0 36.00

महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 242.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 70 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती सरिता सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड नं0 10,

न्यू नवल्स एकेडमी के बगल में,

सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 452 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 70 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2147.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8701.00	रु0	51.00
योग(अ) रु0		10848.00	रु0	57.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1313.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		3233.00	रु0	26.00
महायोग(अ+ब) रु0		14081.00	रु0	83.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 96** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिलीप कुमार चौधरी पुत्र श्री राजाराम चौधरी एवं अशोक कुमार पुत्र श्री राजाराम चौधरी

पुत्र/पुत्री श्री राजाराम चौधरी

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राजाराम चौधरी

निवासी-चौधरी स्वीट हाउस, बैंक चौराहा, खलीलाबाद,

संत कबीर नगर-272175

आवंटन पत्र सं0 **421** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 96** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	395.00	रु0	-77.00
योग(अ) रु0 395.00 रु0 -77.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	12.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5772.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6167.00 रु0 -19.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 69 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र स्व0 खेदू सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-जंगी सिंह (पोस्ट मास्टर),

धनश्याम नगरी, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 451 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 69 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-639.00	रु0	-57.00
योग(अ) रु0		-639.00	रु0	-57.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1281.00	रु0	-38.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 49** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिलीप कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम बहाल सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-देवापार, डुगडुइयॉ,

पोस्ट-पाली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **471** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 49** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-380.00
योग(अ) रु0 -108.00 रु0 -380.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1080.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 972.00 रु0 -369.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 33** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती हेमलता पाण्डेय पत्नी श्री प्रवीन कुमार पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशोपुर,

वार्ड नं.-4, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **457** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 33** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24.00	रु0	1.00
योग(अ) रु0 24.00 रु0 1.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1083.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1107.00 रु0 12.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 69** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सर्वजीत पुत्र स्व0 बदल प्रसाद

पुत्र/पुत्री स्व0 बदल प्रसाद

निवासी-ग्राम-धर्मदास पट्टी,

पोस्ट एवं थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र सं0 **513** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 69** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	74.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1361.00	रु0	-20.00
योग(अ) रु0				
		1435.00	रु0	-20.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	174.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		894.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2329.00	रु0	-13.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 138** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उषा सिंह पुत्री श्री बीरबल सिंह

पुत्र/पुत्री श्री बीरबल सिंह

निवासी-सिंह बिल्डिंग मैटेरियल

रामनाथ देवरिया,

दक्षिणी, देवरिया।

आवंटन पत्र सं0 **197** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 138** से0 **23** क्षे. **157.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2868.00	रु0	45.00
योग(अ) रु0		2868.00	रु0	46.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	347.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3140.00	रु0	31.00
योग(ब) रु0		3487.00	रु0	37.00
महायोग(अ+ब) रु0		6355.00	रु0	83.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **314.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 53** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कुमारी सोपम पत्नी श्री लव कुमार मिश्र

पुत्र/पुत्री

निवासी-एक्सिस बैंक लि0, खासरा नं0-1651/216,

मो0-भटवलिआ, बरहज रोड,

देवरिया।

आवंटन पत्र सं0 **53** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 53** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9025.00	रु0	549.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29606.00	रु0	663.00
योग(अ) रु0		38631.00	रु0	1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4673.00	रु0	146.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		10433.00	रु0	204.00
महायोग(अ+ब) रु0		49064.00	रु0	1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 41** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संगीता गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-मंझरिया,

घघसरा,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **173** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 41** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2609.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12976.00	रु0	9.00
योग(अ) रु0		15585.00	रु0	9.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1886.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5126.00	रु0	34.00
महायोग(अ+ब) रु0		20711.00	रु0	43.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 42** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी रिशू मौर्य पुत्री श्री परमहंस मौर्य

पुत्र/पुत्री श्री परमहंस मौर्य

निवासी-ईवाइन पालिमर्स

भूखण्ड संख्या ए-2/12, सेक्टर-15,

गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **392** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 42** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3134.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5426.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0		8560.00	रु0	-2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1035.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1755.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		10315.00	रु0	5.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 4** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती ममता जालान पत्नी श्री अनूप जालान एवं श्री अनूप जालान पुत्र स्व0 श्याम बिहारी जालान पुत्र/पुत्री बॉके बिहारी अग्रवाल
निवासी-अभिनन्दन-22, आवास विकास कालोनी,
बेतियाहाता (उत्तरी),
गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **4** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 4** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	662.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11520.00	रु0	116.00
योग(अ) रु0		12182.00	रु0	123.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1474.00	रु0	15.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7234.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		19416.00	रु0	196.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 2 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री इन्द्रेण

पुत्र/पुत्री श्री लोरिक

निवासी-ग्राम-मन्झरिया,

पोस्ट-छताई (खजनी)

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 267 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 2 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-192.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-192.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1728.00	रु0	19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 64** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 भरत लाल उपाध्याय

पुत्र/पुत्री

निवासी-तहसील रोड

केशोपुर,

सहजनवाँ, गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **116** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 64** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-584.00	रु0	-14.00
योग(अ) रु0				
		-584.00	रु0	-14.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0				
		3600.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3016.00	रु0	22.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 151** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मधु विमल पत्नी श्री देश दीपक

पुत्र/पुत्री

निवासी-24, शान्ति इनक्लेव, जरौली फेज-2,

बर्बा, कानपुर नगर,

उ0 प्र0 208027

आवंटन पत्र सं0 **145** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 151** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	373.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6480.00	रु0	62.00
योग(अ) रु0		6853.00	रु0	65.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	829.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4069.00	रु0	40.00
महायोग(अ+ब) रु0		10922.00	रु0	105.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 33 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-पाली,

पोस्ट-पाली (सहजनवों)

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 297 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 33 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1895.00	रु0	-224.00
योग(अ) रु0		1895.00	रु0	-224.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	229.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2149.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		4044.00	रु0	-205.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 1** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विकास कुमार नायक

पुत्र/पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार नायक

निवासी-ग्राम-गढवारामपुर,

पोस्ट-महुआपार, थाना-बड़हलगंज,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **1** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 1** से0 **23** क्षे. **360.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	31788.00	रु0	51.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	54542.00	रु0	270.00
योग(अ) रु0		86330.00	रु0	321.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	10443.00	रु0	39.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7200.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		17643.00	रु0	111.00
महायोग(अ+ब) रु0		103973.00	रु0	432.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **720.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 4** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सोनी सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-पिपरा वार्ड संख्या-6,

सेक्टर-23, नगर पंचायत एवं पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **325** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 4** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4702.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **8139.00** रु0 **-474.00**

योग(अ) रु0 12841.00 रु0 -474.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1553.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2633.00 रु0 11.00

महायोग(अ+ब) रु0 15474.00 रु0 -463.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 34** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विन्ध्यवासिनी सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह

निवासी-ग्राम-बनौडा,

पोस्ट-अमटौरा, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **384** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 34** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-493.00	रु0	-1.00
योग(अ) रु0 -493.00 रु0 -1.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 227.00 रु0 6.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 104** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती श्वेता जायसवाल पुत्री श्री शिव शंकर जायसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-कोल्हुई

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश।

आवंटन पत्र सं0 **107** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 104** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	910.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8531.00	रु0	-443.00
योग(अ) रु0 9441.00 रु0 -443.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1142.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4382.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 13823.00 रु0 -411.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 18** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती बनिता सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-50, खजुरही उर्फ जोगिया,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **338** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 18** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	493.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3522.00	रु0	-114.00
योग(अ) रु0 4015.00 रु0 -114.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	486.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1566.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5581.00 रु0 -103.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 34 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती रामलता सिंह पत्नी श्री राघवेन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-सिधौली,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 321 दिनांक 30/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 34 से0 23 क्षे. 104.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	5969.00	रु0	73.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13402.00	रु0	153.00
योग(अ) रु0		19371.00	रु0	226.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2344.00	रु0	27.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2080.00	रु0	21.00
योग(ब) रु0		4424.00	रु0	48.00
महायोग(अ+ब) रु0		23795.00	रु0	274.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 208.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 87** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अखिलेश यादव व श्री कमलेश यादव

पुत्र/पुत्री श्री जगलाल यादव

निवासी-ग्राम-मोहम्मदपुर माफी

जगतबेला, गोरखपुर,

उ0 प्र0 273015

आवंटन पत्र सं0 **87** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 87** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	-49.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	-49.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5760.00	रु0	9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 79** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी श्री कामाख्या लाल पाल,

पुत्र/पुत्री श्री प्रहलाद पाल

निवासी-ग्राम-परसा उर्फ अलगहवाँ,

पोस्ट-ककरही, थाना एवं तहसील-गोला,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **143** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 79** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **1606.00** रु0 **340.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **11461.00** रु0 **410.00**

योग(अ) रु0 13067.00 रु0 750.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1581.00** रु0 **91.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3600.00** रु0 **36.00**

योग(ब) रु0 5181.00 रु0 127.00

महायोग(अ+ब) रु0 18248.00 रु0 877.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 89 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी श्री अभिषेक सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-बिलन्दपुर,

निकट-शिव मंदिर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 89 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 89 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	87.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7603.00	रु0	41.00
योग(अ) रु0		7690.00	रु0	41.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	931.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6691.00	रु0	63.00
महायोग(अ+ब) रु0		14381.00	रु0	104.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 91** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गीता सिंह पत्नी श्री गोपाल सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-दक्षिणी बेटियाहाता,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **60** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 91** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	5263.00	रु0	38.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24113.00	रु0	213.00
योग(अ) रु0		29376.00	रु0	251.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3553.00	रु0	30.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9313.00	रु0	88.00
महायोग(अ+ब) रु0		38689.00	रु0	339.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 29 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री देवनारायण सिंह उर्फ जी0एम0सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गहासाड,

पोस्ट-गहासाड, सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 29 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 29 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 33** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अन्नू सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-रामपुर रेवटी,

पोस्ट-मुण्डेरवा,

जिला-बस्ती।

आवंटन पत्र सं0 **383** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 33** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-93.00	रु0	-18.00
योग(अ) रु0 -93.00 रु0 -18.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 627.00 रु0 -11.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 27** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अजीत कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता

निवासी-श्री गणिनाथ ट्रेडर्स,

ईस्माईलपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **242** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 27** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-264.00	रु0	-102.00
योग(अ) रु0		-264.00	रु0	-102.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		2976.00	रु0	-70.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 144** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दयाशंकर त्रिपाठी पुत्र श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री दुर्गेश ओझा (ए0ई0),

मोहल्ला-इन्दिरा नगर (रसूलपुर),

पोस्ट-विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **186** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 144** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1057.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9099.00	रु0	35.00
योग(अ) रु0 10156.00 रु0 35.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1228.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4468.00 रु0 36.00				
महायोग(अ+ब) रु0 14624.00 रु0 71.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 19 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अमर तुलस्यान पुत्र श्री कृष्ण कुमार तुलस्यान

पुत्र/पुत्री

निवासी-502-त्रिवेणी अपार्टमेन्ट,

गोयल हाता, धर्मशाला बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 19 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 19 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	80.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1972.00	रु0	288.00
योग(अ) रु0		1972.00	रु0	368.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	93.00	रु0	45.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5853.00	रु0	103.00
महायोग(अ+ब) रु0		7825.00	रु0	471.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 127** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गेना देवी पत्नी स्व0 राम नयन,

पुत्र/पुत्री

निवासी-चन्द्र प्रकाश (हरी लाल वकील के सामने)

न्यू महेवा कालोनी, पोस्ट-शिवपुरी कालोनी, ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **155** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 127** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1299.00	रु0	-316.00
योग(अ) रु0 -1299.00 रु0 -316.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1941.00 रु0 -284.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 23** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री राम कवल सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-एम0एफ0(इ0), क्यू0ए0एस0

स्वाङ्गन एयर फोर्स, स्टेशन,

तुगलकाबाद, दिल्ली

आवंटन पत्र सं0 **246** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 23** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-112.00	रु0	-118.00
योग(अ) रु0				
		-112.00	रु0	-118.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3128.00	रु0	-86.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 47** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र

पुत्र/पुत्री

निवासी-बहरामपुर दक्षिणी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **310** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 47** से0 **23** क्षे. **122.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	470.00	रु0	12.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5602.00	रु0	82.00
योग(अ) रु0		6072.00	रु0	94.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	734.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2440.00	रु0	24.00
योग(ब) रु0		3174.00	रु0	35.00
महायोग(अ+ब) रु0		9246.00	रु0	129.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **244.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 34** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह

पुत्र/पुत्री श्री काशी सिंह

निवासी-पुरानी टीचर कालोनी,

शोहरतगढ़,

सिद्धार्थनगर।

आवंटन पत्र सं0 **245** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 34** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-17413.00	रु0	6.00
योग(अ) रु0 -17413.00 रु0 6.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2916.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 2916.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 -14497.00 रु0 38.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 131** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मुनि राज पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद

पुत्र/पुत्री स्व0 सरजू प्रसाद

निवासी-वीडियो केयर, द्वितीय तल, यूनाईटेड सिनेमा काम्पलेक्स,

सिनेमा रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **132** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 131** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	12969.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23739.00	रु0	-121.00
योग(अ) रु0		36708.00	रु0	-121.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4440.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		7680.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		44388.00	रु0	-89.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 86 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती शबे नूर फातमा

पुत्र/पुत्री

निवासी-37, हरिओम नगर,

गोरखपुर,

यू0पी0-273001

आवंटन पत्र सं0 86 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 86 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	851.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13138.00	रु0	125.00
योग(अ) रु0		13989.00	रु0	133.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1693.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7453.00	रु0	75.00
महायोग(अ+ब) रु0		21442.00	रु0	208.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 77** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री संतोष कुमार चौरसिया पुत्र श्री सुदामा प्रसाद एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री सुदामा प्रसाद

निवासी-एल0आई0जी0-2, 326, विकास नगर कालोनी,

बरगदवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **98** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 77** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4951.00** रु0 **24.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **16485.00** रु0 **121.00**

योग(अ) रु0 21436.00 रु0 145.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **2593.00** रु0 **17.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 5833.00 रु0 49.00

महायोग(अ+ब) रु0 27269.00 रु0 194.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 3 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अखिलेश ओझा पुत्र श्री भारद्वाज ओझा

पुत्र/पुत्री

निवासी-अखिलेश ओझा, ग्राम-बनकटी,

पोस्ट-अहिरौली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 268 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 3 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	8364.00	रु0	177.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14475.00	रु0	216.00
योग(अ) रु0		22839.00	रु0	393.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2762.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4682.00	रु0	66.00
महायोग(अ+ब) रु0		27521.00	रु0	459.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 98** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री नरेन्द्र नाथ पुत्र श्री चण्डी प्रसाद त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-205,

अशोक नगर, बशारतपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **190** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 98** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	211.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5075.00	रु0	30.00
योग(अ) रु0		5286.00	रु0	30.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	639.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3879.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		9165.00	रु0	66.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 54** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री जयप्रकाश नारायण सिंह पुत्र श्री नन्दकिशोर सिंह एवं

पुत्र/पुत्री

श्री चन्द्रप्रकाश नारायण सिंह पुत्र श्री नन्दकिशोर सिंह

निवासी-ग्राम-उसरी, पोस्ट-पाली,

वाया-सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **235** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 54** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1287.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9939.00	रु0	-484.00
योग(अ) रु0 11226.00 रु0 -484.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1358.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4598.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 15824.00 रु0 -452.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 49** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती प्रतिभा सिंह पुत्री श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह एवं राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री दुर्विजय सिंह
पुत्र/पुत्री श्री प्रसीद्ध नारायण एवं श्री दुर्विजय सिंह
श्री राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री दुर्विजय सिंह
निवासी-ग्राम-सरैया (रहीमाबाद), पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **399** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **E 49** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद्
में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-269.00	रु0	-42.00
योग(अ) रु0				
		-269.00	रु0	-42.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		451.00	रु0	-35.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष
धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का
कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव
शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया
धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने
का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय
होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत
भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 63** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह

पुत्र/पुत्री श्री गणेश सिंह

निवासी-किसान सहकारी चीनी मिल,

घोसी,

मऊ।

आवंटन पत्र सं0 **219** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 63** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 0.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0 3600.00 रु0 36.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3600.00 रु0 36.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 58** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 चंडी लाल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री

निवासी-269-ए, दिग्विजय नगर कालोनी,

गली नं0-1, हुमायूँपुर, गोरखनाथ रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **147** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 58** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3049.00	रु0	-53.00
योग(अ) रु0 3049.00 रु0 -53.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	369.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3609.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6658.00 रु0 -21.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 87** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती साधना सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-55, स्वप्नलोक कालोनी,

कमता, चिनहट, लखनऊ

यू0पी0-226028

आवंटन पत्र सं0 **182** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 87** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21.00	रु0	-121.00
योग(अ) रु0	रु0	21.00	रु0	-121.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0	रु0	3241.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	3262.00	रु0	-89.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 59** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनिता यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-सुरगहना,

कोदरी, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **409** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 59** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	180.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1809.00	रु0	19.00
योग(अ) रु0 1989.00 रु0 20.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	240.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 960.00 रु0 9.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2949.00 रु0 29.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 130** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं श्रीमती प्रनीता सिंह

पुत्र/पुत्री श्री रामवृक्ष सिंह

श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं श्रीमती प्रनीता सिंह

निवासी-ग्राम-देवापार डुगडुईया, पोस्ट-पाली,

सहजनवॉ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **227** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 130** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	5224.00	रु0	102.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16848.00	रु0	225.00
योग(अ) रु0		22072.00	रु0	327.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2670.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5910.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		27982.00	रु0	399.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 19** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री सच्चिदानन्द

पुत्र/पुत्री स्व0 मुरलीधर गुप्ता

निवासी-फर्नीचर मार्ट

बैंक रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **175** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 19** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1988.00	रु0	-122.00
योग(अ) रु0 1988.00 रु0 -122.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	240.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3480.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5468.00 रु0 -90.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 10** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रुपांजलि मद्देशिया

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गाहासांड,

वार्ड नं.-4, सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **331** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 10** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	947.00	रु0	-62.00
योग(अ) रु0 947.00 रु0 -62.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	115.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1195.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2142.00 रु0 -51.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 41 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अलख निरंजन आर्य पुत्र स्व0 राम प्रताप आर्य एवं

पुत्र/पुत्री

श्री आनन्द स्वरूप आर्य पुत्र राम प्रताप आर्य

निवासी-पाण्डेय बाजार, मेहदावल रोड,

जनपद-बस्ती।

आवंटन पत्र सं0 41 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 41 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	4610.00	रु0	38.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23001.00	रु0	213.00
योग(अ) रु0		27611.00	रु0	251.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3341.00	रु0	30.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9101.00	रु0	88.00
महायोग(अ+ब) रु0		36712.00	रु0	339.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 E 18 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राम सागर सिंह पुत्र स्व0 मुखराम सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 मुखराम सिंह

निवासी-मैसर्स आर0बी0 इन्जिनियरिंग, भूखण्ड संख्या डी-4,

सेक्टर-13, गीडा,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 368 दिनांक 30/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या E 18 से0 23 क्षे. 36.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	275.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2175.00	रु0	-7.00
योग(अ) रु0		2450.00	रु0	-7.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	297.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1017.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		3467.00	रु0	0.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 72.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 36 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री राम नगीना सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-हॉसी पहाडी, पोस्ट-मेहीजाम,

जिला-जामताड़ा,

झारखण्ड

आवंटन पत्र सं0 36 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 36 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	12494.00	रु0	55.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33425.00	रु0	246.00
योग(अ) रु0		45919.00	रु0	301.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	5555.00	रु0	36.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		11315.00	रु0	94.00
महायोग(अ+ब) रु0		57234.00	रु0	395.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 51** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती श्वेता जायसवाल पुत्री श्री शिव शंकर जायसवाल,

पुत्र/पुत्री शिव शंकर जायसवाल,

निवासी-कोल्हई

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

आवंटन पत्र सं0 **189** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 51** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1602.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10910.00	रु0	35.00
योग(अ) रु0		12512.00	रु0	35.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1514.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4754.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		17266.00	रु0	71.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 77 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी श्री प्रदीप कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-घघसरा,

तहसील व थाना-सहजनवाँ,

जनपद-गोरखपुर

आवंटन पत्र सं0 77 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 77 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	360.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9274.00	रु0	-67.00
योग(अ) रु0		9634.00	रु0	-67.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1165.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6925.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		16559.00	रु0	-9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 38 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री बालमुकुन्द सिंह व श्री चंद्र प्रकाश सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम सिंह

निवासी-ग्राम-बरवल माफी,

पोस्ट-खोरठा,

गोरखपुर, उ0 प्र0 273401

आवंटन पत्र सं0 38 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 38 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 0.00 रु0 0.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 -1664.00 रु0 -1652.00

योग(अ) रु0 -1664.00 रु0 -1652.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 0.00 रु0 0.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00

महायोग(अ+ब) रु0 4096.00 रु0 -1594.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 54** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री महेन्द्र

पुत्र/पुत्री श्री दयाराम

निवासी-ग्राम-लटकना,

पोस्ट-सोनबरसा बाबू, तहसील-खजनी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **404** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 54** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	614.00	रु0	10.00
योग(अ) रु0	रु0	614.00	रु0	10.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	74.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0	रु0	794.00	रु0	9.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	1408.00	रु0	19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 175** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री देवकी नंदन कानोडिया,

पुत्र/पुत्री श्री श्याम सुन्दर कानोडिया,

निवासी-ग्राम-केशोपुर,

तहसील एवं थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **247** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 175** से0 **23** क्षे. **201.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3987.00	रु0	-405.00
योग(अ) रु0 3987.00 रु0 -405.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	482.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4020.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0 4502.00 रु0 40.00				
महायोग(अ+ब) रु0 8489.00 रु0 -365.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 402.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 33 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामानन्द गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-शेषपुर,

गीता प्रेस रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 33 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 33 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 157** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विकास कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-दिनेश मेडिकल स्टोर,

सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **203** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 157** से0 **23** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3648.00	रु0	-19.00
योग(अ) रु0		3648.00	रु0	-19.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	441.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4000.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0		4441.00	रु0	40.00
महायोग(अ+ब) रु0		8089.00	रु0	21.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **400.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 20 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी श्री रामनारायण यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-21-22, वैराजधाम सोस, वैरेली सुरत,

कोडोदरा,

गुजरात-394327

आवंटन पत्र सं0 20 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 20 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-78.00	रु0	-313.00
योग(अ) रु0		-78.00	रु0	-313.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5682.00	रु0	-255.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 3** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती तारा कानोडिया

पुत्र/पुत्री

निवासी-ए-83, सेक्टर-23, गीडा,

सहजनवॉ आवासीय योजना, सहजनवॉ,

गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 **353** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 3** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-237.00	रु0	-468.00
योग(अ) रु0				
		-237.00	रु0	-468.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		483.00	रु0	-461.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 21** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धीरेन्द्र कुमार यादव

पुत्र/पुत्री श्री चन्द्रशेखर यादव

श्री धीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री चन्द्रशेखर यादव

निवासी-ग्राम-सुरगहना, पोस्ट-कोदरी, तहसील-सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **371** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 21** से0 **23** क्षे. **43.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	98.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1716.00	रु0	5.00
योग(अ) रु0 1814.00 रु0 5.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	219.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	860.00	रु0	9.00
योग(ब) रु0 1079.00 रु0 9.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2893.00 रु0 14.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 86.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 24** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री जयनाथ सिंह

पुत्र/पुत्री श्री सूर्य प्रताप सिंह

निवासी-ग्राम-चड़राव, पोस्ट-चड़राव,

थाना-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **344** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 24** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	112.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2052.00	रु0	22.00
योग(अ) रु0		2164.00	रु0	23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	261.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1341.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		3505.00	रु0	36.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 9** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शशिबाला मौर्य

पुत्र/पुत्री

निवासी-राजी सेमरा, नं.-2, चरगोंवा,

वार्ड नं.-2, हरसेवकपुर नं.-2, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश-273014

आवंटन पत्र सं0 **330** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 9** से0 **23** क्षे. **73.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1460.00	रु0	15.00
योग(ब) रु0		1460.00	रु0	15.00
महायोग(अ+ब) रु0		1460.00	रु0	15.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **146.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 42 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अंशुमान मद्देशिया

पुत्र/पुत्री श्री अंगद प्रसाद

निवासी-वार्ड नं.-15, लुचुई,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 305 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 42 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35.00	रु0	-36.00
योग(अ) रु0	रु0	35.00	रु0	-36.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0	रु0	1923.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	1958.00	रु0	-17.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 67** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुनील कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री पत्थर गुप्त

निवासी-घघसरा बाजार (मन्झरिया),

पोस्ट-घघसरा, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **217** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 67** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1214.00	रु0	12.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9699.00	रु0	98.00
योग(अ) रु0		10913.00	रु0	110.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1320.00	रु0	13.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4560.00	रु0	45.00
महायोग(अ+ब) रु0		15473.00	रु0	155.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 5** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती माला सिंह पत्नी श्री विजय सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गौरा रोहारी, पोस्ट-गायघाट,

थाना-कलवारी, तहसील-सदर,

जिला-बस्ती।

आवंटन पत्र सं0 **270** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 5** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	7379.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13857.00	रु0	27.00
योग(अ) रु0		21236.00	रु0	28.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2569.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4489.00	रु0	23.00
महायोग(अ+ब) रु0		25725.00	रु0	51.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 49** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनीता जायसवाल पत्नी श्री प्रेम चन्द्र जायसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-प्रकाश दाल मिल,

सहजनवाँ बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **320** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 49** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-192.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -192.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 1920.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1728.00 रु0 19.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 13** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुनील कुमार कसेरा पुत्र स्व0 ओंकार कसेरा

पुत्र/पुत्री

निवासी-नियामत चक, मोहल्ला-हजारीपुर,

कानपुर पाईप के पीछे,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **363** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 13** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	376.00	रु0	-41.00
योग(अ) रु0				
		376.00	रु0	-41.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	45.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		765.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1141.00	रु0	-34.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 65** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती जयमाला कुमारी पत्नी श्री विष्णु शर्मा

पुत्र/पुत्री

एवं श्री मदन मिश्रा पुत्र श्री पुरुषोत्तम मिश्रा

निवासी-108-आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता (उत्तरी),

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **140** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 65** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	-79.00
योग(अ) रु0				
		-324.00	रु0	-79.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2916.00	रु0	-47.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 123** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अवनीश प्रकाश पुत्र श्री रामाज्ञा एवं श्री आमोद प्रकाश रावत पुत्र श्री रामाज्ञा

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-सिद्धार्थपुरम विस्तार एच0आई0जी0-2/32

पोस्ट-सिद्धार्थ इन्क्लेव, तारामंडल रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **129** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 123** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3610.00	रु0	38.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14661.00	रु0	147.00
योग(अ) रु0		18271.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2210.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5450.00	रु0	55.00
महायोग(अ+ब) रु0		23721.00	रु0	240.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 145** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री जोखन प्रसाद पुत्र स्व0 छेदी यादव

पुत्र/पुत्री स्व0 छेदी यादव

निवासी-ए-22, असीम पार्क सोसायटी

बिहाइन्ड नित्यानन्द काम्पलेक्स सुसेन तरसाली

रोड बड़ोदरा, गुजरात।

आवंटन पत्र सं0 **128** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 145** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **313.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5958.00** रु0 **-2796.00**

योग(अ) रु0 6271.00 रु0 -2796.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **759.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 3999.00 रु0 32.00

महायोग(अ+ब) रु0 10270.00 रु0 -2764.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 29** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम प्यारे शुक्ला पुत्र स्व0 भरत नारायण शुक्ला

पुत्र/पुत्री

एवं श्रीमती अर्चना शुक्ल पत्नी श्री जय प्रकाश शुक्ल

निवासी-सी-81, बुद्ध बिहार कामर्शियल, माधव पेट्रोल पम्प के पी

तारामंडल, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **199** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 29** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **14164.00** रु0 **300.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **24455.00** रु0 **364.00**

योग(अ) रु0 38619.00 रु0 664.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4671.00** रु0 **80.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 7911.00 रु0 112.00

महायोग(अ+ब) रु0 46530.00 रु0 776.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 30** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शशिकला पत्नी डा0 सुरेन्द्र प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री सर्वजीत

निवासी-प्राणि विज्ञान विभाग,

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **294** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 30** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-43.00	रु0	-63.00
योग(अ) रु0 -43.00 रु0 -63.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 1920.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1877.00 रु0 -44.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 50** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बिमल कुमार मिश्र

पुत्र/पुत्री श्री शिव नारायण मिश्र

निवासी-बी-244, सेक्टर-बी,,

सैनिक विहार, कूडाघाट,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **138** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 50** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 0.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 71** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती पूनम सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशोपुर,

थाना एवं पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **95** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 71** से0 **23** क्षे. **270.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1902.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15698.00	रु0	127.00
योग(अ) रु0		17600.00	रु0	138.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2129.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5400.00	रु0	54.00
योग(ब) रु0		7529.00	रु0	71.00
महायोग(अ+ब) रु0		25129.00	रु0	209.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **540.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 35** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद वर्मा

पुत्र/पुत्री स्व0 राजेन्द्र प्रसाद वर्मा

निवासी-वार्ड संख्या-6, तिवारी टोला,

मगहर,

जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **35** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 35** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **5108.00** रु0 **5.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **28513.00** रु0 **101.00**

योग(अ) रु0 33621.00 रु0 106.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4067.00** रु0 **13.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5760.00** रु0 **58.00**

योग(ब) रु0 9827.00 रु0 71.00

महायोग(अ+ब) रु0 43448.00 रु0 177.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 106** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कौशल्या देवी यादव पत्नी श्री साधू सरण यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-जंगल दिगर (सूपा), पोस्ट-सिधौली,

थाना-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **188** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 106** से0 **23** क्षे. **226.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-536.00	रु0	-190.00
योग(अ) रु0		-536.00	रु0	-190.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4520.00	रु0	45.00
योग(ब) रु0		4520.00	रु0	45.00
महायोग(अ+ब) रु0		3984.00	रु0	-145.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **452.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 117** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री फेकू सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-लिप्स आईसकीम फैक्ट्री,

हडहवा फाटक रोड, बशारतपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **208** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 117** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	5680.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17695.00	रु0	57.00
योग(अ) रु0		23375.00	रु0	60.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2828.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		6068.00	रु0	39.00
महायोग(अ+ब) रु0		29443.00	रु0	99.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 156** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कुसुम यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-नयनसर

पोस्ट-पीपीगंज, तहसील-कैम्पियरगंज,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **152** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 156** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	28.00
योग(अ) रु0		3240.00	रु0	28.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	392.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3632.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		6872.00	रु0	64.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 54** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रविन्द्र पुत्र श्री अयोध्या

पुत्र/पुत्री श्री अयोध्या

निवासी-मकान संख्या-49,

ग्राम-मकरहट, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, यू0पी0

आवंटन पत्र सं0 **54** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 54** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-583.00	रु0	-6.00
योग(अ) रु0		-583.00	रु0	-6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5177.00	रु0	52.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 56 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अरविन्द कुमार प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश

पुत्र/पुत्री श्री ओम प्रकाश

निवासी-935-आवास विकास कालोनी,

महादेव झारखण्डी, कूडाघाट,

गोरखपुर 273008

आवंटन पत्र सं0 56 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 56 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-18.00	रु0	-1483.00
योग(अ) रु0		-18.00	रु0	-1483.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5742.00	रु0	-1425.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 7 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री बलिकरन एवं श्री बलिकरन पुत्र स्व0 राजबली,

पुत्र/पुत्री श्री बलिकरन एवं स्व0 राजबली

निवासी-मकान संख्या-1131, आवास विकास कालोनी,

महादेव झारखण्डी, पोस्ट-कूडाघाट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 7 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 7 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	25432.00	रु0	549.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43634.00	रु0	663.00
योग(अ) रु0		69066.00	रु0	1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	8355.00	रु0	146.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		14115.00	रु0	204.00
महायोग(अ+ब) रु0		83181.00	रु0	1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 30** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ध्रुव प्रताप सिंह पुत्र श्री रामरक्षा सिंह एवं

पुत्र/पुत्री

कुमारी सोनी सिंह पुत्री श्री ध्रुव प्रताप सिंह

निवासी-वार्ड-6, नेशनल हाइवे रोड, डा0 फारुखी के बगल में, ग्र

पोस्ट-सहजनवॉ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **382** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 30** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1471.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4080.00	रु0	37.00
योग(अ) रु0		5551.00	रु0	48.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	672.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1392.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		6943.00	रु0	61.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 32 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री धर्मवीर यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-38 नकहा नं.-1, यादव टोला,

शिव मंदिर, वार्ड नं.-19, गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री,

उ0 प्र0 273007

आवंटन पत्र सं0 32 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 32 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-82.00
योग(अ) रु0		-108.00	रु0	-82.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5652.00	रु0	-24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 47** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती पूनम

पुत्र/पुत्री

निवासी-13, डुमरी मंझरिया,

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश 273411

आवंटन पत्र सं0 **397** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 47** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	23.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	920.00	रु0	10.00
योग(अ) रु0 943.00 रु0 10.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	114.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 834.00 रु0 9.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1777.00 रु0 19.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 E 25 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री मदन यादव

पुत्र/पुत्री श्री मदन यादव

निवासी-द्वारा श्री अजय कुमार यादव

भवन एल0आई0जी0 संख्या-141, शास्त्रीनगर,

गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 375 दिनांक 30/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या E 25 से0 23 क्षे. 36.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-102.00	रु0	-43.00
योग(अ) रु0		-102.00	रु0	-43.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		618.00	रु0	-36.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 72.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 45 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र स्व0 बजरंगी लाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-शेखपुर,

गीता प्रेस,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 45 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 45 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 1 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती सुमन जायसवाल पत्नी श्री सत्य प्रकाश जायसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बोंसगाँव, मुहल्ला-दोनखर,

वार्ड संख्या-5,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 266 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 1 से0 23 क्षे. 104.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	26.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4140.00	रु0	-36.00
योग(अ) रु0		4166.00	रु0	-36.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	504.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2080.00	रु0	21.00
योग(ब) रु0		2584.00	रु0	21.00
महायोग(अ+ब) रु0		6750.00	रु0	-15.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 208.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 82** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरी लाल गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता

विजय पेन कार्नर, गोलघर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **82** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 82** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	500.00	रु0	-30.00
योग(अ) रु0		500.00	रु0	-30.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	37.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5797.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		6297.00	रु0	28.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 27** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनुराधा मिश्रा पत्नी श्री दिपक मिश्र

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-कटाई टीकर,

मिश्रवलिया,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **347** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 27** से0 **23** क्षे. **61.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	425.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3528.00	रु0	-51.00
योग(अ) रु0 3953.00 रु0 -51.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	478.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1220.00	रु0	12.00
योग(ब) रु0 1698.00 रु0 12.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5651.00 रु0 -39.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 122.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 11** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री नीलकमल यादव

पुत्र/पुत्री श्री राम मिलन यादव

निवासी-ग्राम-महदेईया

पोस्ट-भीटीरावत, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **332** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 11** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	105.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1996.00	रु0	-71.00
योग(अ) रु0 2101.00 रु0 -71.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	254.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1334.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3435.00 रु0 -60.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 2** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेन्द्र कुमार यादव

पुत्र/पुत्री श्री राम अवतार यादव

निवासी-ग्राम-रसूलाबाद, पोस्ट-मगहर,

थाना-खलीलाबाद,

जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **323** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 2** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	626.00	रु0	23.00
योग(अ) रु0 626.00 रु0 23.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	11.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1091.00 रु0 12.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1717.00 रु0 35.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 141** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरखचन्द सिंह पुत्र स्व0 रामसकल सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशोपुर, वार्ड नं0 7,

थाना-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **170** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 141** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	484.00	रु0	-12.00
योग(अ) रु0	रु0	484.00	रु0	-12.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	45.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0	रु0	3285.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	3769.00	रु0	20.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 23 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अम्बिका सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 बासदेव सिंह

निवासी-पीली कोठी, रुस्तमपुर,

पोस्ट-शिवपुरी, थाना-कैन्ट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 23 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 23 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 16 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री संदीप गोयल पुत्र श्री प्रदीप गोयल एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती मोनी गोयल

निवासी-मैसर्स ट्रीडेन्ट स्टील, भूखण्ड संख्या एफ0एल0-5,

सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 16 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 16 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 4579.00 रु0 0.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 22928.00 रु0 -2235.00

योग(अ) रु0 27507.00 रु0 -2235.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 3328.00 रु0 0.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 9088.00 रु0 58.00

महायोग(अ+ब) रु0 36595.00 रु0 -2177.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 69** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती इन्द्रा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-अहिरौली बुजुर्ग

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **221** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 69** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-244.00	रु0	-490.00
योग(अ) रु0	-244.00	रु0	-490.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0	3240.00	रु0	32.00	
महायोग(अ+ब) रु0	2996.00	रु0	-458.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/ नौ- /भू0सं0 **E 26** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी गुन्जेश्वरी चौधरी पुत्री श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी

पुत्र/पुत्री श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी

निवासी-सूर्य बिहार कालोनी,

ई0डब्लू0एस0-219, गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **376** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 26** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3134.00	रु0	65.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5426.00	रु0	79.00
योग(अ) रु0		8560.00	रु0	144.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1035.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1755.00	रु0	24.00
महायोग(अ+ब) रु0		10315.00	रु0	168.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 173** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शीला सिंह पत्नी श्री विजय बहादुर सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-एच0आई0जी0-129, शास्त्रीपुरम,

गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **148** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 173** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3432.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14363.00	रु0	-79.00
योग(अ) रु0 17795.00 रु0 -79.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2153.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 5393.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 23188.00 रु0 -47.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 22** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कविता पत्नी श्री बजरंगी सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-पतरैठा, पोस्ट-सिसवा उर्फ सिउवा,

पथरहठा, बोंसगोंव,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **342** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 22** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1098.00	रु0	-156.00
योग(अ) रु0 1099.00 रु0 -156.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	133.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1213.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2312.00 रु0 -145.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 146** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अनूप कुमार सिंह पुत्र श्री दयाशंकर सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-सरसोपार,

पोस्ट-भुसवल, तहसील-बोंसगाँव,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **119** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 146** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **1234.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **9753.00** रु0 **-828.00**

योग(अ) रु0 10987.00 रु0 -828.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1330.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 4570.00 रु0 32.00

महायोग(अ+ब) रु0 15557.00 रु0 -796.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 62** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेन्द्र मोहन राय पुत्र श्री अनिरुद्ध प्रसाद राय एवं

पुत्र/पुत्री श्री अनिरुद्ध प्रसाद राय

श्रीमती किरन राय पत्नी श्री शैलेन्द्र मोहन राय,

निवासी-ग्राम-सखीनी, पोस्ट-कोटवा मिश्र,

जिला-देवरिया-274404

आवंटन पत्र सं0 **105** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 62** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1125.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9360.00	रु0	24.00
योग(अ) रु0		10485.00	रु0	24.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1268.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4508.00	रु0	35.00
महायोग(अ+ब) रु0		14993.00	रु0	59.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 40 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती रुपम शुक्ला पत्नी श्री राकेश शुक्ला

पुत्र/पुत्री श्री विजयानन्द तिवारी

निवासी-27आर मझौली कम्पाउण्ड,

दाउदपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 40 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 40 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 703.00 रु0 0.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 11866.00 रु0 -359.00

योग(अ) रु0 12569.00 रु0 -359.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 1521.00 रु0 0.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 7281.00 रु0 58.00

महायोग(अ+ब) रु0 19850.00 रु0 -301.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 16** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री चन्द्रजीत यादव पुत्र श्री प्रभुनाथ यादव

पुत्र/पुत्री श्री प्रभुनाथ यादव

निवासी-चक नकदह,

उनवल, टेकवार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **157** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 16** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40.00	रु0	-179.00
योग(अ) रु0 40.00 रु0 -179.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3243.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3283.00 रु0 -147.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 11 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती कलावती सिंह पत्नी स्व0 हंस नाथ सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री विजयेन्द्र नाथ सिंह,

333-कलाकुंज, पुराना गोरखपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 11 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 11 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 25432.00 रु0 549.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 43634.00 रु0 663.00

योग(अ) रु0 69066.00 रु0 1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 8355.00 रु0 146.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 14115.00 रु0 204.00

महायोग(अ+ब) रु0 83181.00 रु0 1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 44** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती बीना गोयल

पुत्र/पुत्री

निवासी-सी-42/1

सूरजकुण्ड कालोनी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **44** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 44** से0 **23** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-38.00	रु0	-77.00
योग(अ) रु0 -38.00 रु0 -77.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6000.00	रु0	60.00
योग(ब) रु0 6000.00 रु0 60.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5962.00 रु0 -17.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 600.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 79 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती ज्ञानमती वर्मा पत्नी डा0 जटा शंकर वर्मा

पुत्र/पुत्री

निवासी-अशोक नगर (गनेशपुर)

तहसील व पोस्ट-आनन्द नगर,

जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र सं0 79 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 79 से0 23 क्षे. 330.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 29140.00 रु0 626.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 49997.00 रु0 755.00

योग(अ) रु0 79137.00 रु0 1381.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 9573.00 रु0 167.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 6600.00 रु0 66.00

योग(ब) रु0 16173.00 रु0 233.00

महायोग(अ+ब) रु0 95310.00 रु0 1614.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 660.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 62** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री श्रवण सिंह पुत्र स्व0 महातम सिंह एवं श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री श्रवण सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

सिविल लाईन्स,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **411** दिनांक **08/09/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 62** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	897.00	रु0	-62.00
योग(अ) रु0		897.00	रु0	-62.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	108.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1188.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		2085.00	रु0	-51.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 97** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विकास पाण्डेय पुत्र श्री पियूष पाण्डेय

पुत्र/पुत्री श्री पियूष पाण्डेय

निवासी-135-आवास विकास कालोनी,

महादेव झारखण्डी,

कूडाघाट, गोरखपुर-273008

आवंटन पत्र सं0 **226** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 97** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	14164.00	रु0	123.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24455.00	रु0	245.00
योग(अ) रु0		38619.00	रु0	368.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4671.00	रु0	45.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		7911.00	रु0	77.00
महायोग(अ+ब) रु0		46530.00	रु0	445.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 11** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 रघुनाथ प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा विजय पेन कार्नर एण्ड आर्टीकल,

गोलघर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **111** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 11** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	371.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6466.00	रु0	-85.00
योग(अ) रु0		6837.00	रु0	-85.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	827.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4067.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		10904.00	रु0	-53.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 6** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मिथिलेश कुमार गिरि पुत्र श्री पारस नाथ गिरि

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मकरहट,

पोस्ट-पाली, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **356** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 6** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	274.00	रु0	-111.00
योग(अ) रु0 274.00 रु0 -111.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	34.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 754.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1028.00 रु0 -104.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 126** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम प्रवेश रजक पुत्र स्व0 गनेश प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-श्री राम रेखा सिंह इण्टर कालेज,

उऊवा बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **166** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 126** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **14214.00** रु0 **304.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **24487.00** रु0 **365.00**

योग(अ) रु0 38701.00 रु0 669.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4682.00** रु0 **81.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 7922.00 रु0 113.00

महायोग(अ+ब) रु0 46623.00 रु0 782.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 29** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री सिद्धनाथ त्रिपाठी एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती गीता त्रिपाठी पत्नी श्री भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी

निवासी-द्वारा दुर्गा प्रसाद तिवारी-शिक्षक नगर लुचुई

सहजनवॉ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **293** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 29** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	806.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5971.00	रु0	-20.00
योग(अ) रु0 6777.00 रु0 -20.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	819.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 2739.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 9516.00 रु0 -1.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 24 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री दिग्विजय सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-श्री चन्द्र प्रकाश राय,

मकान संख्या-7बी, महुई, सुधरपुर,

रुस्तमपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 24 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 24 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-934.00	रु0	-28.00
योग(अ) रु0		-934.00	रु0	-28.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		4826.00	रु0	30.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 20** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती माला देवी

पुत्र/पुत्री श्री शिव प्रसाद

निवासी-ग्राम-खुटभार

पोस्ट-खजनी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **370** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 20** से0 **23** क्षे. **37.66** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3269.00	रु0	74.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5669.00	रु0	91.00
योग(अ) रु0		8938.00	रु0	165.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1082.00	रु0	20.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	753.00	रु0	8.00
योग(ब) रु0		1835.00	रु0	28.00
महायोग(अ+ब) रु0		10773.00	रु0	193.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 75.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 191** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम नाथ यादव पुत्र स्व0 छोगुर प्रसाद यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-मुहल्ला-पिपरा वार्ड नं0-10,

नगर पंचायत, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **100** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 191** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2177.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11601.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0		13778.00	रु0	-2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1667.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4907.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		18685.00	रु0	30.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 140** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम गोपाल छापडिया पुत्र स्व0 घनश्याम दास छापडिया,

पुत्र/पुत्री

निवासी-गौरी कटरा,

गीता प्रेस रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **191** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 140** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1760.00	रु0	-618.00
योग(अ) रु0 -1760.00 रु0 -618.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1480.00 रु0 -586.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 56** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विवेक सिंह

पुत्र/पुत्री श्री रामजी सिंह

निवासी-ग्राम-केशोपुर,

वार्ड संख्या-8, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **176** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 56** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-42.00	रु0	-434.00
योग(अ) रु0 -42.00 रु0 -434.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0 3600.00 रु0 36.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3558.00 रु0 -398.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 44** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गिरिजा देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड संख्या 6

नगर पंचायत, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **243** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 44** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	-49.00
योग(अ) रु0 -324.00 रु0 -49.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2916.00 रु0 -17.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 31** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती धूपा देवी,

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-सिंघवलिया,

पोस्ट-महैता, ब्लॉक-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **381** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 31** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	700.00	रु0	-63.00
योग(अ) रु0 700.00 रु0 -63.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	85.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 805.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1505.00 रु0 -56.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 8** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम दरश पुत्र श्री जय करन

पुत्र/पुत्री

निवासी-15/35 कल्याणपुरी,

ब्लाक नं0-15,

दिल्ली-110091

आवंटन पत्र सं0 **273** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 8** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1728.00	रु0	20.00
योग(अ) रु0		1728.00	रु0	20.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	210.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2130.00	रु0	21.00
महायोग(अ+ब) रु0		3858.00	रु0	41.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 189** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विश्वनाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय

पुत्र/पुत्री स्व0 राधेश्याम पाण्डेय

निवासी-बिछिया रामलीला मैदान के 100 कदम आगे

गोरखपुर।

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **169** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 189** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2239.00	रु0	-146.00
योग(अ) रु0 2239.00 रु0 -146.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	271.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3511.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5750.00 रु0 -114.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 28** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती विभा पाण्डेय पत्नी श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बड़गहन,

पोस्ट-बड़गहन,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **348** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 28** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	118.00	रु0	103.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2109.00	रु0	125.00
योग(अ) रु0		2227.00	रु0	228.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	269.00	रु0	28.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1349.00	रु0	39.00
महायोग(अ+ब) रु0		3576.00	रु0	267.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 35** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री भरनी नाथ पुत्र श्री भागीरथी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-डिभिया,

पोस्ट-खोराबार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **252** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 35** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1210.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9683.00	रु0	24.00
योग(अ) रु0 10893.00 रु0 24.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1318.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4558.00 रु0 35.00				
महायोग(अ+ब) रु0 15451.00 रु0 59.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 36** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सविता नाथानी पत्नी श्री राकेश कुमार नाथानी

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड संख्या-9,

गॉंधी नगर, सेवरही,

जनपद-कुशीनगर।

आवंटन पत्र सं0 **205** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 36** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	334.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6148.00	रु0	-22.00
योग(अ) रु0 6482.00 रु0 -22.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	784.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4024.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 10506.00 रु0 10.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 16** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री लोरिक प्रसाद पुत्र स्व0 श्रीकान्त

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गढुआखोर,

पोस्ट-मदनपुरा,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **336** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 16** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	104.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1985.00	रु0	25.00
योग(अ) रु0		2089.00	रु0	27.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	253.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1333.00	रु0	15.00
महायोग(अ+ब) रु0		3422.00	रु0	42.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 2** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. गरीब लाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-बशारतपुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **352** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 2** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **3134.00** रु0 **65.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5426.00** रु0 **79.00**

योग(अ) रु0 8560.00 रु0 144.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1035.00** रु0 **17.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **720.00** रु0 **7.00**

योग(ब) रु0 1755.00 रु0 24.00

महायोग(अ+ब) रु0 10315.00 रु0 168.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 21** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राजेश कुमार पाण्डेय

पुत्र/पुत्री श्री हरिश्चन्द्र पाण्डेय

निवासी-ग्राम व पोस्ट-मिर्जापुर बाजार,

थाना-खोराबार

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **341** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 21** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2951.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6826.00	रु0	34.00
योग(अ) रु0		9777.00	रु0	39.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1183.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		2263.00	रु0	15.00
महायोग(अ+ब) रु0		12040.00	रु0	54.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 23** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरिहर सिंह पुत्र स्व0 रामनरेश सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-मैसर्स नेशनल इलेक्ट्रिकल्स,

भूखण्ड संख्या ए0यू0-8,

सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **343** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 23** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	123.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2151.00	रु0	22.00
योग(अ) रु0		2274.00	रु0	23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	275.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1355.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		3629.00	रु0	36.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 29** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अशोक कुमार

पुत्र/पुत्री श्री बरसाती राम

निवासी-96ए, मोहल्ला-आजाद नगर,

बॉसी, चंदगरिया, सिद्धार्थनगर,

उ0 प्र0 272153

आवंटन पत्र सं0 **379** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 29** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-567.00	रु0	-15.00
योग(अ) रु0	-567.00	रु0	-15.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0	720.00	रु0	7.00	
महायोग(अ+ब) रु0	153.00	रु0	-8.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 82** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री लालचन्द, हरिराम एवं यमूना यादव पुत्रगण श्री रामगनेश

पुत्र/पुत्री श्री रामगनेश

निवासी-ग्राम-कुआवल कला,

पोस्ट-हरपुर बुदहट, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **153** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 82** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3681.00	रु0	42.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14782.00	रु0	157.00
योग(अ) रु0		18463.00	रु0	199.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2234.00	रु0	24.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5474.00	रु0	56.00
महायोग(अ+ब) रु0		23937.00	रु0	255.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 95** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुधा अग्रवाल पुत्र श्री महावीर अग्रवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-सुधा अग्रवाल द्वारा हनुमान ट्रेडिंग कम्पनी,

मेन मार्केट सहजनवाँ, बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **228** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 95** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2516.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12754.00	रु0	119.00
योग(अ) रु0		15270.00	रु0	141.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1847.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5087.00	रु0	49.00
महायोग(अ+ब) रु0		20357.00	रु0	190.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 149** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनारकली

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-लखनापार,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **255** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 149** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-612.00	रु0	-72.00
योग(अ) रु0 -612.00 रु0 -72.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2628.00 रु0 -40.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/ नौ- /भू0सं0 **B 14** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कुसुम देवी, श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री सूरज कुमार गुप्ता एवं श्री पंकज कुमार गुप्ता
पुत्र/पुत्री श्री हरि राम गुप्ता

निवासी-मेन मार्केट हरी राम एण्ड सन्स

चुलुई वार्ड नं.-15, सहजनवाँ,

गोरखपुर उ0 प्र0-273209

आवंटन पत्र सं0 **251** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **B 14** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद्
में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **0.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **-2786.00** रु0 **-628.00**

योग(अ) रु0 -2786.00 रु0 -628.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **0.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00

महायोग(अ+ब) रु0 454.00 रु0 -596.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष
धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का
कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव
शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया
धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने
का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय
होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत
भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 17** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रीता देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ई0डब्ल्यू0एस0 32/33,

गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **258** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 17** से0 **23** क्षे. **285.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-123.00	रु0	-116.00
योग(अ) रु0				
		-123.00	रु0	-116.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5700.00	रु0	57.00
योग(ब) रु0				
		5700.00	रु0	57.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		5577.00	रु0	-59.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 570.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 170** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मिथिलेश राय पत्नी श्री ऋषिदेव राय

पुत्र/पुत्री

निवासी-पाण्डेय कालोनी,

अलहदादपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **237** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 170** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1057.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9099.00	रु0	34.00
योग(अ) रु0		10156.00	रु0	34.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1228.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4468.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		14624.00	रु0	70.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 6 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बनारसी सिंह

पुत्र/पुत्री श्री बनारसी सिंह

निवासी-ग्राम-केशोपुर वार्ड नं.-7,

नगर पंचायत सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 271 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 6 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	134.00	रु0	-38.00
योग(अ) रु0		134.00	रु0	-38.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	9.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1929.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		2063.00	रु0	-19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 142** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती विमला सिंह पत्नी श्री विनोद सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशवपुर वार्ड नं0-7,

तहसील एवं थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **193** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 142** से0 **23** क्षे. **198.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-923.00	रु0	-67.00
योग(अ) रु0 -923.00 रु0 -67.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3960.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0 3960.00 रु0 40.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3037.00 रु0 -27.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 52** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुरेन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री श्री रामनाथ सिंह

निवासी-ग्राम-धनखिरियों,

पोस्ट-घेचुआँ, बखिरा खास,

जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **402** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 52** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-473.00	रु0	1.00
योग(अ) रु0 -473.00 रु0 1.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 247.00 रु0 8.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 109** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 रामसुमेर सिंह

निवासी-ग्राम-खरवलिया कला,

पोस्ट-विश्वनाथपुर,

जिला-संतकबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **162** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 109** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3201.00	रु0	-44.00
योग(अ) रु0 3201.00 रु0 -44.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	388.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3628.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6829.00 रु0 -12.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 168** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धीरेन्द्र कुमार

पुत्र/पुत्री श्री जनार्दन प्रसाद

निवासी-पिपरा, वार्ड संख्या-10,

सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **204** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 168** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-545.00	रु0	-38.00
योग(अ) रु0				
		-545.00	रु0	-38.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2695.00	रु0	-6.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 17** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 बासदेव शर्मा

पुत्र/पुत्री स्व0 बासदेव शर्मा

निवासी-आवास संख्या टाइप II/2

राजकीय पालिटेक्निक

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **367** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 17** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-146.00	रु0	-43.00
योग(अ) रु0 -146.00 रु0 -43.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 574.00 रु0 -36.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 9** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

डा0 ओम प्रकाश पुत्र स्व0 राम राज

पुत्र/पुत्री स्व0 राम राज

निवासी-द्वारा श्री अरविन्द कुमार राम्हन मकान -327,

इलाहीबाग, लाला टोला,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **113** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 9** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -324.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2916.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 84** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री कमल चन्द सिंह पुत्र स्व0 राजा राम सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गौरी बुजुर्ग,

पोस्ट-गौरी बाजार,

जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र सं0 **161** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 84** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-423.00	रु0	-31.00
योग(अ) रु0	-423.00	रु0	-31.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0	3240.00	रु0	32.00	
महायोग(अ+ब) रु0	2817.00	रु0	1.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 83** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शशांक कनोडिया पुत्र श्री विश्नु कुमार

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा एन0टी0सी0,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **83** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 83** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-111.00	रु0	-408.00
योग(अ) रु0 -111.00 रु0 -408.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5649.00 रु0 -350.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 96** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती आशा द्विवेदी पत्नी श्री मारकण्डेय द्विवेदी

पुत्र/पुत्री

निवासी-एच0 नं.-84ए, तारामंडल रोड,
सेन्ट्रल एकेडमी, शाखा भरवलिया बुजुर्ग,
गोरखपुर, उ0 प्र0-273016

आवंटन पत्र सं0 **265** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 96** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-40.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -40.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3200.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 7 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती लीलावती देवी श्रीवास्तव पत्नी स्व0 गनेश लाल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री स्व0 सुरेश लाल श्रीवास्तव

निवासी-ग्राम-रक्षा नारा,

पोस्ट-छताई (खजनी),

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 272 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 7 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1262.00	रु0	-53.00
योग(अ) रु0		-1262.00	रु0	-53.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		658.00	रु0	-34.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 36** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री अंगद कुमार

पुत्र/पुत्री श्री रामानुज

निवासी-ग्राम-भेलन्दरी,

पोस्ट-भगवानपुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **299** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 36** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2224.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8832.00	रु0	64.00
योग(अ) रु0		11056.00	रु0	75.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1337.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		3257.00	रु0	28.00
महायोग(अ+ब) रु0		14313.00	रु0	103.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 E 12 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजेश कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 सिंहासन प्रसाद गुप्ता

निवासी-द्वारा श्री उदित नारायण गुप्ता, माया बाजार,

दक्षिणी फाटक, डाक्टर सरकारी के पीछे,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 362 दिनांक 30/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या E 12 से0 23 क्षे. 36.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	377.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2518.00	रु0	27.00
योग(अ) रु0		2895.00	रु0	32.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	350.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1070.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		3965.00	रु0	43.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 72.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 10** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शान्ति देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-घुरियापार,

पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **360** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 10** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **3134.00** रु0 **65.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5426.00** रु0 **79.00**

योग(अ) रु0 8560.00 रु0 144.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1035.00** रु0 **17.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **720.00** रु0 **7.00**

योग(ब) रु0 1755.00 रु0 24.00

महायोग(अ+ब) रु0 10315.00 रु0 168.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 57 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती बबिता जालान पत्नी श्री मनोज जालान

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-134/5,

बसन्तपुर, सदर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 57 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 57 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	127.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7001.00	रु0	31.00
योग(अ) रु0		7128.00	रु0	31.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	862.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6622.00	रु0	62.00
महायोग(अ+ब) रु0		13750.00	रु0	93.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 164** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ऋषि त्रिपाठी पुत्र श्री सुनील दत्त त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-483, बेतियाहाता, ऋद्धि-सिद्धि प्रोविजन के

हनुमान मंदिर रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **144** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 164** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -324.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2916.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 165** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शारदा देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-हरपुर उर्फ दुबरिया,

खजुरी खास,

खजनी, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **224** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 165** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3784.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14946.00	रु0	-48.00
योग(अ) रु0		18730.00	रु0	-48.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2266.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5506.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		24236.00	रु0	-16.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 60** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनिता यादव पत्नी श्री सुनील कुमार यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-सुरगहना,

कोदरी, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 **410** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 60** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-165.00	रु0	-268.00
योग(अ) रु0 -165.00 रु0 -268.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 555.00 रु0 -261.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 16 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री विजय कुमार गौतम पुत्र श्री बाबूलाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-शास्त्री नगर गुमला,

पोस्ट-गुमला, जिला-गुमला,

झारखण्ड।

आवंटन पत्र सं0 280 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 16 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10.00	रु0	-37.00
योग(अ) रु0		10.00	रु0	-37.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0	1.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0 19.00
योग(ब) रु0		1921.00	रु0 19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1931.00	रु0 -18.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 36** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती राजपति देवी पत्नी स्व0 राम चन्द्र गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-पुर्दिलपुर, माखन भोग के पीछे,

सिनेमा रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **386** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 36** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **3134.00** रु0 **65.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5426.00** रु0 **79.00**

योग(अ) रु0 8560.00 रु0 144.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1035.00** रु0 **17.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **720.00** रु0 **7.00**

योग(ब) रु0 1755.00 रु0 24.00

महायोग(अ+ब) रु0 10315.00 रु0 168.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 108** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम किशुन पुत्र स्व0 जिआरु

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-बी-2,

तिवारीपुर कालोनी, सूरजकुण्ड रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **125** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 108** से0 **23** क्षे. **174.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **15317.00** रु0 **330.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **26332.00** रु0 **399.00**

योग(अ) रु0 41649.00 रु0 729.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **5038.00** रु0 **89.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3480.00** रु0 **35.00**

योग(ब) रु0 8518.00 रु0 124.00

महायोग(अ+ब) रु0 50167.00 रु0 853.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **348.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 3** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री उमाशंकर पुत्र स्व0 रुपई प्रसाद

पुत्र/पुत्री स्व0 रुपई प्रसाद

निवासी-ग्राम-बहरामपुर (कुरमौल)

पोस्ट-भैसहॉ, सरदार नगर,

जिला-गोरखपुर-273202

आवंटन पत्र सं0 **324** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 3** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	12.00
योग(अ) रु0				
		1080.00	रु0	12.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	131.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1211.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2291.00	रु0	25.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 14** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम कृपाल पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद

पुत्र/पुत्री स्व0 गंगा प्रसाद

निवासी-जंगल हकीम नं0-2, मोहनापुर,

पासी टोला, पोस्ट-पादरी बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **364** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 14** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1437.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4044.00	रु0	36.00
योग(अ) रु0		5481.00	रु0	47.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	663.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1383.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		6864.00	रु0	60.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 10** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शारदा देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-भपसा,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **146** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 10** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	372.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6472.00	रु0	5.00
योग(अ) रु0		6844.00	रु0	5.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	828.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4068.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		10912.00	रु0	37.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 66** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुशील दूबे पुत्र श्री जगत नारायण दूबे

पुत्र/पुत्री श्री जगत नारायण दूबे

निवासी-मकान संख्या-297,

आजाद नगर, रुस्तमपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **171** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 66** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-131.00	रु0	-596.00
योग(अ) रु0 -131.00 रु0 -596.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3109.00 रु0 -564.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 53** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री दान बहादुर सिंह
पुत्र/पुत्री श्री दान बहादुर सिंह
निवासी-द्वारा विद्यार्थी बुक डिपो (थाने के सामने)
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **102** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 53** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1289.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9908.00	रु0	-100.00
योग(अ) रु0 11197.00 रु0 -100.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1355.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4595.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 15792.00 रु0 -68.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 162** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री राम मोहन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गाहासांड, वार्ड नं0-2,

नगर पंचायत सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **121** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 162** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-74.00	रु0	-55.00
योग(अ) रु0				
		-74.00	रु0	-55.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3166.00	रु0	-23.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 119** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुधीर कुमार यादव पुत्र स्व0 मुनिराम यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा आफिसर इनचार्ज,

ए0सी0एस0 गोरखपुर एयरपोर्ट,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **124** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 119** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3334.00	रु0	-333.00
योग(अ) रु0 3337.00 रु0 -333.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	403.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3643.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6980.00 रु0 -301.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 52** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कुसुम सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-129,

मुहल्ला-बड़पार,

तहसील एवं जिला-महराजगंज।

आवंटन पत्र सं0 **92** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 52** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	13434.00	रु0	41.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24516.00	रु0	156.00
योग(अ) रु0		37950.00	रु0	197.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4591.00	रु0	24.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		7831.00	रु0	56.00
महायोग(अ+ब) रु0		45781.00	रु0	253.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 51** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सविता राय पत्नी श्री कुलदीप नारायण राय

पुत्र/पुत्री स्व0 राममिलन पाडे

निवासी-मकान संख्या-100/120बी, निकट शक्ति पेट्रोल पम्प,

तहसील-सदर, तुर्कमानपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **51** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 51** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1632.00	रु0	-447.00
योग(अ) रु0 1632.00 रु0 -447.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	197.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5957.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 7589.00 रु0 -389.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 43 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री इब्राहिम सिद्दीकी

पुत्र/पुत्री श्री अब्दूल हबीब

निवासी-ग्राम व पोस्ट-गोविन्दपुर,

जिला-देवरिया।

यू0पी0।

आवंटन पत्र सं0 306 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 43 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-249.00	रु0	-190.00
योग(अ) रु0		-249.00	रु0	-190.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1671.00	रु0	-171.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 93** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अम्बरीश नाथ पाण्डेय पुत्र डा0 कुबेर नाथ पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

एवं श्री ओंकार नाथ पाण्डेय पुत्र डा0 कुबेर नाथ पाण्डेय

निवासी-डी-74, बुद्ध बिहार, पार्ट-बी, तारामंडल,

रामपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **158** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 93** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	477.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6877.00	रु0	24.00
योग(अ) रु0		7354.00	रु0	24.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	889.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4129.00	रु0	35.00
महायोग(अ+ब) रु0		11483.00	रु0	59.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 15 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती मंजु प्रसाद पत्नी श्री राम उजग प्रसाद

पुत्र/पुत्री

एवं श्री राम उजग प्रसाद

निवासी-2डी, टाईप-5, सेक्टर-3, वी एच ईल

रानीपुर, हरिद्वार।

आवंटन पत्र सं0 15 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 15 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1109.00	रु0	-4.00
योग(अ) रु0		1109.00	रु0	-4.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0	4.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0 58.00
योग(ब) रु0		5764.00	रु0 58.00
महायोग(अ+ब) रु0		6873.00	रु0 54.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 45** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सरिता

पुत्र/पुत्री

निवासी-खजनी उसवा बाबू,

बसियाखोर,

उत्तर प्रदेश-273212

आवंटन पत्र सं0 **395** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 45** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-168.00	रु0	-170.00
योग(अ) रु0 -168.00 रु0 -170.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 552.00 रु0 -163.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 78** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती ललित किशोरी सिंह पत्नी स्व0 एस0पी0 सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-सी-124/169ए, राम बाग कालोनी,

जटेपुर उत्तरी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **78** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 78** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **2143.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **17180.00** रु0 **-1043.00**

योग(अ) रु0 19323.00 रु0 -1043.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **2338.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5760.00** रु0 **58.00**

योग(ब) रु0 8098.00 रु0 58.00

महायोग(अ+ब) रु0 27421.00 रु0 -985.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 135** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती चारु कक्कड पत्नी श्री सुमित कक्कड एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती नीता कक्कड पत्नी श्री सौरभ कक्कड,

निवासी-दिवान पैकेजिंग प्रा0 लि0, भूखण्ड संख्या ए-2/35,

सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **134** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 135** से0 **23** क्षे. **125.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9040.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17589.00	रु0	-205.00
योग(अ) रु0		26629.00	रु0	-205.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3222.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2500.00	रु0	25.00
योग(ब) रु0		5722.00	रु0	25.00
महायोग(अ+ब) रु0		32351.00	रु0	-180.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **250.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 18 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री आरीब शकील

पुत्र/पुत्री श्री शकील अहमद खान

निवासी-भवन संख्या 412-सी, कुन्ती नगर,

मछली दफ्तर के पीछे, गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 18 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 18 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2096.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17222.00	रु0	174.00
योग(अ) रु0		19318.00	रु0	196.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2337.00	रु0	24.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		8097.00	रु0	82.00
महायोग(अ+ब) रु0		27415.00	रु0	278.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 185** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुनीता पत्नी श्री गणेश कुमार

पुत्र/पुत्री

निवासी-पुलिस लाईन,

खलीलाबाद स0-272175

आवंटन पत्र सं0 **439** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 185** से0 **23** क्षे. **200.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	15678.00	रु0	323.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29007.00	रु0	424.00
योग(अ) रु0		44685.00	रु0	747.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	5405.00	रु0	91.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4005.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0		9410.00	रु0	131.00
महायोग(अ+ब) रु0		54095.00	रु0	878.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **401.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 64** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती चन्द्रकला देवी पत्नी श्री राजाराम

पुत्र/पुत्री श्री मोतीलाल

निवासी-ग्राम व पोस्ट-पकड़ियार विशुनपुर,

थाना-घुघली (पुरैना),

जिला-महाराजगंज (यू0पी0)

आवंटन पत्र सं0 **484** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 64** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	124.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2160.00	रु0	22.00
योग(अ) रु0		2284.00	रु0	23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	276.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1356.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		3640.00	रु0	36.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 72** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मीनु सोनी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र अमेठिया

पुत्र/पुत्री श्री बैजनाथ सोनी

निवासी-मकान संख्या-5/490, जगदम्मा निवास,

भुजौली रोड,

देवरिया-274001

आवंटन पत्र सं0 **492** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 72** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	656.00	रु0	-370.00
योग(अ) रु0 656.00 रु0 -370.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	79.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1159.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1815.00 रु0 -359.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 20** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम स्वरूप श्रीवास्तव पुत्र श्री जय प्रकाश लाल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री

निवासी-292-रुस्तमपुर (आजाद नगर)

पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी,

गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 **427** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 20** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-83.00	रु0	-48.00
योग(अ) रु0				
		-83.00	रु0	-48.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3157.00	रु0	-16.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 67** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रवि प्रकाश पुत्र श्री राम ललित आर्या

पुत्र/पुत्री श्री राम ललित आर्या

निवासी-ग्राम-भरवल, पोस्ट-भड़सार,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **449** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 67** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **1542.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7680.00** रु0 **-166.00**

योग(अ) रु0 9222.00 रु0 -166.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1116.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1920.00** रु0 **19.00**

योग(ब) रु0 3036.00 रु0 19.00

महायोग(अ+ब) रु0 12258.00 रु0 -147.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 46** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मनुरामा सिंह पुत्र स्व0 पारस सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 पारस सिंह

निवासी-मुरारी इण्टर कालेज,

सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **468** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 46** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	785.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4125.00	रु0	2.00
योग(अ) रु0		4910.00	रु0	2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	594.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1674.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		6584.00	रु0	13.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 25** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अवध नरेश सिंह पुत्र श्री ब्रह्मदेव सिंह एवं

पुत्र/पुत्री

श्री महाराज सिंह पुत्र श्री ब्रह्मदेव सिंह

निवासी-ग्राम व पोस्ट-गहांसांड, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **428** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 25** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2032.00	रु0	-36.00
योग(अ) रु0 2032.00 रु0 -36.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	246.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3486.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5518.00 रु0 -4.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 82** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मनोज कुमार

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-सिंधवलिया

थाना-हरपुर बुदहट, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **502** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 82** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	477.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3495.00	रु0	19.00
योग(अ) रु0		3972.00	रु0	20.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	481.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1561.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		5533.00	रु0	33.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 183** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री जीत नारायण पाण्डेय

पुत्र/पुत्री श्री विश्वदेव पाण्डेय

निवासी-ग्राम-पनिका, पोस्ट-डुमरी निवास,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **437** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 183** से0 **23** क्षे. **220.82** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4207.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0	4207.00	रु0	-11.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	509.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4416.00	रु0	44.00
योग(ब) रु0	4925.00	रु0	44.00	
महायोग(अ+ब) रु0	9132.00	रु0	33.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **442.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 74** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शशिभूषण मिश्र पुत्र श्री चन्द्रभूषण मिश्र

पुत्र/पुत्री

एवं श्रीमती प्रीती मिश्रा पत्नी श्री शशि भूषण मिश्र

निवासी-ग्राम व पोस्ट-वकुची,

जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र सं0 **518** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 74** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2819.00	रु0	57.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5215.00	रु0	74.00
योग(अ) रु0		8034.00	रु0	131.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	972.00	रु0	15.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1692.00	रु0	22.00
महायोग(अ+ब) रु0		9726.00	रु0	153.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 77** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गिरिजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह

पुत्र/पुत्री पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह

निवासी-ग्राम-मुहम्मदपुर माफी,

पोस्ट-जगतबेला,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **497** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 77** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	909.00	रु0	-379.00
योग(अ) रु0 909.00 रु0 -379.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	110.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1190.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2099.00 रु0 -368.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 68 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री दीन दयाल पुत्र स्व0 नागू प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-विकास खण्ड,

नाथनगर,

संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 450 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 68 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2233.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8847.00	रु0	-40.00
योग(अ) रु0		11080.00	रु0	-40.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1340.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		3260.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		14340.00	रु0	-21.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 93 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री रामनगीना सिंह

पुत्र/पुत्री श्री बृजनाथ सिंह

निवासी-ग्राम-मकरहट,

पोस्ट-पाली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 418 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 93 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक रु0 22547.00 रु0 463.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 41718.00 रु0 615.00

योग(अ) रु0 64265.00 रु0 1078.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक रु0 7774.00 रु0 130.00

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 5760.00 रु0 58.00

योग(ब) रु0 13534.00 रु0 188.00

महायोग(अ+ब) रु0 77799.00 रु0 1266.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 65** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गिरजेश मिश्रा पुत्र श्री विजय प्रताप मिश्र

पुत्र/पुत्री

निवासी-विष्णु मंदिर कालोनी,

पोस्ट-गीता वाटिका,

जिला-गोरखपुर-273006

आवंटन पत्र सं0 **509** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 65** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	442.00	रु0	-1.00
योग(अ) रु0 442.00 रु0 -1.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	53.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 773.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1215.00 रु0 6.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 57** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा

पुत्र/पुत्री

निवासी-नई कालोनी, वार्ड नं. 14

लुचुई, सहजनवाँ,

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

आवंटन पत्र सं0 **479** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 57** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-6.00	रु0	-30.00
योग(अ) रु0				
		-6.00	रु0	-30.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1074.00	रु0	-19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 67** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री साधु सरन सिंह पुत्र स्व0 राम कोमल सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-चड़रांव,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **487** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 67** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1684.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5539.00	रु0	30.00
योग(अ) रु0		7223.00	रु0	34.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	874.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1954.00	रु0	15.00
महायोग(अ+ब) रु0		9177.00	रु0	49.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 188** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रंजीता

पुत्र/पुत्री श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

ग्राम-डडवा मनोहर,

पोस्ट-बोंसगोंव,

जिला-गोरखपुर-273403

आवंटन पत्र सं0 **440** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 188** से0 **23** क्षे. **174.90** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-267.00	रु0	-63.00
योग(अ) रु0				
		-267.00	रु0	-63.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3498.00	रु0	35.00
योग(ब) रु0				
		3498.00	रु0	35.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3231.00	रु0	-28.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 350.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 59** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अशोक कुमार तिवारी पुत्र श्री सम्पति तिवारी

पुत्र/पुत्री

निवासी-महाराणा प्रताप इण्टर कालेज,

गोलघर,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **481** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 59** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4227.00** रु0 **89.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7822.00** रु0 **117.00**

योग(अ) रु0 12049.00 रु0 206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1457.00** रु0 **25.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2537.00 रु0 36.00

महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 242.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 64** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनुराधा मौर्य पत्नी श्री करुणापति मौर्य

पुत्र/पुत्री श्री लाले

निवासी-जी 1/01 रेल बिहार कालोनी प्रथम,

चरगोंवा,

गोरखपुर-273013

आवंटन पत्र सं0 **508** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 64** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-428.00	रु0	-96.00
योग(अ) रु0				
		-428.00	रु0	-96.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		292.00	रु0	-89.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 83** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शीला देवी

पुत्र/पुत्री

श्रीमती शीला देवी पुत्री श्रीमती छब्बा देवी,

निवासी-ग्राम व मुहल्ला-पिपरा, पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **521** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 83** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-57.00	रु0	-42.00
योग(अ) रु0 -57.00 रु0 -42.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 663.00 रु0 -35.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 95** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-बक्शीपुर,

निकट-प्राचीन काली मन्दिर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **420** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 95** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **498.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **10087.00** रु0 **-17523.00**

योग(अ) रु0 10585.00 रु0 -17523.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1281.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5760.00** रु0 **58.00**

योग(ब) रु0 7041.00 रु0 58.00

महायोग(अ+ब) रु0 17626.00 रु0 -17465.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 97** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-बक्शीपुर,

निकट-प्राचीन काली मन्दिर,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **422** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 97** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **498.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **10094.00** रु0 **-8780.00**

योग(अ) रु0 10592.00 रु0 -8780.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1281.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5760.00** रु0 **58.00**

योग(ब) रु0 7041.00 रु0 58.00

महायोग(अ+ब) रु0 17633.00 रु0 -8722.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 98** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-बक्शीपुर,

निकट-प्राचीन काली मन्दिर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **423** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 98** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	501.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10116.00	रु0	-54.00
योग(अ) रु0		10617.00	रु0	-54.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1284.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7044.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		17661.00	रु0	4.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 76** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री यदुनाथ साहनी

पुत्र/पुत्री श्री रामानन्द बिनेसर

निवासी-174, सहजनवाँ, सिसईघाट रोड, नि0-सब्जी मण्डी का पू

केशवपुर वार्ड सं0 9, सहजनवाँ

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **496** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 76** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	445.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3363.00	रु0	16.00
योग(अ) रु0		3808.00	रु0	17.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	460.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1540.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		5348.00	रु0	30.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 37** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री पुरुषोत्तम कुमार पुत्र श्री रामदीन प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कालेसर (दक्षिणी)

पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **461** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 37** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	828.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4227.00	रु0	-267.00
योग(अ) रु0				
		5055.00	रु0	-267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	611.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1691.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		6746.00	रु0	-256.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 83** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री उमाशंकर पुत्र स्व0 लालमन

पुत्र/पुत्री

निवासी- शिक्षा अध्यापक,

जिला कारागार,

बाराबंकी।

आवंटन पत्र सं0 **503** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 83** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	39.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1419.00	रु0	13.00
योग(अ) रु0		1458.00	रु0	13.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	176.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1256.00	रु0	13.00
महायोग(अ+ब) रु0		2714.00	रु0	26.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 71** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री हर्ष वर्धन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-जाल्हेपार,

पोस्ट-लखनापार, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **515** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 71** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-28.00	रु0	-62.00
योग(अ) रु0 -28.00 रु0 -62.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 692.00 रु0 -55.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 177** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम अनुज सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह

ग्राम एवं पोस्ट-घघसरा, वाया-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **432** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 177** से0 **23** क्षे. **234.71** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **18376.00** रु0 **373.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **34000.00** रु0 **498.00**

योग(अ) रु0 52376.00 रु0 871.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **6336.00** रु0 **106.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **4694.00** रु0 **47.00**

योग(ब) रु0 11030.00 रु0 153.00

महायोग(अ+ब) रु0 63406.00 रु0 1024.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **469.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 64** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती द्रोपती सिंह पत्नी श्री नागेन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,

ग्राम व पोस्ट-घघसरा, वाया सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **416** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 64** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6023.00	रु0	-214.00
योग(अ) रु0	रु0	6032.00	रु0	-214.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	730.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0	रु0	6490.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	12522.00	रु0	-156.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 60** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रुबी गुप्ता पत्नी श्री सर्वेन्द्र कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता

निवासी-द्वारा श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, मुहल्ला-हॉसूपुर

(निकट-आटा चक्की), पोस्ट-गीता प्रेस,

गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र सं0 **482** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 60** से0 **23** क्षे. **60.67** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	407.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3451.00	रु0	-124.00
योग(अ) रु0		3858.00	रु0	-124.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	467.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1213.00	रु0	12.00
योग(ब) रु0		1680.00	रु0	12.00
महायोग(अ+ब) रु0		5538.00	रु0	-112.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **121.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 62** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम निरंजन शुक्ल पुत्र श्री रविन्द्र शुक्ल

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-हरिहरपुर,

रघुनाथपुर, खजनी,

गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **506** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 62** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	426.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2443.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0				
		2869.00	रु0	-2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	347.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		1067.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3936.00	रु0	5.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 63** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सभाजीत मिश्र पुत्र स्व0 ऋषिनारायण मिश्र

पुत्र/पुत्री स्व0 ऋषिनारायण मिश्र

निवासी-ख/।।।।/।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज परिसर,

गोरखपुर-273010

आवंटन पत्र सं0 **483** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 63** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-123.00
योग(अ) रु0 -108.00 रु0 -123.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1080.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 972.00 रु0 -112.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 64** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री राम बदन यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम (मोहल्ला)-बोकटा

वार्ड नं. 06, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **446** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 64** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-202.00	रु0	-103.00
योग(अ) रु0				
		-202.00	रु0	-103.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0				
		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1718.00	रु0	-84.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 81** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री छोटेलाल सिंह

पुत्र/पुत्री श्री छोटेलाल सिंह

निवासी-ग्राम-मदरहा (नकटा)

पोस्ट-मदरिया, वाया-बड़हलगंज,

जिला-गोरखपुर-273402

आवंटन पत्र सं0 **501** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 81** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1069.00	रु0	11.00
योग(अ) रु0 1069.00 रु0 11.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	129.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1209.00 रु0 13.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2278.00 रु0 24.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 72** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बाल किशुन यादव पुत्र स्व0 भागीरथ यादव,

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मथौली,

पोस्ट-बिगही, थाना-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **429** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 72** से0 **23** क्षे. **198.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	12998.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26809.00	रु0	-67.00
योग(अ) रु0		39807.00	रु0	-67.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4815.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3960.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0		8775.00	रु0	40.00
महायोग(अ+ब) रु0		48582.00	रु0	-27.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 35** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री यशोदानन्द

पुत्र/पुत्री श्री यशोदानन्द

निवासी-99-लुचुई, वार्ड नं.-16, नगर पंचायत,

सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर,

उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **459** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 35** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-221.00	रु0	-27.00
योग(अ) रु0				
		-221.00	रु0	-27.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		859.00	रु0	-16.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 70** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अन्जनेय कुमार

पुत्र/पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा

निवासी-ग्राम-ठर्रापार,

पोस्ट-घघसरा, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **490** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 70** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **4227.00** रु0 **89.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **7822.00** रु0 **117.00**

योग(अ) रु0 12049.00 रु0 206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1457.00** रु0 **25.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **1080.00** रु0 **11.00**

योग(ब) रु0 2537.00 रु0 36.00

महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 242.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 59 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री बलवंत प्रहलाद सिंह

पुत्र/पुत्री श्री प्रहलाद सिंह

ग्राम-नगवा,

पोस्ट-जैतपुर, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 443 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 59 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	270.00	रु0	-386.00
योग(अ) रु0		270.00	रु0	-386.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1924.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		2194.00	रु0	-367.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 52 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री नन्दकिशोर सिंह पुत्र स्व0 अयोध्या सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-उसरी,

पोस्ट-पाली, बाया-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 314 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 52 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	645.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5464.00	रु0	-273.00
योग(अ) रु0		6109.00	रु0	-273.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	739.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2659.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		8768.00	रु0	-254.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 5** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री परमहंस

पुत्र/पुत्री श्री दुखन्ती

निवासी-ग्राम-महाडिह,

पोस्ट-धनौडा खुर्द (कौडीराम)

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **248** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 5** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2927.00	रु0	-59.00
योग(अ) रु0		2927.00	रु0	-59.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	354.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3594.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		6521.00	रु0	-27.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 134** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री आनन्द प्रकाश सिंह पुत्र श्री राम दरस सिंह एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती कलावती देवी पत्नी श्री ध्रुव प्रताप सिंह

निवासी-ग्राम-पिपरा, वार्ड संख्या-6,

शुक्ला नगर, सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **201** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 134** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	15739.00	रु0	76.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	27173.00	रु0	212.00
योग(अ) रु0		42912.00	रु0	288.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	5191.00	रु0	34.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		8791.00	रु0	70.00
महायोग(अ+ब) रु0		51703.00	रु0	358.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 80 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अखिलेश्वर

पुत्र/पुत्री श्री जीत बहादुर

निवासी-मकान संख्या-30,

मोहल्ला-पिपरा, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 80 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 80 से0 23 क्षे. 336.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	998.00	रु0	10.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17142.00	रु0	175.00
योग(अ) रु0		18140.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2194.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6720.00	रु0	67.00
योग(ब) रु0		8914.00	रु0	90.00
महायोग(अ+ब) रु0		27054.00	रु0	275.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 672.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 115** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रुमाली देवी पत्नी श्री रामकिशुन

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कालेसर,

पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **126** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 115** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1321.00	रु0	13.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9984.00	रु0	100.00
योग(अ) रु0		11305.00	रु0	113.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1368.00	रु0	13.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4608.00	रु0	45.00
महायोग(अ+ब) रु0		15913.00	रु0	158.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 1** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम गोपाल तिवारी पुत्र श्री नरसिंह तिवारी,

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट-समयथान भींटी,,

तहसील-गोला,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **262** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 1** से0 **23** क्षे. **198.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **17310.00** रु0 **373.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **29890.00** रु0 **455.00**

योग(अ) रु0 47200.00 रु0 828.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **5710.00** रु0 **100.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3960.00** रु0 **40.00**

योग(ब) रु0 9670.00 रु0 140.00

महायोग(अ+ब) रु0 56870.00 रु0 968.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 110** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनिता गौतम पत्नी श्री राजेश कुमार प्रसाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-गडसरी

गोला, जिला-गोरखपुर,

उत्तर प्रदेश 273209

आवंटन पत्र सं0 **220** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 110** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1197.00	रु0	-837.00
योग(अ) रु0 -1197.00 रु0 -837.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2043.00 रु0 -805.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 7** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कविता मौर्या

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-कटाई टीकर (मठिया)

थाना-हरपुर बुदहट, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, यू0पी0

आवंटन पत्र सं0 **357** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 7** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-85.00	रु0	-53.00
योग(अ) रु0		-85.00	रु0	-53.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		635.00	रु0	-46.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 23** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री जितेन्द्र प्रजापति

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कलानी बुजुर्ग,

कलानी खुर्द, पोस्ट-भौवापार, तहसील-सदर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **373** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 23** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	783.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3227.00	रु0	-168.00
योग(अ) रु0 4010.00 रु0 -168.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	485.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 1205.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5215.00 रु0 -161.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 8** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती निर्मल यादव पत्नी श्री बादूदेव यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-118-बी, मसावनपुर, (निलम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प

पोस्ट-रावतपुर, तहसील-सदर,

जिला-कानपुर।

आवंटन पत्र सं0 **261** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 8** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-425.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0				
		-425.00	रु0	-2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2815.00	रु0	30.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 44** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम नरेश त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री स्व0 सीताराम त्रिपाठी

निवासी-ग्राम व पोस्ट-चकरवा,

तहसील-रुद्रपुर,

जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र सं0 **394** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 44** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	179.00	रु0	-18.00
योग(अ) रु0 179.00 रु0 -18.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	21.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 741.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 920.00 रु0 -11.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 53** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कंचन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-धनखिरिया, पोस्ट-घेंचुआ,

बखिरा खास,

जिला-संतकबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **403** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 53** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-192.00	रु0	-185.00
योग(अ) रु0				
		-192.00	रु0	-185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		528.00	रु0	-178.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 43** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अंशुल धवन पुत्र श्री कमलेश कुमार धवन

पुत्र/पुत्री

निवासी-एक्सिस बैंक कास रोड,

द माल, बैंक रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **174** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 43** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	779.00	रु0	-16.00
योग(अ) रु0 779.00 रु0 -16.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	76.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3316.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4095.00 रु0 16.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 57** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी श्री रमेश चन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-भूखण्ड संख्या बी-57, सेक्टर-23

सहजनवॉ आवासीय योजना

गीडा, गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **236** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 57** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **1317.00** रु0 **12.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **9964.00** रु0 **99.00**

योग(अ) रु0 11281.00 रु0 111.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1364.00** रु0 **13.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 4604.00 रु0 45.00

महायोग(अ+ब) रु0 15885.00 रु0 156.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 25** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कुसमावती देवी पत्नी श्री अत्रिमुनि सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम लक्षन सिंह

निवासी-ग्राम-चिगौना,

पोस्ट-रिठुआखोर, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **289** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 25** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	5872.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12655.00	रु0	-273.00
योग(अ) रु0		18527.00	रु0	-273.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2242.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4162.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		22689.00	रु0	-254.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 17 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री विवेक कुमार वर्मा पुत्र श्री बासुदेव वर्मा

पुत्र/पुत्री

निवासी-सी/184/919

तुर्कमानपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 281 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 17 से0 23 क्षे. 106.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3251.00	रु0	13.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10800.00	रु0	74.00
योग(अ) रु0		14051.00	रु0	87.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1699.00	रु0	11.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2120.00	रु0	21.00
योग(ब) रु0		3819.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		17870.00	रु0	119.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 212.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 34 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सेराज अहमद पुत्र श्री जमशेद अली खॉ

पुत्र/पुत्री

निवासी-एस0 के0 फुटवीयर,

शाहमारुफ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 34 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 34 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	803.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12471.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0		13274.00	रु0	-17.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1606.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7366.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		20640.00	रु0	41.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 40 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अश्वनी प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह

निवासी-बकहा

कोपिया, संत कबीर नगर,

खलीलाबाद

आवंटन पत्र सं0 303 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 40 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1499.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7580.00	रु0	-1551.00
योग(अ) रु0		9079.00	रु0	-1551.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1099.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		3019.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		12098.00	रु0	-1532.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 85** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अखिलेश उपाध्याय पुत्र श्री हृदया नन्द उपाध्याय

पुत्र/पुत्री

निवासी-1033 ऐनी बेसंट कुँज,

गेल गॉव, दिवियापुर,

औरैया (यू0पी0)

आवंटन पत्र सं0 **85** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 85** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	18631.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38776.00	रु0	-308.00
योग(अ) रु0		57407.00	रु0	-308.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	6945.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		12705.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		70112.00	रु0	-250.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 45** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री प्रियंक श्रीवास्तव पुत्र स्व0 इन्द्रजीत श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री

निवासी-169/172

बेतियाहाता,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **214** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 45** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -324.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2916.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 11 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती नीरा सिंह पत्नी श्री उदय प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-महादेव झारखण्डी चौराहा,

आवास विकास कालोनी, मकान संख्या 1/626

कूडाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 275 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 11 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1340.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0		1340.00	रु0	-11.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	162.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2082.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		3422.00	रु0	8.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 143** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अरविन्द वर्मा

पुत्र/पुत्री श्री श्यामदेव वर्मा

निवासी-भूखण्ड संख्या बी-2/12,

सेक्टर-13, गीडा (औद्योगिक क्षेत्र),

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **160** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 143** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	363.00	रु0	77.00
योग(अ) रु0		363.00	रु0	82.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	44.00	रु0	10.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		3644.00	रु0	46.00
महायोग(अ+ब) रु0		4007.00	रु0	128.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 67** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अरविन्द कुमार गुप्त पुत्र श्री श्रीप्रकाश मद्देशिया

पुत्र/पुत्री श्री श्रीप्रकाश मद्देशिया

निवासी-श्री काली मन्दिर के सामने,

सहजनवाँ बाजार,

गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **67** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 67** से0 **23** क्षे. **336.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6048.00	रु0	67.00
योग(अ) रु0		6048.00	रु0	67.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	732.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6720.00	रु0	67.00
योग(ब) रु0		7452.00	रु0	75.00
महायोग(अ+ब) रु0		13500.00	रु0	142.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **672.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 148** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संध्या गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-श्याम प्रिन्टिंग प्रेस,

समक्ष काली मन्दिर, मुख्य बाजार,

सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **133** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 148** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3215.00	रु0	21.00
योग(अ) रु0		3215.00	रु0	21.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	389.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3629.00	रु0	34.00
महायोग(अ+ब) रु0		6844.00	रु0	55.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 124** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सतीश चन्द्र पुत्र स्व0 राम जगत शर्मा

पुत्र/पुत्री

निवासी-गीता प्लाई उड एण्ड हार्डवेयर सेन्टर,

बखिरा रोड, सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **127** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 124** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1326.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10059.00	रु0	-23.00
योग(अ) रु0		11385.00	रु0	-23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1377.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4617.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		16002.00	रु0	9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 12** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री अनुराग कुमार मझवार,

पुत्र/पुत्री

निवासी-मुहल्ला-हासूपुर पोस्ट आफिस के पीछे,

पोस्ट-गीता प्रेस,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **276** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 12** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1710.00	रु0	19.00
योग(अ) रु0 1710.00 रु0 19.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	207.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 2127.00 रु0 21.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3837.00 रु0 40.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 105** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अन्जना गुप्ता पत्नी श्री अनुपम गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री श्रीकुमार गुप्ता

निवासी-अनुपम गुप्ता एण्ड कम्पनी, सी0ए0,

निकट-हनुमान मंदिर, हजारीपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **130** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 105** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3548.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14557.00	रु0	54.00
योग(अ) रु0		18105.00	रु0	57.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2190.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5430.00	रु0	39.00
महायोग(अ+ब) रु0		23535.00	रु0	96.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 7** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती आराधना गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री रामानन्द गुप्ता, मोहल्ला-शेषपुर,

गीता प्रेस रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **200** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 7** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **14164.00** रु0 **300.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **24455.00** रु0 **364.00**

योग(अ) रु0 38619.00 रु0 664.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4671.00** रु0 **80.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 7911.00 रु0 112.00

महायोग(अ+ब) रु0 46530.00 रु0 776.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 47** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री लालजी सिंह पुत्र स्व0 गोमती सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 गोमती सिंह

निवासी-ग्राम-भिटियाँ (भीटी),

पोस्ट-चडरौवए सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-272209

आवंटन पत्र सं0 **229** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 47** से0 **23** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4107.00	रु0	-220.00
योग(अ) रु0 4116.00 रु0 -220.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	498.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4000.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0 4498.00 रु0 40.00				
महायोग(अ+ब) रु0 8614.00 रु0 -180.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 400.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 160** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राधेश्याम जायसवाल पुत्र स्व0 राम चन्द्र जायसवाल

पुत्र/पुत्री स्व0 राम चन्द्र जायसवाल

निवासी-मोहल्ला-नौसड़,(वाया शिवपुरी कालोनी)

रुस्तमपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **239** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 160** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **14164.00** रु0 **300.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **24455.00** रु0 **364.00**

योग(अ) रु0 38619.00 रु0 664.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4671.00** रु0 **80.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 7911.00 रु0 112.00

महायोग(अ+ब) रु0 46530.00 रु0 776.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 135 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती राकिया खातून

पुत्र/पुत्री

निवासी-197-ई,

सिधारीपुर, पोस्ट-गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 603 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 135 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	171.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3585.00	रु0	343.00
योग(अ) रु0		3756.00	रु0	389.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	454.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2554.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब) रु0		6310.00	रु0	541.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 117 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री मोहन लाल

पुत्र/पुत्री स्व0 राम बदल

निवासी-ग्राम-तेनुहारी (शुक्ल)

पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 635 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 117 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	88.00	रु0	7.00
योग(अ) रु0		88.00	रु0	7.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	9.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1449.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1537.00	रु0	79.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 107** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती तारा कानोडिया

पुत्र/पुत्री

निवासी-ए-83, सेक्टर-23

गीडा, सहजनवाँ आवासीय योजना, सहजनवाँ,

गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 **540** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 107** से0 **23** क्षे. **49.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	973.00	रु0	-25.00
योग(अ) रु0		973.00	रु0	-25.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	117.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	980.00	रु0	49.00
योग(ब) रु0		1097.00	रु0	49.00
महायोग(अ+ब) रु0		2070.00	रु0	24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **98.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 86 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सच्चिदानन्द सिंह चौहान

पुत्र/पुत्री श्री रामधनी सिंह

निवासी-ग्राम-कन्जरा दिलसादपुर,

पोस्ट-लीलापट्टी बनकटिया, तहसील-सगड़ी,

जिला-आजमगढ़, उ0 प्र0।

आवंटन पत्र सं0 599 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 86 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-63.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0		-63.00	रु0	-11.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		2037.00	रु0	94.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 74** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 रामनाथ उपाध्याय

पुत्र/पुत्री स्व0 रामनाथ उपाध्याय

निवासी-ग्राम व पोस्ट-तिहा मोहम्मदपुर,

तहसील-गोला

जिला-गोरखपुर 273402

आवंटन पत्र सं0 **566** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 74** से0 **23** क्षे. **101.88** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	374.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4612.00	रु0	333.00
योग(अ) रु0		4986.00	रु0	379.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	603.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2038.00	रु0	102.00
योग(ब) रु0		2641.00	रु0	148.00
महायोग(अ+ब) रु0		7627.00	रु0	527.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **204.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 120 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती राम कुमारी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-अमटौरा

थाना-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 604 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 120 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 61** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनुराधा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-अलहदादपुर,

निकट-टी.डी.एम. इण्टर कालेज,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **526** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 61** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **0.00** रु0 **129.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **-226482.00** रु0 **940.00**

योग(अ) रु0 -226482.00 रु0 1069.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **0.00** रु0 **129.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **5184.00** रु0 **288.00**

योग(ब) रु0 5184.00 रु0 417.00

महायोग(अ+ब) रु0 -221298.00 रु0 1486.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 68** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री नीरज गुप्ता पुत्र स्व0 रघुनाथ प्रसाद गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 रघुनाथ प्रसाद गुप्ता

निवासी-पिपलडारा डीह बाबा,

कूड़ाघाट,

गोरखपुर-273008

आवंटन पत्र सं0 **512** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 68** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	75.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1369.00	रु0	-1642.00
योग(अ) रु0		1444.00	रु0	-1642.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	174.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		894.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		2338.00	रु0	-1635.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 66** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती मनोरमा मिश्रा पत्नी श्री हृदय नारायण मिश्र

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मल्हीपुर, पोस्ट-पिपरौली,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **486** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 66** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	981.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4514.00	रु0	41.00
योग(अ) रु0		5495.00	रु0	48.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	664.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1744.00	रु0	17.00
महायोग(अ+ब) रु0		7239.00	रु0	65.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 32** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री रामचन्द्र

पुत्र/पुत्री श्री रामचन्द्र

निवासी-ग्राम-बरयाभर उर्फ नकहां,

पोस्ट-विगही,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **456** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 32** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -108.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1080.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 972.00 रु0 11.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 31** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बुद्धिराम साहनी

पुत्र/पुत्री श्री राम ललित

निवासी-ग्राम-दरुवाँ, पोस्ट-घघसरा,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **455** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 31** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8.00	रु0	-372.00
योग(अ) रु0		8.00	रु0	-372.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		1088.00	रु0	-361.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 184** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मोहन झा

पुत्र/पुत्री श्री सन्तोषी झा

निवासी-जेमनी रेजीडेन्सी, मेडिकल कालेज रोड,

वार्ड नं0-31, गीता वाटिका,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **438** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 184** से0 **23** क्षे. **200.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	428.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7730.00	रु0	36.00
योग(अ) रु0		8158.00	रु0	36.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	987.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4005.00	रु0	40.00
योग(ब) रु0		4992.00	रु0	44.00
महायोग(अ+ब) रु0		13150.00	रु0	80.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **401.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 47** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दीनानाथ सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 देव नारायण सिंह

निवासी-ग्राम-भुजौली,

पोस्ट-चड़रांव,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **469** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 47** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	860.00	रु0	-311.00
योग(अ) रु0		860.00	रु0	-311.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	104.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1184.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		2044.00	रु0	-300.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 107 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

विपत प्रसाद एवं श्रीमती दुर्गावती देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-विजौवा,

पोस्ट-रिठुआखोर,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 593 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 107 से0 23 क्षे. 100.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-499.00	रु0	-4.00
योग(अ) रु0		-499.00	रु0	-4.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2000.00	रु0	100.00
योग(ब) रु0		2000.00	रु0	100.00
महायोग(अ+ब) रु0		1501.00	रु0	96.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 200.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 60 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अजीत सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 अमिश चंद सिंह

निवासी-ओ-260, स्मृति निवास,

कौशलपुरम, रामजानकी नगर,

बशारतपुर, गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र सं0 525 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 60 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1059.00	रु0	129.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13035.00	रु0	940.00
योग(अ) रु0		14094.00	रु0	1069.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1705.00	रु0	129.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	288.00
योग(ब) रु0		7465.00	रु0	417.00
महायोग(अ+ब) रु0		21559.00	रु0	1486.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 103** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रेनू देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-विशुनपुरा,

पोस्ट-मिनवा, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **641** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 103** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-77.00	रु0	-50.00
योग(अ) रु0 -77.00 रु0 -50.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0 1000.00 रु0 50.00				
महायोग(अ+ब) रु0 923.00 रु0 0.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 79** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती वीना रानी पत्नी श्री जीत बहादुर

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशापुर,

वार्ड नं0-8, नगर पंचायत, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **629** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 79** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		2100.00	रु0	105.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 75** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शारदा देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-भिटनी,

पोस्ट-चड़राव,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **600** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 75** से0 **23** क्षे. **142.64** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-608.00	रु0	-5.00
योग(अ) रु0 -608.00 रु0 -5.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2853.00	रु0	143.00
योग(ब) रु0 2853.00 रु0 143.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2245.00 रु0 138.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 285.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 134 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री प्रमोद सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राज बहादुर सिंह

निवासी-ग्राम-गाहासांड,

वार्ड नं.-15,

सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 586 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 134 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-160.00	रु0	-4.00
योग(अ) रु0		-160.00	रु0	-4.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1940.00	रु0	101.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 106 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री मुन्शी लाल

पुत्र/पुत्री श्री राम मूरत

निवासी-प्रधान टोला,

सिहापार, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 597 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 106 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1972.00	रु0	23.00
योग(अ) रु0		1972.00	रु0	23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	238.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2338.00	रु0	107.00
महायोग(अ+ब) रु0		4310.00	रु0	130.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 35** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गिरिजेश कुमार गुप्त पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री राधेश्याम गुप्ता

निवासी-मकान संख्या बी-297 द्वारा श्री राजेश कुमार गुप्त

आवास विकास कालोनी, शाहपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **385** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 35** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-162.00	रु0	-111.00
योग(अ) रु0		-162.00	रु0	-111.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		720.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0		558.00	रु0	-104.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 19** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रितेश प्रताप मल्ल

पुत्र/पुत्री श्री बृजकिशोर मल्ल

निवासी-ग्राम-जोगिया,

पोस्ट-पाली सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **339** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 19** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-41.00	रु0	-37.00
योग(अ) रु0		-41.00	रु0	-37.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		1039.00	रु0	-26.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 71 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री श्यामभोज दास पुत्र श्री बैरागी दास

पुत्र/पुत्री श्री बैरागी दास

निवासी-फ्लैट नं0 5 सी, पाकेट डी-2, कॉडली घड़ौली,

मयूर विहार फेज-3,

दिल्ली-110096

आवंटन पत्र सं0 71 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 71 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-616.00	रु0	-558.00
योग(अ) रु0		-616.00	रु0	-558.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5144.00	रु0	-500.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 10 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री लौकेश शर्मा

पुत्र/पुत्री पुत्र स्व0 रामचन्दर

निवासी-ग्राम-सुरगहना, पोस्ट-कोदरी,

थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 10 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 10 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	25432.00	रु0	549.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43634.00	रु0	663.00
योग(अ) रु0		69066.00	रु0	1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक	01/01/2022	से	31/12/2022	तक	रु0	8355.00	रु0	146.00	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट					रु0	5760.00	रु0	58.00	
योग(ब)						रु0	14115.00	रु0	204.00
महायोग(अ+ब)						रु0	83181.00	रु0	1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 86** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुषमा त्रिपाठी पत्नी श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशोपुर (बगिया गेट)

पोस्ट-सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **524** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 86** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1282.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3875.00	रु0	-20.00
योग(अ) रु0				
		5157.00	रु0	-20.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	624.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		1344.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		6501.00	रु0	-13.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 101** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेन्द्र यादव एवं श्री नरेन्द्र यादव

पुत्र/पुत्री पुत्रगण स्व0 रामसुरेश यादव

निवासी-ग्राम-मोहम्मदपुर (माफी)

पोस्ट-सदर, पोस्ट-जगतबेला,

जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र सं0 **426** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 101** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1981.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16560.00	रु0	-288.00
योग(अ) रु0 18541.00 रु0 -288.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2243.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 8003.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 26544.00 रु0 -230.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 94** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री साधुसरन सिंह

पुत्र/पुत्री श्री साधुसरन सिंह

निवासी-ग्राम व पोस्ट-चड़रांव,

तहसील एवं थाना-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **419** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 94** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	8992.00	रु0	114.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29561.00	रु0	333.00
योग(अ) रु0		38553.00	रु0	447.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4664.00	रु0	54.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		10424.00	रु0	112.00
महायोग(अ+ब) रु0		48977.00	रु0	559.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 12** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री प्रह्लाद कुमार कुशवाहा,

पुत्र/पुत्री श्री महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा

श्री प्रह्लाद कुमार कुशवाहा पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा

निवासी-446, बक्शीपुर, प्राचीन काली मन्दिर के पास, वार्ड नं0-6

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

आवंटन पत्र सं0 **99** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 12** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2680.00	रु0	21.00
योग(अ) रु0		2680.00	रु0	21.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	324.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3564.00	रु0	34.00
महायोग(अ+ब) रु0		6244.00	रु0	55.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 22** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती माया देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-बिजौवा

रिठुआखोर

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **372** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 22** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	555.00	रु0	-32.00
योग(अ) रु0	555.00	रु0	-32.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	68.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0	788.00	रु0	7.00	
महायोग(अ+ब) रु0	1343.00	रु0	-25.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 41** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व0 प्रतापदित्य राम त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री स्व0 प्रतापदित्य राम त्रिपाठी

निवासी-अरविन्द आवास (डा0 शुक्ला वाली गली)

बेतिया हाता,

गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र सं0 **304** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 41** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	199.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3648.00	रु0	38.00
योग(अ) रु0		3847.00	रु0	40.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	465.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2385.00	रु0	24.00
महायोग(अ+ब) रु0		6232.00	रु0	64.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 69** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा

पुत्र/पुत्री श्री बाबू लाल शर्मा

निवासी-मकान संख्या-145, सेक्टर-21 बी,

इंदिरा गॉंधी कालोनी, एन0आई0टी0

फरीदाबाद (हरियाणा)-121001

आवंटन पत्र सं0 **489** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 69** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	981.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4514.00	रु0	43.00
योग(अ) रु0		5495.00	रु0	50.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	664.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1744.00	रु0	17.00
महायोग(अ+ब) रु0		7239.00	रु0	67.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 65** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती नीतू पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-समदहॉ,

तहसील-खलीलाबाद, थाना-बखिरा,

जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 **447** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 65** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	337.00	रु0	-2892.00
योग(अ) रु0 337.00 रु0 -2892.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	41.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 1961.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2298.00 रु0 -2873.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 71** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती आरती देवी

पुत्र/पुत्री श्री भगीरथी

निवासी-द्वारा श्री रामसिंघार चौधरी

मुहल्ला-पंत नगर (खूनीपुर चौराहा)

पोस्ट-बॉसी, सिद्धार्थनगर।

आवंटन पत्र सं0 **491** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 71** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	4227.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7822.00	रु0	-31.00
योग(अ) रु0 12049.00 रु0 -31.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1457.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 2537.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 14586.00 रु0 -20.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 48** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री चन्द्रशेखर यादव

पुत्र/पुत्री श्री चन्द्रशेखर यादव

निवासी-ग्राम-सुरगहना,

पोस्ट-कोदरी, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **470** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 48** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-37.00	रु0	-8.00
योग(अ) रु0				
		-37.00	रु0	-8.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1043.00	रु0	3.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 153** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बृजभूषण शाही पुत्र स्व0 गोरखनाथ शाही

पुत्र/पुत्री स्व0 गोरखनाथ शाही

निवासी-ग्राम व पोस्ट-महुआपार

(बड़हलगंज)

गोरखपुर-273402

आवंटन पत्र सं0 **154** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 153** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-18.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -18.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3222.00 रु0 32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 26** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दीपक शाही पुत्र श्री महन्थ शाही

पुत्र/पुत्री श्री महन्थ शाही

निवासी-ग्राम व पोस्ट-महुआपार,

थाना-बड़हलगंज,

जिला-गोरखपुर-273402

आवंटन पत्र सं0 **159** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 26** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20.00	रु0	-104.00
योग(अ) रु0 -20.00 रु0 -104.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3220.00 रु0 -72.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 169** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दयाराम यादव पुत्र स्व0 जोखू राम यादव

पुत्र/पुत्री स्व0 जोखू राम यादव

निवासी-192-सी, इन्दिरा नगर (दारुदपुर)

पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी,

जिला-गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 **225** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 169** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-324.00	रु0	-96.00
योग(अ) रु0				
		-324.00	रु0	-96.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2916.00	रु0	-64.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 55** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दुर्गेश कुमार अग्रहरी पुत्र श्री बासदेव प्रसाद अग्रहरी

पुत्र/पुत्री

निवासी-न्यू अग्रहरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी,

डी-155, ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **216** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 55** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	44.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3071.00	रु0	-117.00
योग(अ) रु0 3115.00 रु0 -117.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	377.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3617.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6732.00 रु0 -85.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 40** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती पुनीता चौरसिया पत्नी श्री अजय कुमार

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा श्री महेन्द्र कुमार

ग्राम-मंझरिया, पोस्ट-उरुआ बाजार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **390** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 40** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	72.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1706.00	रु0	-199.00
योग(अ) रु0				
		1778.00	रु0	-199.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	215.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1295.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3073.00	रु0	-188.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 47** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र स्व0 रामचरन गोयल

पुत्र/पुत्री स्व0 रामचरन गोयल

निवासी-श्री जेटू जी एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0,

भूखण्ड संख्या ए0एल0-16, सेक्टर-13, गीडा,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **47** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 47** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-64.00	रु0	-237.00
योग(अ) रु0		-64.00	रु0	-237.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5696.00	रु0	-179.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 55 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती मीना राय पत्नी श्री पंकज राय

पुत्र/पुत्री

निवासी-फ्लैट नं.-2-018, टॉवर नं0-10, रायल पार्क पूर्वान्वल f

नोयडा, गौतम बुद्ध नगर (उ0 प्र0)

आवंटन पत्र सं0 55 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 55 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9373.00	रु0	128.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30047.00	रु0	349.00
योग(अ) रु0		39420.00	रु0	477.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4769.00	रु0	57.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		10529.00	रु0	115.00
महायोग(अ+ब) रु0		49949.00	रु0	592.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 38** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिनेश पंडित एवं श्री राजेश पंडित पुत्रगण स्व0 बॉके पंडित

पुत्र/पुत्री स्व0 बॉके पंडित

निवासी-ग्राम-नथनपुरा, पोस्ट-भरतपुरा,

थाना-जी0पी0नगर, तरवारा,

जिला-सिवान (बिहार)

आवंटन पत्र सं0 **112** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 38** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **5347.00** रु0 **0.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **16996.00** रु0 **19.00**

योग(अ) रु0 22343.00 रु0 19.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **2703.00** रु0 **2.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 5943.00 रु0 34.00

महायोग(अ+ब) रु0 28286.00 रु0 53.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 102** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रभूषण सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-द्वारा अभिषेक ट्रेडर्स,

कसया,

कुशीनगर।

आवंटन पत्र सं0 **249** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 102** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-87.00	रु0	-91.00
योग(अ) रु0 -87.00 रु0 -91.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3153.00 रु0 -59.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 43** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरिद्वार गुप्ता पुत्र स्व0 सुखारी गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 सुखारी गुप्ता

निवासी-ग्राम-चाडी,

पोस्ट-बोंसगोंव,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **393** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 43** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	392.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2443.00	रु0	6.00
योग(अ) रु0				
		2835.00	रु0	6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	343.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		1063.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3898.00	रु0	13.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 50 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

राजाराम

पुत्र/पुत्री तीर्थराज

निवासी-ग्राम-बौरडीह,

पोस्ट-मैनाभागर, थाना-चिलुआताल,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 312 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 50 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2001.00	रु0	5.00
योग(अ) रु0		2004.00	रु0	5.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	242.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2162.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		4166.00	रु0	24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 48 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री श्रीराम

पुत्र/पुत्री श्री श्रीराम

निवासी-ग्राम-मुस्तफाबाद उर्फ मलउर

पोस्ट-पाली, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 311 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 48 से0 23 क्षे. 108.80 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	801.00	रु0	10.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6458.00	रु0	71.00
योग(अ) रु0		7259.00	रु0	81.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	878.00	रु0	10.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2176.00	रु0	22.00
योग(ब) रु0		3054.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		10313.00	रु0	113.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 218.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 15** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री रश्मि पत्नी श्री अजय कुमार वर्मा

पुत्र/पुत्री श्री शम्भूनाथ

निवासी-मैसर्स माधुरी इलेक्ट्रानिक धर्म कॉटा,

गोपी गली, उर्दू बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **335** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 15** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28.00	रु0	13.00
योग(अ) रु0 28.00 रु0 13.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1082.00 रु0 12.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1110.00 रु0 25.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 174** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अरविन्द कुमार गिरि

पुत्र/पुत्री श्री सुभाष चन्द्र गिरि

ग्राम एवं पोस्ट-गाहासांड,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **91** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 174** से0 **23** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	870.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10996.00	रु0	70.00
योग(अ) रु0		11866.00	रु0	73.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1436.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4100.00	रु0	41.00
योग(ब) रु0		5536.00	रु0	50.00
महायोग(अ+ब) रु0		17402.00	रु0	123.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **410.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 128** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रेखा सिंह

पुत्र/पुत्री श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह

निवासी-एम0आई0जी0-90, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नगर कालोन

बिलन्दपुर खत्ता,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **264** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 128** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-26.00	रु0	-51.00
योग(अ) रु0 -26.00 रु0 -51.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3214.00 रु0 -19.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 1** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संगीता देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बोकटा, वार्ड नं0-6,

पोस्ट व तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **351** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 1** से0 **23** क्षे. **53.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1032.00	रु0	-87.00
योग(अ) रु0				
		1032.00	रु0	-87.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	125.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1060.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1185.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2217.00	रु0	-76.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 106.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 8** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अखिलेश कुमार गिरी

पुत्र/पुत्री श्री पारस नाथ गिरी

निवासी-ग्राम व पोस्ट-पाली,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **358** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 8** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	630.00	रु0	-68.00
योग(अ) रु0	रु0	630.00	रु0	-68.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	76.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0	रु0	796.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	1426.00	रु0	-61.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 38** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनुराधा मद्देशिया पत्नी श्री बृजेश कुमार

पुत्र/पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद मद्देशिया

निवासी-ग्राम व पोस्ट-डुमरी,

तहसील व थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **301** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 38** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-165.00	रु0	-65.00
योग(अ) रु0 -165.00 रु0 -65.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0 1920.00 रु0 19.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1755.00 रु0 -46.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 37** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुभावती देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-तिलौरा, पोस्ट-पाली,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **167** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 37** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-27.00	रु0	-40.00
योग(अ) रु0 -27.00 रु0 -40.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3213.00 रु0 -8.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 43 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती सुभावती देवी पत्नी श्री शेषनाथ,

पुत्र/पुत्री स्व0 रामलक्षन

निवासी-ग्राम व पोस्ट-घघसरा,

तहसील-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 43 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 43 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-580.00	रु0	-38.00
योग(अ) रु0		-580.00	रु0	-38.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5180.00	रु0	20.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 20 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती कुशलावती सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-पिपरा

पोस्ट-ओनिया, तहसील-घनघटा,

जिला-संतकबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 284 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 20 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	-141.00
योग(अ) रु0		0.00	रु0	-141.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1920.00	रु0	-122.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 121** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी सविता सिंह पुत्री श्री अनिरुद्ध सिंह

पुत्र/पुत्री श्री अनिरुद्ध सिंह

निवासी-ए-152,

सूरजकुण्ड कालोनी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **106** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 121** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	360.00	रु0	-66.00
योग(अ) रु0 360.00 रु0 -66.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	14.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3254.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3614.00 रु0 -34.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 32** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अवधेश कुमार पुत्र स्व0 राम अधार

पुत्र/पुत्री स्व0 राम अधार

निवासी-ग्राम-सिहोरवा,

पोस्ट-रिठुआखोर (सहजनवों)

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **380** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 32** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	3117.00	रु0	65.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5426.00	रु0	79.00
योग(अ) रु0		8543.00	रु0	144.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1033.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1753.00	रु0	24.00
महायोग(अ+ब) रु0		10296.00	रु0	168.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 18 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री विधु शेखर शुक्ला पुत्र श्री चन्द्र शेखर शुक्ला

पुत्र/पुत्री

निवासी-10/128 सहजनवाँ बाजार, निकट एन0टी0सी0, ग्रामीण ब

सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 282 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 18 से0 23 क्षे. 127.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-254.00	रु0	-377.00
योग(अ) रु0		-254.00	रु0	-377.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2540.00	रु0	25.00
योग(ब) रु0		2540.00	रु0	25.00
महायोग(अ+ब) रु0		2286.00	रु0	-352.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 254.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 5** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री गंगा विष्णु एवं श्री गंगा विष्णु पुत्र श्री लालू प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री लालधारी प्रसाद एवं श्री लालू प्रसाद

श्री गंगा विष्णु पुत्र श्री लालू प्रसाद

निवासी-उ0 प्र0 पुलिस रेडियो अनुभाग

पुलिस लाईन, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **326** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 5** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	112.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2052.00	रु0	-202.00
योग(अ) रु0				
		2164.00	रु0	-202.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	261.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1341.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3505.00	रु0	-191.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 48** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री विनय कुमार

पुत्र/पुत्री

निवासी-14-डी, पार्वती कुंज,

गौतम विहार,

तारामंडल, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **48** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 48** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-97.00	रु0	-51.00
योग(अ) रु0 -97.00 रु0 -51.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5663.00 रु0 7.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 12 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती संजीता बथवाल पत्नी श्री राजकुमार बथवाल

पुत्र/पुत्री कृष्ण कुमार तुलस्यान

निवासी-मकान संख्या-68, गौधीनगर कालोनी,

गोलघर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 12 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 12 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	9660.00	रु0	549.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30371.00	रु0	663.00
योग(अ) रु0		40031.00	रु0	1212.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4843.00	रु0	146.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		10603.00	रु0	204.00
महायोग(अ+ब) रु0		50634.00	रु0	1416.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 18** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राघवेन्द्र कुमार यादव

पुत्र/पुत्री स्व0 पारसनाथ यादव

निवासी-मकान संख्या-24ए,

बिलन्दपुर,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **211** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 18** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	711.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10828.00	रु0	-248.00
योग(अ) रु0		11539.00	रु0	-248.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1396.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		4996.00	रु0	36.00
महायोग(अ+ब) रु0		16535.00	रु0	-212.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 4** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुनिता मिश्रा

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-पिपरा,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **96** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 4** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **2686.00** रु0 **12.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **13148.00** रु0 **99.00**

योग(अ) रु0 15834.00 रु0 111.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **1915.00** रु0 **13.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 5155.00 रु0 45.00

महायोग(अ+ब) रु0 20989.00 रु0 156.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 147** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हेम चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राम बुझारत लाल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री स्व0 राम बुझारत लाल श्रीवास्तव

एवं श्री ज्योति विमल पुत्र श्री हेम चन्द्र श्रीवास्तव

निवासी-नगर पंचायत सहजनवॉ, पिपरा वार्ड नं0-10,

सहजनवॉ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **198** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 147** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	321.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6034.00	रु0	25.00
योग(अ) रु0		6355.00	रु0	25.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	768.00	रु0	3.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		4008.00	रु0	35.00
महायोग(अ+ब) रु0		10363.00	रु0	60.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 56** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरि ओम यादव पुत्र स्व0 पारस नाथ यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-24 ए,

बिलन्दपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **406** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 56** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	759.00	रु0	-215.00
योग(अ) रु0 761.00 रु0 -215.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	92.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 812.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1573.00 रु0 -208.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 15 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री शचीन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 परमहंस सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 परमहंस सिंह

निवासी-बी-71/6, आवास विकास कालोनी,

सुरजकुण्ड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 279 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 15 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	838.00	रु0	177.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6029.00	रु0	216.00
योग(अ) रु0		6867.00	रु0	393.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	831.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2751.00	रु0	66.00
महायोग(अ+ब) रु0		9618.00	रु0	459.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 159** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती विभा सिंह पत्नी श्री अजय प्रकाश सिंह

पुत्र/पुत्री श्री अनिरुद्ध प्रताप नारायण सिंह

निवासी-विभा सिंह, मकान संख्या-बी-224,

आई0टी0आई0 टाउनशीप, मनकापुर,

गोण्डा।

आवंटन पत्र सं0 **149** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 159** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2689.00	रु0	304.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13162.00	रु0	365.00
योग(अ) रु0		15851.00	रु0	669.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1918.00	रु0	81.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		5158.00	रु0	113.00
महायोग(अ+ब) रु0		21009.00	रु0	782.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 39** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री श्रवण कुमार राज पुत्र स्व0 इन्द्रमणी राज

पुत्र/पुत्री स्व0 इन्द्रमणी राज

निवास-ग्राम व पोस्ट-डुमरी निवास,

थाना-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **389** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 39** से0 **23** क्षे. **53.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	122.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2120.00	रु0	-46.00
योग(अ) रु0		2242.00	रु0	-46.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	271.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1060.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1331.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0		3573.00	रु0	-35.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 106.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 1** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री कृष्ण मुरारी सिंह

पुत्र/पुत्री श्री रामधनी सिंह

निवासी-क्वार्टर नं.-आर.बी. 4 / 1063डी,

40 ब्लॉक, लीम्पस क्लब, भुसावल, जलगाँव,

महाराष्ट्र 425201

आवंटन पत्र सं0 **322** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 1** से0 **23** क्षे. **80.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	625.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4795.00	रु0	-243.00
योग(अ) रु0				
		5420.00	रु0	-243.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	656.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1600.00	रु0	16.00
योग(ब) रु0				
		2256.00	रु0	16.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		7676.00	रु0	-227.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 160.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 28** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री निवास तिवारी पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी

पुत्र/पुत्री स्व0 राधेश्याम तिवारी

निवासी-बुद्धबिहार कालोनी,

पार्ट-सी-एल0आई0जी0-बी-105,

तारामंडल, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **378** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 28** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0.00	रु0	7.00
योग(अ) रु0 0.00 रु0 7.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 720.00 रु0 14.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 59** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-सी-133/800 कटहरी बाग,

हुमायुपुर उत्तरी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **114** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 59** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3017.00	रु0	-46.00
योग(अ) रु0		3017.00	रु0	-46.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	365.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3605.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		6622.00	रु0	-14.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 32** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-घघसरा,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **115** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 32** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	549.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7879.00	रु0	-95.00
योग(अ) रु0				
		8428.00	रु0	-95.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1020.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		4260.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		12688.00	रु0	-63.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 12A** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उत्तम सिंह पत्नी डा0 दामोदर सिंह

पुत्र/पुत्री श्री भुवनेश्वर प्रताप सिंह

निवासी-फ्लैट नं0-3, रेडहिल स्कूल के पास,

34/14 गोखले मार्ग,

लखनऊ 226001

आवंटन पत्र सं0 **13** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 12A** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1611.00	रु0	-3.00
योग(अ) रु0 -1611.00 रु0 -3.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0 5760.00 रु0 58.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4149.00 रु0 55.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 37 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती किरन देवी पत्नी श्री शम्भू नाथ

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-केशोपुर (धोबी टोला),

वार्ड नं0-9, नगर पंचायत सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 300 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 37 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	135.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3094.00	रु0	-31.00
योग(अ) रु0		3229.00	रु0	-31.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	390.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2310.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		5539.00	रु0	-12.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 70** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री घनश्याम चौधरी पुत्र श्री राम मिलन चौधरी,

पुत्र/पुत्री

निवासी-57-हरिओम नगर,

सिविल लाइन्स,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **240** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 70** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-66.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0 -66.00 रु0 -17.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3174.00 रु0 15.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 80** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कामिनी मौर्य

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-जोन्हिया,

पोस्ट-भीटी रावत,

जोन्हिया, गोरखपुर, उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **151** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 80** से0 **23** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1167.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10079.00	रु0	16.00
योग(अ) रु0		11246.00	रु0	16.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1360.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3600.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		4960.00	रु0	38.00
महायोग(अ+ब) रु0		16206.00	रु0	54.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **360.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 111** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती विद्यावती देवी पत्नी स्व0 रमाशंकर सिंह एवं

पुत्र/पुत्री स्व0 चन्द्रदेव मल्ल

श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री अजय सिंह

निवासी-ग्राम-जोगिया कोल, पोस्ट-भीटीरावत,

थाना-सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **209** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 111** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	343.00	रु0	-64.00
योग(अ) रु0 343.00 रु0 -64.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	9.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3249.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3592.00 रु0 -32.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 122** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रुबी चौरसिया पत्नी श्री रामनारायन चौरसिया

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-धुरियाकोट,

पोस्ट-तमकुही,

जिला-कुशीनगर।

आवंटन पत्र सं0 **101** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 122** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक **31/12/2021** तक रु0 **14260.00** रु0 **304.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **24516.00** रु0 **365.00**

योग(अ) रु0 38776.00 रु0 669.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक **01/01/2022** से **31/12/2022** तक रु0 **4690.00** रु0 **81.00**

2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट रु0 **3240.00** रु0 **32.00**

योग(ब) रु0 7930.00 रु0 113.00

महायोग(अ+ब) रु0 46706.00 रु0 782.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 40** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ओम प्रकाश जायसवाल पुत्र श्री शिव पल्टन जायसवाल

पुत्र/पुत्री श्री शिव पल्टन जायसवाल

निवासी-काली मंदिर के सामने,

केशोपुर वार्ड नं. 8, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **93** दिनांक **02/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 40** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-606.00	रु0	-283.00
योग(अ) रु0 -606.00 रु0 -283.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2634.00 रु0 -251.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 57** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शम्भूनाथ पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

निवासी-भारद्वाजपुरम, फलमंडी के पीछे,

महेवा न्यू एरिया,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **407** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 57** से0 **23** क्षे. **61.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	956.00	रु0	111.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4824.00	रु0	136.00
योग(अ) रु0		5780.00	रु0	247.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	700.00	रु0	30.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1220.00	रु0	12.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	42.00
महायोग(अ+ब) रु0		7700.00	रु0	289.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **122.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 72** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी स्व0 गोपाल जी गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 फ़ुलचन्द्र गुप्ता

श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी स्व0 गोपाल जी गुप्ता

निवासी-हनुमान मंदिर के पास, विश्वनाथ ट्रेडर्स सेन्टर के सामने,

हजारीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **72** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 72** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	6713.00	रु0	44.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26553.00	रु0	225.00
योग(अ) रु0		33266.00	रु0	269.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4024.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		9784.00	रु0	90.00
महायोग(अ+ब) रु0		43050.00	रु0	359.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 31** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरिशंकर यादव

पुत्र/पुत्री स्व0 रामबली यादव

निवासी-ग्राम-तिलौरा,

पोस्ट-पाली, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **179** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 31** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-30.00	रु0	-8.00
योग(अ) रु0		-30.00	रु0	-8.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0		3210.00	रु0	24.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 13** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री विनय कुमार

पुत्र/पुत्री श्री राम वृक्ष

निवासी-पड़रिया,

संत कबीर नगर,

उत्तर प्रदेश-272173

आवंटन पत्र सं0 **334** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 13** से0 **23** क्षे. **71.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1038.00	रु0	21.00
योग(अ) रु0 -1038.00 रु0 21.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1420.00	रु0	14.00
योग(ब) रु0 1420.00 रु0 16.00				
महायोग(अ+ब) रु0 382.00 रु0 37.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 142.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 3 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री शैलव रंजन शुक्ला पुत्र डा0 जय प्रकाश शुक्ल एवं

पुत्र/पुत्री

श्रीमती अर्चना शुक्ला पत्नी स्व0 डा0 जय प्रकाश शुक्ला

निवासी-द्वारा श्री कविन्द्र नारायण त्रिपाठी, जटेपुर उत्तरी,

निकट काली मंदिर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 3 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 3 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2401.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17823.00	रु0	-67.00
योग(अ) रु0		20224.00	रु0	-67.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2446.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		8206.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		28430.00	रु0	-9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 32 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राज किशोर

पुत्र/पुत्री स्व0 मेवालाल

निवासी-आर्य वस्त्रालय सिन्होरा मण्डी,

तमकुही रोड, सेवरही, पोस्ट-सेवरही,

जिला-कुशीनगर 274406

आवंटन पत्र सं0 296 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 32 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	7200.00	रु0	177.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13833.00	रु0	216.00
योग(अ) रु0		21033.00	रु0	393.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2544.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		4464.00	रु0	66.00
महायोग(अ+ब) रु0		25497.00	रु0	459.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 14** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री बेचन प्रसाद पुत्र स्व0 रंगी लाल एवं

पुत्र/पुत्री स्व0 रंगी लाल

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री बेचन प्रसाद

निवासी-ग्राम व पोस्ट-भरसाड़, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **14** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 14** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-9.00	रु0	-46.00
योग(अ) रु0		-9.00	रु0	-46.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		5760.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		5751.00	रु0	12.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 6** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धर्मराज सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-अड़िलापार, पोस्ट-अमटौरा,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **260** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 6** से0 **23** क्षे. **160.43** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2775.00	रु0	10.00
योग(अ) रु0 2775.00 रु0 10.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	335.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3209.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3544.00 रु0 34.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6319.00 रु0 44.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 321.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 6** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरदेव सिंह पुत्र स्व0 अलगू सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ए-65, रेल बिहार कालोनी,

तारामण्डल,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **327** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 6** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	115.00	रु0	103.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2079.00	रु0	125.00
योग(अ) रु0		2194.00	रु0	228.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	265.00	रु0	28.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1345.00	रु0	39.00
महायोग(अ+ब) रु0		3539.00	रु0	267.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 63** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राधेश्याम

पुत्र/पुत्री स्व0 बाबुलाल

निवासी-बी-53,

बुद्धबिहार कालोनी, तारामंडल रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **507** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 63** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	578.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2880.00	रु0	-6.00
योग(अ) रु0				
		3458.00	रु0	-6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	418.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		1138.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		4596.00	रु0	1.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 67** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अम्बिका सिंह पत्नी श्री अमर प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-छपिया,

जिला-गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 **511** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 67** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2819.00	रु0	57.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5215.00	रु0	74.00
योग(अ) रु0		8034.00	रु0	131.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	972.00	रु0	15.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0		1692.00	रु0	22.00
महायोग(अ+ब) रु0		9726.00	रु0	153.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 71 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राम शंकर त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी

निवासी-जैतपुर,

पोस्ट-जैतपुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 453 दिनांक 24/05/2012 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 71 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-25.00	रु0	13.00
योग(अ) रु0		-25.00	रु0	13.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	21.00
महायोग(अ+ब) रु0		1895.00	रु0	34.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 102 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजेश कुमार

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड संख्या-6,

बोकटा (निकट एच0पी0सी0एल0गैस प्लान्ट)

सहजनवॉ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 611 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 102 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-210.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-210.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1890.00	रु0	105.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 98** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुभावती देवी पत्नी श्री विजयपाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-अड़िलापार,

अमटौरा, तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, उ0 प्र0।

आवंटन पत्र सं0 **548** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 98** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-303.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0 -303.00 रु0 -17.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0 1000.00 रु0 50.00				
महायोग(अ+ब) रु0 697.00 रु0 33.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 198** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

सुशील कुमार सिंघानिया

पुत्र/पुत्री श्री जगदीश प्रसाद सिंघानिया

निवासी-ग्राम-पिपरा

वार्ड नं.-8, नगर पंचायत-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **556** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 198** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-373.00	रु0	-12.00
योग(अ) रु0				
		-373.00	रु0	-12.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0				
		2700.00	रु0	135.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2327.00	रु0	123.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 95** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दयाराम

पुत्र/पुत्री श्री रामलक्ष्मण

निवासी-ग्राम-प्रतापपुर,

पोस्ट-बॉसी,

जिला-सिद्धार्थनगर-272153

आवंटन पत्र सं0 **639** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 95** से0 **23** क्षे. **101.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	371.00	रु0	45.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4571.00	रु0	330.00
योग(अ) रु0		4942.00	रु0	375.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	598.00	रु0	45.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2020.00	रु0	101.00
योग(ब) रु0		2618.00	रु0	146.00
महायोग(अ+ब) रु0		7560.00	रु0	521.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **202.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 85** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुषमा त्रिपाठी पत्नी श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री

निवासी-केशोपुर,

वार्ड नं.-07, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 **523** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 85** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	210.00	रु0	-75.00
योग(अ) रु0				
		210.00	रु0	-75.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	25.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		745.00	रु0	7.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		955.00	रु0	-68.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 93** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शिव प्रसाद सिंह एवं श्रीमती कैलाशी देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-दरुआ, पोस्ट-घघसरा,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **645** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 93** से0 **23** क्षे. **90.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-666.00	रु0	-143.00
योग(अ) रु0 -666.00 रु0 -143.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0 1800.00 रु0 90.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1134.00 रु0 -53.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 104** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुरेश चन्द यादव पुत्र श्री ध्रुव प्रसाद यादव

पुत्र/पुत्री श्री ध्रुव प्रसाद यादव

ग्राम-टड़वा माफी,

पोस्ट-भरसाड़

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **573** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 104** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-299.00	रु0	-113.00
योग(अ) रु0				
		-299.00	रु0	-113.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0				
		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1801.00	रु0	-8.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 133.** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रेखा पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

97-ए, ग्रीन सीटी फेज-2,

गोरखनाथ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **567** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 133.** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	587.00	रु0	61.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7332.00	रु0	529.00
योग(अ) रु0		7919.00	रु0	590.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	958.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0		4198.00	रु0	234.00
महायोग(अ+ब) रु0		12117.00	रु0	824.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 118 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती नीलम गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कुचडेहरी,

पोस्ट-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 580 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 118 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-146.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0		-146.00	रु0	-2.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1294.00	रु0	70.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 112 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री मनोज कुमार शर्मा

पुत्र/पुत्री स्व0 भालचंद

निवासी-ग्राम-पकड़ी, थाना-मदनपुरा,

थाना-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 585 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 112 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1614.00	रु0	66.00
योग(अ) रु0		1614.00	रु0	66.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	195.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2295.00	रु0	113.00
महायोग(अ+ब) रु0		3909.00	रु0	179.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 146 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री प्रदीप कुमार

पुत्र/पुत्री श्री चन्द गुप्ता

निवासी-मंहदावल रोड़,

बाईपास चौराहा, खलीलाबाद (मैलानी)

संत कबीर नगर-272175

आवंटन पत्र सं0 607 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 146 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 88** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अमित कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री बशिष्ठ सिंह

ग्राम व पोस्ट-जगदीशपुर भलुवान

तहसील-बोंसगोंव

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **623** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 88** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	255.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4252.00	रु0	143.00
योग(अ) रु0		4507.00	रु0	147.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	545.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2645.00	रु0	122.00
महायोग(अ+ब) रु0		7152.00	रु0	269.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 27** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनीता पत्नी श्री उपेन्द्र यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-कस्बा संग्रामपुर (उनवल)

टोला-बेढा, पोस्ट-उनवल, टेकवार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **377** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 27** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	273.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2152.00	रु0	19.00
योग(अ) रु0				
		2425.00	रु0	20.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	293.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0				
		1013.00	रु0	9.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3438.00	रु0	29.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 100** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री शिव प्रसाद पाण्डेय एवं

पुत्र/पुत्री श्री शिव प्रसाद पाण्डेय

श्रीमती गरिमा पाण्डेय पुत्री श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय

निवासी-द्वारा श्री सूर्य देव पाण्डेय, 94-अ, सिधारीपुर,

गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **139** दिनांक **10/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 100** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	387.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6560.00	रु0	-77.00
योग(अ) रु0 6947.00 रु0 -77.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	840.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 4080.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 11027.00 रु0 -45.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 2 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री प्रणव कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय

पुत्र/पुत्री श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय

निवासी-द्वारा श्री सूर्यदेव पाण्डेय, 94अ,

सिधारीपुर, गोरखनाथ,

गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र सं0 2 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 2 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	697.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11716.00	रु0	-120.00
योग(अ) रु0		12413.00	रु0	-120.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1502.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		7262.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		19675.00	रु0	-62.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 22** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती नीलम दूबे

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मकटापार,

पोस्ट, तहसील एवं थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **222** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 22** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1291.00	रु0	-49.00
योग(अ) रु0 -1291.00 रु0 -49.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1949.00 रु0 -17.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 120** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिलीप कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम दवन

निवासी-ग्राम-रहीमाबाद खास,

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **196** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 120** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-260.00	रु0	-18.00
योग(अ) रु0				
		-260.00	रु0	-18.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2980.00	रु0	14.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 29** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अक्षय कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री हरिशंकर सिंह

निवासी-ग्राम-देवपार डुगडुईया,

पोस्ट-पाली, थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **349** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 29** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	301.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2831.00	रु0	-13.00
योग(अ) रु0 3132.00 रु0 -13.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	379.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0 1459.00 रु0 11.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4591.00 रु0 -2.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 13 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती माधुरी देवी पत्नी श्री जयराम यादव,

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-तिलौरा, पोस्ट-पाली,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 277 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 13 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	531.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5026.00	रु0	-183.00
योग(अ) रु0		5557.00	रु0	-183.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	672.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2592.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		8149.00	रु0	-164.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 124 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

नेहा टिबडेवाल

पुत्र/पुत्री

एम0आई0जी0-3(सी/डब्ल्यू)

आवास विकास कालोनी

बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 594 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 124 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-210.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-210.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1890.00	रु0	105.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 116 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री रजनीश

पुत्र/पुत्री श्री रमाकान्त

ग्राम व पोस्ट-राजधानी,

थाना-झंगहा,

जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र सं0 615 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 116 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 89 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती प्रियंका शुक्ला

पुत्र/पुत्री

निवासी-सहजनवाँ पेंटी धर्म दास के पास,

विलेज-सहजनवाँ,

गोरखपुर, उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 582 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 89 से0 23 क्षे. 78.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-511.00	रु0	-197.00
योग(अ) रु0		-511.00	रु0	-197.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1560.00	रु0	78.00
योग(ब) रु0		1560.00	रु0	78.00
महायोग(अ+ब) रु0		1049.00	रु0	-119.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 156.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 203** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

पूनम टिबडेवाल

पुत्र/पुत्री

एम0आई0जी0-3 (सी/डब्ल्यू)

आवास विकास कालोनी,

बेतियाहाता, गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र सं0 **533** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 203** से0 **23** क्षे. **129.02** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-258.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0				
		-258.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2580.00	रु0	129.00
योग(ब) रु0				
		2580.00	रु0	129.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2322.00	रु0	129.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 258.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 99** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरिश्चन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 वृन्दावन सिंह

निवासी-ग्राम व पोस्ट

बड़गहन, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **547** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 99** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	163.00
योग(अ) रु0		2446.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1295.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		3741.00	रु0	258.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 81** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रीमा सिंह पत्नी श्री जय प्रकाश सिंह

पुत्र/पुत्री

ग्राम-मंझरिया,

पोस्ट-छताई,

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **531** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 81** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	132.00	रु0	16.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1629.00	रु0	117.00
योग(अ) रु0		1761.00	रु0	133.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	213.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0		933.00	रु0	53.00
महायोग(अ+ब) रु0		2694.00	रु0	186.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 113 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री दयाशंकर सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 श्याम प्यारे सिंह

निवासी-दयाशंकर सिंह (जू0ई0)

टाईप 3/3, ड्रेनेज कालोनी, सिविल लाइन, खौरहवा,

बस्ती (ए0 प्र0)-272001

आवंटन पत्र सं0 627 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 113 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	385.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752.00	रु0	343.00
योग(अ) रु0		5137.00	रु0	389.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक	01/01/2022	से	31/12/2022	तक	रु0	621.00	रु0	47.00	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट					रु0	2100.00	रु0	105.00	
योग(ब)						रु0	2721.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब)						रु0	7858.00	रु0	541.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 110 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री कृष्ण चंद्र

पुत्र/पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद

निवासी-ग्राम-जगदीशपुर

पोस्ट-भरसोड़, सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 583 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 110 से0 23 क्षे. 100.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-207.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-207.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2000.00	रु0	100.00
योग(ब) रु0		2000.00	रु0	100.00
महायोग(अ+ब) रु0		1793.00	रु0	100.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 200.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 105 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री दुर्गा प्रसाद

पुत्र/पुत्री स्व0 पूरनमासी

निवासी-ग्राम-जगदीशपुर,

पोस्ट-भरसोड़, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 578 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 105 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-63.00	रु0	-85.00
योग(अ) रु0		-63.00	रु0	-85.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		2037.00	रु0	20.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 109 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती श्वेता सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बाघरानी,

पोस्ट-बड़गो, खोराबार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 590 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 109 से0 23 क्षे. 87.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2285.00	रु0	-7.00
योग(अ) रु0		-2285.00	रु0	-7.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1575.00	रु0	88.00
योग(ब) रु0		1575.00	रु0	88.00
महायोग(अ+ब) रु0		-710.00	रु0	81.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 175.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 91** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती विजयलक्ष्मी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-हरपुर

पोस्ट व थाना-हरपुर बुदहट,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **560** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 91** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-193.00	रु0	-59.00
योग(अ) रु0	रु0	-193.00	रु0	-59.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0	रु0	1000.00	रु0	50.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	807.00	रु0	-9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 76** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उषा

पुत्र/पुत्री श्री शिव पूजन

निवासी-ग्राम-सहबाजगंज

पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **584** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 76** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-44.00	रु0	-23.00
योग(अ) रु0				
		-44.00	रु0	-23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0				
		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2056.00	रु0	82.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 197** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती गीता देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-363/8

फुलबाग कालोनी, मंदिर वाली गली,

मेरठ।

आवंटन पत्र सं0 **530** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 197** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	25.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2953.00	रु0	134.00
योग(अ) रु0		2978.00	रु0	134.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	360.00	रु0	17.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0		3060.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब) रु0		6038.00	रु0	286.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 131 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राहुल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री श्री सुरेन्द्र लाल

निवासी-शिवाजी नगर कालोनी,

निकट रानीबाग, पोस्ट-बड़गों,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 637 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 131 से0 23 क्षे. 69.91 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1213.00	रु0	3.00
योग(अ) रु0		1213.00	रु0	3.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	147.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1398.00	रु0	70.00
योग(ब) रु0		1545.00	रु0	70.00
महायोग(अ+ब) रु0		2758.00	रु0	73.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 140.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 123 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती हेमलता सिंह

पुत्र/पुत्री

द्वारा श्री रामबृक्ष सिंह

ग्राम-खरैला, पोस्ट-पिपरौली,

जनपद-गोरखपुर, उ0 प्र0 273212

आवंटन पत्र सं0 621 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 123 से0 23 क्षे. 78.73 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-444.00	रु0	-12.00
योग(अ) रु0		-444.00	रु0	-12.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1575.00	रु0	79.00
योग(ब) रु0		1575.00	रु0	79.00
महायोग(अ+ब) रु0		1131.00	रु0	67.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 158.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 96 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री फूल चन्द्र पुत्र श्री बाबू लाल
पुत्र/पुत्री

आवंटन पत्र सं0 640 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 96 से0 23 क्षे. 90.20 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-467.00	रु0	-109.00
योग(अ) रु0		-467.00	रु0	-109.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1804.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0		1804.00	रु0	90.00
महायोग(अ+ब) रु0		1337.00	रु0	-19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 180.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 96** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री पंकज कुमार मधेशिया

पुत्र/पुत्री श्री घनश्याम मधेशिया

निवासी-ग्राम-भगौरा,

सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **550** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 96** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	163.00
योग(अ) रु0		2446.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1295.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		3741.00	रु0	258.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 108** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गुलाब सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 संत सिंह

निवासी-ग्राम-अड़ीलापार,

पोस्ट-अमटौरा, खजनी,

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **539** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 108** से0 **23** क्षे. **54.91** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	38.00	रु0	24.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2485.00	रु0	179.00
योग(अ) रु0		2523.00	रु0	203.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	305.00	रु0	25.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1098.00	रु0	55.00
योग(ब) रु0		1403.00	रु0	80.00
महायोग(अ+ब) रु0		3926.00	रु0	283.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 92** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती किरन देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-816,

आवास विकास कालोनी, महादेव झारखण्डी,

कूडाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **559** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 92** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	163.00
योग(अ) रु0		2446.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1295.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		3741.00	रु0	258.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 129 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री संजीव कुमार

पुत्र/पुत्री श्री सर्वजीत प्रसाद

सी-780, शहीद नगर,

पोस्ट-चिकम्बरपुर, साहिबाबाद,

जिला-गोजियाबाद 201006

आवंटन पत्र सं0 618 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 129 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	385.00	रु0	12.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752.00	रु0	213.00
योग(अ) रु0		5137.00	रु0	225.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	621.00	रु0	27.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2721.00	रु0	132.00
महायोग(अ+ब) रु0		7858.00	रु0	357.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 152** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती दीपिका रानी दास

पुत्र/पुत्री

निवासी-81, बशारतपुर पश्चिमी,

रामप्रीत चौक,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **537** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 152** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	80.00	रु0	-50.00
योग(अ) रु0				
		80.00	रु0	-50.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0				
		3243.00	रु0	162.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3323.00	रु0	112.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 140 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राम सिंह यादव

पुत्र/पुत्री श्री बुद्धिराम यादव

निवासी-ग्राम-सेमरा,

पोस्ट-मगहर,

जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र सं0 608 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 140 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-651.00	रु0	-208.00
योग(अ) रु0		-651.00	रु0	-208.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		789.00	रु0	-136.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 81** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री नरसिंह यादव

पुत्र/पुत्री श्री सदानंद यादव

निवासी-ए-31, रेल बिहार,

फेज-3, तारामण्डल,

गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 **574** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 81** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-210.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0 -210.00 रु0 0.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0 2100.00 रु0 105.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1890.00 रु0 105.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 138 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव

पुत्र/पुत्री श्री जीतन यादव

निवासी-द्वारा मैसर्स अम्बे प्रोसेस

भूखण्ड संख्या-एफ0एल0-2, सेक्टर-13,

पोस्ट-सहजनवॉ, गोरखपुर, यू0पी0-2730

आवंटन पत्र सं0 617 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 138 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-159.00
योग(अ) रु0		-108.00	रु0	-159.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1332.00	रु0	-87.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 93** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुनीता

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बांसपार,

पोस्ट-पिपरौली,

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **552** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 93** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21.00	रु0	1.00
योग(अ) रु0 21.00 रु0 1.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0 1002.00 रु0 50.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1023.00 रु0 51.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 202** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री चन्द्रसेन सिंह एवं श्रीमती कमला देवी

पुत्र/पुत्री स्व0 झिन्नु सिंह

निवासी-शीतल इण्डस्ट्रीज,

भूखण्ड संख्या बी-2/10, सेक्टर-13,

गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **528** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 202** से0 **23** क्षे. **148.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2420.00	रु0	118.00
योग(अ) रु0	रु0	2420.00	रु0	118.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	293.00	रु0	15.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2960.00	रु0	148.00
योग(ब) रु0	रु0	3253.00	रु0	163.00
महायोग(अ+ब) रु0	रु0	5673.00	रु0	281.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 296.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 141 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अभय कुमार

पुत्र/पुत्री श्री हरि शंकर सिंह

निवासी-भूखण्ड संख्या-बी-1/8,

ट्रांसपोर्ट नगर, गीडा, सेक्टर-22,

सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 587 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 141 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 90 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती अल्का सिंह एवं श्री हरेन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-एम0आई0जी0बी0 1773

सेक्टर 1 (निकट एल0पी0एस0)

कानपुर रोड, लखनऊ 226012

आवंटन पत्र सं0 612 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 90 से0 23 क्षे. 75.45 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1267.00	रु0	75.00
योग(अ) रु0		1267.00	रु0	75.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	153.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1509.00	रु0	75.00
योग(ब) रु0		1662.00	रु0	84.00
महायोग(अ+ब) रु0		2929.00	रु0	159.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 151.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 126 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती किरन सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बसिया

पोस्ट-सहजनवों,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 591 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 126 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	385.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752.00	रु0	343.00
योग(अ) रु0		5137.00	रु0	389.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक	01/01/2022	से	31/12/2022	तक	रु0	621.00	रु0	47.00	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट					रु0	2100.00	रु0	105.00	
योग(ब)						रु0	2721.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब)						रु0	7858.00	रु0	541.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 83** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती चन्द्रकली देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-छपिया,

जिला-गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 **642** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 83** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-45.00	रु0	-38.00
योग(अ) रु0 -45.00 रु0 -38.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0 2100.00 रु0 105.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2055.00 रु0 67.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 136 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री रवि प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री श्री लाल बहादुर सिंह

निवासी-ग्राम-धनश्याम नगरी

(पिपरा), सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 571 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 136 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-6.00	रु0	-117.00
योग(अ) रु0		-6.00	रु0	-117.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		2094.00	रु0	-12.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 145 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री ध्रुव प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 रामरक्षा सिंह

निवासी-कलावती कुँज, मकान संख्या-275,

एन0एच0-28, वार्ड-पिपरा,

सहजनवॉ, गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र सं0 624 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 145 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 127 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती सोनी सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-कलावती कुँज, द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह

मकान संख्या-275, एन0एच0-28, वार्ड-पिपरा,

सहजनवॉ, गोरखपुर, उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 644 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 127 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	385.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752.00	रु0	343.00
योग(अ) रु0		5137.00	रु0	389.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	621.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2721.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब) रु0		7858.00	रु0	541.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 144 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अश्वनी सिंह

पुत्र/पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह

निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-रिदुआखोर,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 572 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 144 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-267.00	रु0	-47.00
योग(अ) रु0		-267.00	रु0	-47.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1173.00	रु0	25.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 142 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री मुन्ना लाल जायसवाल

पुत्र/पुत्री स्व0 रामदास जायसवाल

निवासी-जवाहर नवोदय विद्यालय,

बसंतपुर, पोस्ट-बॉसी,

जनपद-सिद्धार्थनगर, यू0पी0-272153

आवंटन पत्र सं0 622 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 142 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-288.00	रु0	-69.00
योग(अ) रु0		-288.00	रु0	-69.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1152.00	रु0	3.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 92** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री संजय एवं अनूप सिंह
पुत्र/पुत्री श्री हरिहर सिंह
निवासी-ग्राम-नेवास,
पोस्ट-बड़गहन
जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **589** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 92** से0 **23** क्षे. **90.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	331.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4073.00	रु0	294.00
योग(अ) रु0		4404.00	रु0	334.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	533.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0		2333.00	रु0	130.00
महायोग(अ+ब) रु0		6737.00	रु0	464.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 128 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री अजय कुमार पाण्डेय

पुत्र/पुत्री स्व0 नर्वदेश्वर पाण्डेय

निवासी-ग्राम व पोस्ट-बड़गहन,

जिला-गोरखपुर

273209

आवंटन पत्र सं0 616 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 128 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-298.00	रु0	-6.00
योग(अ) रु0		-298.00	रु0	-6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1802.00	रु0	99.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 125 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री प्रदीप कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम सिंह

ग्राम-रामपुर गरथौली,

पोस्ट-कटाई-टीकर (खजनी)

जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 605 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 125 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-292.00	रु0	-124.00
योग(अ) रु0		-292.00	रु0	-124.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1808.00	रु0	-19.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 99** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती इन्दू देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-खड्डा खुर्द,

पोस्ट-पडरौना,

जिला-कूशीनगर 274304

आवंटन पत्र सं0 **613** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 99** से0 **23** क्षे. **90.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	331.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4073.00	रु0	294.00
योग(अ) रु0		4404.00	रु0	334.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	533.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0		2333.00	रु0	130.00
महायोग(अ+ब) रु0		6737.00	रु0	464.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 118** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री हरी प्रकाश आर0 त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री श्री आर0 एन0 त्रिपाठी

निवासी-ग्राम-भरवलिया

पोस्ट-सरया तिवारी

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **565** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 118** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	595.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7332.00	रु0	529.00
योग(अ) रु0		7927.00	रु0	601.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	959.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0		4199.00	रु0	234.00
महायोग(अ+ब) रु0		12126.00	रु0	835.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 132 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री पवन कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री ओम प्रकाश सिंह

निवासी-मकान संख्या-132एच, दक्षिणी बेतियाहाता,

रुस्तमपुर ढाला, शिवपुरी नई कालोनी,

गोरखपुर 273016

आवंटन पत्र सं0 619 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 132 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1991.00	रु0	75.00
योग(अ) रु0		1991.00	रु0	75.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	241.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2341.00	रु0	114.00
महायोग(अ+ब) रु0		4332.00	रु0	189.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 111 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री बीर सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 सीताराम सिंह

निवासी-मकान संख्या-न्यू माइनस क्वाटर नं.

16/2, पोस्ट-चिरमीरी, जिला-कोरीया,

राज्य-छत्तीसगढ़ 497449

आवंटन पत्र सं0 570 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 111 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2488.00	रु0	-95.00
योग(अ) रु0		-2488.00	रु0	-95.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1890.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		1890.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		-598.00	रु0	10.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 82 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सर्वेश राम त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री स्व0 चंद्र चूड राम त्रिपाठी

निवासी-मकान संख्या-877एफ,

जवाहर चक, नौसढ़,

गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 577 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 82 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-586.00	रु0	-221.00
योग(अ) रु0		-586.00	रु0	-221.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1514.00	रु0	-116.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 87** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री जितेन्द्र कुमार यादव

पुत्र/पुत्री स्व0 नन्दजी यादव

निवासी-खानपुर,

डुमरिया, बलिया,

यू0पी0-277211

आवंटन पत्र सं0 **579** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 87** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-11.00	रु0	-335.00
योग(अ) रु0 -11.00 रु0 -335.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0 1000.00 रु0 50.00				
महायोग(अ+ब) रु0 989.00 रु0 -285.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 139 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री नित्या नन्द सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 राम लखन सिंह

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

शाखा-गाहासॉड, पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 631 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 139 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-40.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-40.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1400.00	रु0	72.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 80 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री संजीव कुमार

पुत्र/पुत्री श्री गंगा सागर

निवासी-ए.बी.डेन्टल केयर,

सिनेमा हॉल रोड, मेन मार्केट,

सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 592 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 80 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-509.00	रु0	-84.00
योग(अ) रु0		-509.00	रु0	-84.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		1591.00	रु0	21.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 114 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती रीता देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-नौसड़

(निकट-काली मन्दिर), पोस्ट-नौसड़,

जिला-गोरखपुर.273016

आवंटन पत्र सं0 588 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 114 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	385.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752.00	रु0	343.00
योग(अ) रु0		5137.00	रु0	389.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	621.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2721.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब) रु0		7858.00	रु0	541.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 199** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अजीत कुमार पाण्डेय

पुत्र/पुत्री श्री रामकेवल पाण्डेय

द्वारा श्री प्रद्युम्न सिंह (कानूनगों), मकान संख्या-436

मोहल्ला-अजीत नगर,

मोहददीपुर, पोस्ट-कूडाघाट, जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र सं0 **534** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 199** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	496.00	रु0	61.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6110.00	रु0	441.00
योग(अ) रु0		6606.00	रु0	502.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	799.00	रु0	61.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0		3499.00	रु0	196.00
महायोग(अ+ब) रु0		10105.00	रु0	698.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 98** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री प्रवीण द्विवेदी

पुत्र/पुत्री श्री सर्वेन्द्र नाथ द्विवेदी

निवासी-सी-5, एस0बी0आई0 आफिसर्स कालोनी

राप्तीनगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **632** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 98** से0 **23** क्षे. **90.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-260.00	रु0	-75.00
योग(अ) रु0 -260.00 रु0 -75.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0 1800.00 रु0 90.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1540.00 रु0 15.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 133 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती कृष्णा देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-अहरा, पोस्ट-हैसर बाजार,

हैसर हरदो, सन्त कबीर नगर,

उत्तर प्रदेश 272165

आवंटन पत्र सं0 602 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 133 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1624.00	रु0	78.00
योग(अ) रु0		1624.00	रु0	78.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	197.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2297.00	रु0	114.00
महायोग(अ+ब) रु0		3921.00	रु0	192.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 101 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती पूजा सिंह एवं श्री गौरव सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-पिपरा,

तहसील रोड, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 628 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 101 से0 23 क्षे. 90.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-180.00	रु0	-37.00
योग(अ) रु0		-180.00	रु0	-37.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0		1800.00	रु0	90.00
महायोग(अ+ब) रु0		1620.00	रु0	53.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 180.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 73 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती इंदुमति मिश्रा

पुत्र/पुत्री

निवासी-गोवाला पारा (खास केन्द्र)

पोस्ट-बहुला,

जिला-वर्दमान (पं0 बंगाल).713372

आवंटन पत्र सं0 569 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 73 से0 23 क्षे. 105.21 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	386.00	रु0	46.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4761.00	रु0	343.00
योग(अ) रु0		5147.00	रु0	389.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	623.00	रु0	47.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2104.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2727.00	रु0	152.00
महायोग(अ+ब) रु0		7874.00	रु0	541.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 182** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री भैयाराम सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राममिलन सिंह

निवासी-ग्राम-देईपार, पोस्ट-पिपरौली बाजार,

थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर 273212

आवंटन पत्र सं0 **555** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 182** से0 **23** क्षे. **191.53** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	704.00	रु0	86.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8670.00	रु0	626.00
योग(अ) रु0		9374.00	रु0	712.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	1134.00	रु0	87.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3831.00	रु0	192.00
योग(ब) रु0		4965.00	रु0	279.00
महायोग(अ+ब) रु0		14339.00	रु0	991.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **383.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 94** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सुषमा गुप्ता

पुत्र/पुत्री

निवासी-सी/124/323ए, जटेपुर उत्तरी नजदीक काली मंदिर,

वार्ड नं.-13,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **581** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 94** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-54.00	रु0	-115.00
योग(अ) रु0		-54.00	रु0	-115.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1000.00	रु0	50.00
महायोग(अ+ब) रु0		946.00	रु0	-65.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 89** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गनेश कुमार

पुत्र/पुत्री श्री जेठू प्रसाद

ग्राम-गुलरूर, पोस्ट-डुमरी निवास,

तहसील व थाना-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **562** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 89** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-484.00	रु0	-310.00
योग(अ) रु0				
		-484.00	रु0	-310.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0				
		1000.00	रु0	50.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		516.00	रु0	-260.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 161** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती फूलमती पाण्डेय

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या-456-ए,

शिवाजी नगर, न्यू शिवपुरी कालोनी,

रुस्तमपुर, गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र सं0 **536** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 161** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	595.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7332.00	रु0	529.00
योग(अ) रु0		7927.00	रु0	601.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	959.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0		4199.00	रु0	234.00
महायोग(अ+ब) रु0		12126.00	रु0	835.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 78** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शैलेश सिंह

पुत्र/पुत्री श्री ओम प्रकाश सिंह

निवासी-ग्राम-कालेसर

सहजनवाँ,

गोरखपुर, यू0पी0 273209

आवंटन पत्र सं0 **596** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 78** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-559.00	रु0	-188.00
योग(अ) रु0				
		-559.00	रु0	-188.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0				
		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1541.00	रु0	-83.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 192** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अरुण प्रकाश यादव

पुत्र/पुत्री श्री सुरेश यादव

निवासी-ग्राम-कालेसर

पोस्ट-सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **529** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 192** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-250.00	रु0	-87.00
योग(अ) रु0				
		-250.00	रु0	-87.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0				
		2700.00	रु0	135.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2450.00	रु0	48.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 121 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री राजेश कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री पतिराज सिंह

निवासी-सेक्टर-13,

भूखण्ड संख्या ए-54, गीडा,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 609 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 121 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 195** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती प्रियंका राव

पुत्र/पुत्री

निवासी-मकान संख्या 23डी,

जटेपुर उत्तरी, मंसाबाग,

गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र सं0 **538** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 195** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	104.00	रु0	23.00
योग(अ) रु0 104.00 रु0 23.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	7.00	रु0	1.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0 2707.00 रु0 136.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2811.00 रु0 159.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 122 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री प्रदीप गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 भरत लाल गुप्ता

निवासी-मकान संख्या-505

शाहपुर, पोस्ट-गीता वाटिका,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 634 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 122 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 87** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी विजय लक्ष्मी

पुत्र/पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा

निवासी-ग्राम-ठर्रापार, पोस्ट-घघसरा,

तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **633** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 87** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1824.00	रु0	71.00
योग(अ) रु0 1824.00 रु0 71.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	221.00	रु0	9.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0 2321.00 रु0 114.00				
महायोग(अ+ब) रु0 4145.00 रु0 185.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 97** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री पंकज

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-भगौरा,

पोस्ट व तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र सं0 **549** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 97** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-20.00
योग(अ) रु0 -108.00 रु0 -20.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0 1000.00 रु0 50.00				
महायोग(अ+ब) रु0 892.00 रु0 30.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 101** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री ब्रजेश कुमार मल्ल

पुत्र/पुत्री श्री भृगुराशन मल्ल

एल0आई0जी032 / 33

भाऊराव देवरस कालोनी, राप्तीनगर, फेज-4

गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र सं0 **545** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 101** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-100.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-100.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1000.00	रु0	50.00
महायोग(अ+ब) रु0		900.00	रु0	50.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 116** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री श्री अंशुमान त्रिपाठी

निवासी-सी-198, मालवीय नगर

खोराबार उर्फ सुवाबाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **557** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 116** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	595.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7332.00	रु0	529.00
योग(अ) रु0		7927.00	रु0	601.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	959.00	रु0	72.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0		4199.00	रु0	234.00
महायोग(अ+ब) रु0		12126.00	रु0	835.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 193** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती आशा देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-जिगिना

पोस्ट-धवरेपार बढया, तहसील-घनघाट,

जिला-संतकबीर नगर-272176

आवंटन पत्र सं0 **568** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 193** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-589.00	रु0	-2054.00
योग(अ) रु0		-589.00	रु0	-2054.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0		2700.00	रु0	135.00
महायोग(अ+ब) रु0		2111.00	रु0	-1919.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 91** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री मनीष चन्द्र यादव

पुत्र/पुत्री श्री उमेश चन्द्र यादव

निवासी-नजदीक तारामण्डल,

31ए, रेल विहार कालोनी, रेलवे कालोनी,

गोरखपुर, उ0 प्र0 273012

आवंटन पत्र सं0 **575** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 91** से0 **23** क्षे. **90.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1001.00	रु0	-158.00
योग(अ) रु0 -1001.00 रु0 -158.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0 1800.00 रु0 90.00				
महायोग(अ+ब) रु0 799.00 रु0 -68.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 201** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अक्षय कुमार वर्मा

पुत्र/पुत्री श्री हीरेन्द्र नारायण वर्मा

निवासी-ग्राम व पोस्ट-करीमुद्दीनपुर,

जिला-गाजीपुर,

23325

आवंटन पत्र सं0 **553** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 201** से0 **23** क्षे. **129.10** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-258.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-258.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2582.00	रु0	129.00
योग(ब) रु0		2582.00	रु0	129.00
महायोग(अ+ब) रु0		2324.00	रु0	129.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **258.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 100 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री सूर्यप्रकाश नारायण सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 नन्दकिशोर सिंह

निवासी-ग्राम-उसरी,

पोस्ट-पाली, वाया सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर, यू0पी0 273209

आवंटन पत्र सं0 626 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 100 से0 23 क्षे. 90.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1294.00	रु0	23.00
योग(अ) रु0		1294.00	रु0	23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	157.00	रु0	2.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0		1957.00	रु0	92.00
महायोग(अ+ब) रु0		3251.00	रु0	115.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 180.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 85** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सुमित अग्रवाल

पुत्र/पुत्री श्री बाबू लाल अग्रवाल

निवासी-एम0आई0जी0-86

शाहपुर आवास विकास कालोनी,

गोरखपुर-273006

आवंटन पत्र सं0 **606** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 85** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-217.00	रु0	-2.00
योग(अ) रु0 -217.00 रु0 -2.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0 2100.00 रु0 105.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1883.00 रु0 103.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 119 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री जोखन प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री जोखन प्रसाद

निवासी-ग्राम-मंझरिया,

पोस्ट-छताई,

खजनी, गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 625 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 119 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-172.00	रु0	-125.00
योग(अ) रु0		-172.00	रु0	-125.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1440.00	रु0	72.00
महायोग(अ+ब) रु0		1268.00	रु0	-53.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 100** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी पायल मोदनवाल

पुत्र/पुत्री श्री मुरलीधर मोदनवाल

निवासी-ट्रांसपोर्ट नगर

महेवा रोड़, न्यू शिवपुरी कालोनी,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **546** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 100** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1179.00	रु0	-14.00
योग(अ) रु0 -1179.00 रु0 -14.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	900.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0 900.00 रु0 50.00				
महायोग(अ+ब) रु0 -279.00 रु0 36.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 103 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं श्री सुरेश कुमार गुप्ता

पुत्र/पुत्री स्व0 गुलाब चन्द

निवासी-चौधरी बलदेव प्रसाद रोड,

शिवमंदिर, हजारीपुर,

गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र सं0 601 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 103 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-49.00	रु0	0.00
योग(अ) रु0		-49.00	रु0	0.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2100.00	रु0	105.00
महायोग(अ+ब) रु0		2051.00	रु0	105.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 106** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती सरोज श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव

निवासी-ग्रीन सिटी कालोनी, फेज-2,

स्टेपिंग इंटर कालेज के पास, वार्ड नं.-55,

गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **541** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 106** से0 **23** क्षे. **42.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	830.00	रु0	-99.00
योग(अ) रु0				
		830.00	रु0	-99.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	100.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	840.00	रु0	42.00
योग(ब) रु0				
		940.00	रु0	42.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1770.00	रु0	-57.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 84.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 94** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री देवीलाल मद्देशिया

पुत्र/पुत्री स्व0 रामचन्द्र

ग्राम व पोस्ट-भौवापार,

थाना-बेलीपार, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **638** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 94** से0 **23** क्षे. **90.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-276.00	रु0	-168.00
योग(अ) रु0		-276.00	रु0	-168.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1800.00	रु0	90.00
योग(ब) रु0		1800.00	रु0	90.00
महायोग(अ+ब) रु0		1524.00	रु0	-78.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 86** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती प्रमिला देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम व पोस्ट-पिपरौली बाजार,

जिला-गोरखपुर

यू0पी0 273212

आवंटन पत्र सं0 **564** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 86** से0 **23** क्षे. **52.83** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1028.00	रु0	64.00
योग(अ) रु0 1030.00 रु0 64.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	125.00	रु0	8.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1057.00	रु0	53.00
योग(ब) रु0 1182.00 रु0 61.00				
महायोग(अ+ब) रु0 2212.00 रु0 125.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 106.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 143 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री आनन्द कुमार

पुत्र/पुत्री श्री पृथ्वीपाल

निवासी-द्वारा श्री राम अवध पासवान

मो0-रसूलपुर, पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी,

जिला-गोरखपुर (उ0 प्र0)-273016

आवंटन पत्र सं0 598 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 143 से0 23 क्षे. 72.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	264.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3259.00	रु0	235.00
योग(अ) रु0		3523.00	रु0	267.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	426.00	रु0	32.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1440.00	रु0	72.00
योग(ब) रु0		1866.00	रु0	104.00
महायोग(अ+ब) रु0		5389.00	रु0	371.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 144.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 90** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धीरेन्द्र कुमार

पुत्र/पुत्री श्री गिरिजा शंकर

निवासी-द्वारा शैलगाला सिंह

मकान संख्या-97के, इंदिरानगर,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र सं0 **561** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 90** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	102.00
योग(अ) रु0				
		2446.00	रु0	108.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	13.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0				
		1295.00	रु0	63.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3741.00	रु0	171.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 179** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती संतोषी जायसवाल

पुत्र/पुत्री

निवासी-रेलवे स्टेशन रोड

सहजनवाँ,

गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **535** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 179** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-130.00	रु0	-58.00
योग(अ) रु0	-130.00	रु0	-58.00	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0	3240.00	रु0	162.00	
महायोग(अ+ब) रु0	3110.00	रु0	104.00	

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 95** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी रिशू मौर्या

पुत्र/पुत्री श्री परमहंस मौर्या

निवासी-भूखण्ड संख्या-ए-2/12,

सेक्टर-15, गीडा, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **551** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 95** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	163.00
योग(अ) रु0		2446.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1295.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		3741.00	रु0	258.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 105** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रीता देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-राउतपार, पोस्ट-शिवपुर हाटा,

थाना-बोंसगोंव,

जिला-गोरखपुर-273412

आवंटन पत्र सं0 **542** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 105** से0 **23** क्षे. **42.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	7.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1014.00	रु0	-62.00
योग(अ) रु0 1021.00 रु0 -62.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	123.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	840.00	रु0	42.00
योग(ब) रु0 963.00 रु0 42.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1984.00 रु0 -20.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 84.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 77** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

कुमारी सुमन

पुत्र/पुत्री श्री परमहंस

निवासी-ग्राम-माहाडीह

पोस्ट-धनौड़ा बुजुर्ग,

(कौडीराम), जिला-गोरखपुर, य0पी0

आवंटन पत्र सं0 **576** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 77** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	39.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3524.00	रु0	-154.00
योग(अ) रु0 3563.00 रु0 -154.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	431.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0 2531.00 रु0 105.00				
महायोग(अ+ब) रु0 6094.00 रु0 -49.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 33** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती कंचन लता सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बेदौली

पोस्ट-गोरखास,

जिला-गोरखपुर-273407

आवंटन पत्र सं0 **558** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 33** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-44.00	रु0	-58.00
योग(अ) रु0 -44.00 रु0 -58.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0 3240.00 रु0 162.00				
महायोग(अ+ब) रु0 3196.00 रु0 104.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 194** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शशिप्रभा

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड नं.-10,

पिपरा, नगर पंचायत-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **554** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 194** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2203.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0 2203.00 रु0 -17.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	267.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0 2967.00 रु0 135.00				
महायोग(अ+ब) रु0 5170.00 रु0 118.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 137 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री जीतेन्द्र प्रसाद

पुत्र/पुत्री श्री हरिदरश प्रसाद

निवासी-ग्राम-झुगिया, पोस्ट-बड़गहन,

झुगिया, गोरखपुर,

खजनी, उ0 प्र0

आवंटन पत्र सं0 614 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 137 से0 23 क्षे. 105.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	385.00	रु0	12.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752.00	रु0	213.00
योग(अ) रु0		5137.00	रु0	225.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	621.00	रु0	27.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0		2721.00	रु0	132.00
महायोग(अ+ब) रु0		7858.00	रु0	357.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 210.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 130 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी

पुत्र/पुत्री स्व0 शैलेश कुमार त्रिपाठी

निवासी-पुर्दिलपुर (कैवटहिया टोला)

पोस्ट आफिस-सदर (गणेश होटल के सामने)

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 620 दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 130 से0 23 क्षे. 85.33 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-8.00	रु0	-14.00
योग(अ) रु0		-8.00	रु0	-14.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1707.00	रु0	85.00
योग(ब) रु0		1707.00	रु0	85.00
महायोग(अ+ब) रु0		1699.00	रु0	71.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 171.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 88** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री संजय कुमार यादव

पुत्र/पुत्री श्री रामबृक्ष यादव

निवासी-ग्राम-जुड़ियान

पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **563** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 88** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	163.00
योग(अ) रु0		2446.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1295.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		3741.00	रु0	258.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 80** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनुराधा सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-मोहल्ला-हरिद्वारपुरम

बशारतपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **532** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 80** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-311.00	रु0	-930.00
योग(अ) रु0 -311.00 रु0 -930.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	36.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 36.00				
महायोग(अ+ब) रु0 409.00 रु0 -894.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 97** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री चन्द्रभूषण सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 राम अधारे सिंह

निवासी-156, नई बस्ती,

बर्गा-2, कानपुर नगर,

उ0 प्र0 208027

आवंटन पत्र सं0 **595** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 97** से0 **23** क्षे. **89.12** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	328.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4033.00	रु0	290.00
योग(अ) रु0		4361.00	रु0	330.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	528.00	रु0	40.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1782.00	रु0	89.00
योग(ब) रु0		2310.00	रु0	129.00
महायोग(अ+ब) रु0		6671.00	रु0	459.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **178.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 28** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री राम ललित मौर्य पुत्र श्री राम भजन मौर्य

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-मकरहट,

पोस्ट-पाली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **241** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 28** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	5.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3374.00	रु0	-17.00
योग(अ) रु0 3379.00 रु0 -17.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	409.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0 3649.00 रु0 32.00				
महायोग(अ+ब) रु0 7028.00 रु0 15.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A 63** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री अंगद निषाद व श्री राम नयन पुत्रगण श्री फौजदार निषाद

पुत्र/पुत्री

निवासी-6 नियर किंग बुक फ़ैक्ट्री, थानीसन्द्र, मेन रोड,

बैंगलोर नार्थ, डा0 शिवराम, कारन्थ नगर,

बैंगलोर, कर्नाटक-560077

आवंटन पत्र सं0 **63** दिनांक **25/07/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A 63** से0 **23** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5731.00	रु0	47.00
योग(अ) रु0		5731.00	रु0	47.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	693.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		6453.00	रु0	64.00
महायोग(अ+ब) रु0		12184.00	रु0	111.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **576.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 72** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनुराधा सिंह एवं श्री प्रभाकर शाही

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-बकुची, पोस्ट-भेउसा,

थाना-हरपुर बुदहट, तहसील-खजनी,

जिला-गोरखपुर-273211

आवंटन पत्र सं0 **454** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 72** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	51.00	रु0	-291.00
योग(अ) रु0		51.00	रु0	-291.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1923.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		1974.00	रु0	-272.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 56** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जनार्दन,
पुत्र/पुत्री
निवासी-ग्राम-अड़िलापार, पोस्ट-अमटौरा,
थाना-सहजनवॉ,
जिला-गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र सं0 **478** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 56** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	1477.00	रु0	5.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5266.00	रु0	32.00
योग(अ) रु0		6743.00	रु0	37.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	816.00	रु0	4.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1896.00	रु0	15.00
महायोग(अ+ब) रु0		8639.00	रु0	52.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 40** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती बीना सिंह पत्नी श्री सत्य प्रकाश सिंह

पुत्र/पुत्री स्व0 कालीचरण सिंह

निवासी-ग्राम-पिपरा,

वार्ड संख्या-10, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **464** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 40** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	951.00	रु0	7.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4460.00	रु0	41.00
योग(अ) रु0		5411.00	रु0	48.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	655.00	रु0	6.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0		1735.00	रु0	17.00
महायोग(अ+ब) रु0		7146.00	रु0	65.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 104** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती बसंती यादव

पुत्र/पुत्री

निवासी-भूखण्ड संख्या बी-2/19

सेक्टर-22, गीडा,

सहजनवाँ, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **543** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 104** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	183.00	रु0	22.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2263.00	रु0	163.00
योग(अ) रु0		2446.00	रु0	185.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	295.00	रु0	23.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1295.00	रु0	73.00
महायोग(अ+ब) रु0		3741.00	रु0	258.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 84** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती शांति शुक्ला

पुत्र/पुत्री

निवासी-वार्ड नं.-7,

केशोपुर, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **630** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 84** से0 **23** क्षे. **105.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-273.00	रु0	-11.00
योग(अ) रु0 -273.00 रु0 -11.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2100.00	रु0	105.00
योग(ब) रु0 2100.00 रु0 105.00				
महायोग(अ+ब) रु0 1827.00 रु0 94.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 102** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री गिरजेश कुमार यादव

पुत्र/पुत्री श्री त्रियुगी नारायण यादव

निवासी-वार्ड नं.-6

बोकटा, सहजनवाँ,

गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र सं0 **544** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 102** से0 **23** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-154.00	रु0	-23.00
योग(अ) रु0		-154.00	रु0	-23.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1000.00	रु0	50.00
योग(ब) रु0		1000.00	रु0	50.00
महायोग(अ+ब) रु0		846.00	रु0	27.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 196** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री शीतल पाण्डेय पुत्र श्री कैलाश नाथ पाण्डेय

पुत्र/पुत्री श्री कैलाश नाथ पाण्डेय

175 सी, हॉसपुर, पोस्ट आफिस,

वार्ड संख्या-45,

गोरखपुर, उ0 प्र0 273005

आवंटन पत्र सं0 **646** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 196** से0 **23** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-767.00	रु0	-6.00
योग(अ) रु0				
		-767.00	रु0	-6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700.00	रु0	135.00
योग(ब) रु0				
		2700.00	रु0	135.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		1933.00	रु0	129.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 114** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

बृजेश कुमार एवं श्रीमती नीतू गौतम

पुत्र/पुत्री श्री तीर्थराज

निवासी-मकान संख्या-81, बशारतपुर पश्चिम,

रामप्रीत चौक, राम जानकी नगर,

गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र सं0 **643** दिनांक **27/09/2019** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 114** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-321.00	रु0	-43.00
योग(अ) रु0				
		-321.00	रु0	-43.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	162.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	162.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		2919.00	रु0	119.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 A 28 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती कान्ता गोयल पत्नी श्री विजय गोयल

पुत्र/पुत्री स्व0 छगन लाल तुलस्यान

निवासी-द्वारा श्री विजय गोयल

पोस्ट-पीपीगंज,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 28 दिनांक 25/07/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A 28 से0 23 क्षे. 288.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	2147.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17194.00	रु0	-67.00
योग(अ) रु0		19341.00	रु0	-67.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	2340.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5760.00	रु0	58.00
योग(ब) रु0		8100.00	रु0	58.00
महायोग(अ+ब) रु0		27441.00	रु0	-9.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क -समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 576.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट -समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 C 23 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्रीमती संख्या सिंह पुत्री श्री राम गरीब सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम गरीब सिंह

निवासी-ग्राम व पोस्ट-लखनापार,

सहजनवॉ,

जिला-गोरखपुर, उ0 प्र0-273209

आवंटन पत्र सं0 287 दिनांक 27/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या C 23 से0 23 क्षे. 96.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1907.00	रु0	-206.00
योग(अ) रु0		1907.00	रु0	-206.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	231.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		2151.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		4058.00	रु0	-187.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 192.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 58** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती रिकी देवी

पुत्र/पुत्री

निवासी-ए-106/11,

आवास विकास कालोनी, शाहपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **408** दिनांक **30/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 58** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	39.00	रु0	-497.00
योग(अ) रु0 39.00 रु0 -497.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	3.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 723.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 762.00 रु0 -490.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **E 70** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री आलोक कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह

निवासी-मुहल्ला-135, जंगल बहादुर अली,

मोहरीपुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **514** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **E 70** से0 **23** क्षे. **36.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-78.00	रु0	-69.00
योग(अ) रु0 -78.00 रु0 -69.00				

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	720.00	रु0	7.00
योग(ब) रु0 720.00 रु0 7.00				
महायोग(अ+ब) रु0 642.00 रु0 -62.00				

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 72.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटनी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटनी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटनी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **D 84** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री रामचन्दर सिंह

पुत्र/पुत्री

निवासी-ग्राम-केशवाखोर, पोस्ट-रंदौली उर्फ मठिया,

सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर,

उ0 प्र0 273209

आवंटन पत्र सं0 **504** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D 84** से0 **23** क्षे. **54.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-108.00	रु0	-53.00
योग(अ) रु0				
		-108.00	रु0	-53.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1080.00	रु0	11.00
योग(ब) रु0				
		1080.00	रु0	11.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		972.00	रु0	-42.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 178** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री सोनेलाल गुप्ता

पुत्र/पुत्री श्री रविन्द्र कुमार

निवासी-वार्ड नं. 11

सहजनवॉ, सहीजना,

जिला-गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र सं0 **433** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 178** से0 **23** क्षे. **185.62** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	121.00	रु0	-5762.00
योग(अ) रु0		121.00	रु0	-5762.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	12.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3712.00	रु0	37.00
योग(ब) रु0		3724.00	रु0	37.00
महायोग(अ+ब) रु0		3845.00	रु0	-5725.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **371.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C 51** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री धनन्जय यादव पुत्र श्री फूल देव यादव

पुत्र/पुत्री श्री फूलदेव यादव

निवासी-क्वार्टर नं.-10/12, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप,

पोस्ट-जवाहर नगर, जिला-बडोदरा (गुजरात),

पिन कोड-381320

आवंटन पत्र सं0 **313** दिनांक **27/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C 51** से0 **23** क्षे. **96.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1553.00	रु0	-99.00
योग(अ) रु0		-1553.00	रु0	-99.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1920.00	रु0	19.00
योग(ब) रु0		1920.00	रु0	19.00
महायोग(अ+ब) रु0		367.00	रु0	-80.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 B 61 से0 23 / 2022-23 /दिनांक

श्री रविन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 नागेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा

पुत्र/पुत्री स्व0 नागेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा

निवासी-ई0डब्ल्यू0एस0-209, राप्ती नगर फेज-3,

आरोग्य मन्दिर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 210 दिनांक 19/08/2011 के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या B 61 से0 23 क्षे. 162.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01/01/2022 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव लीज रेन्ट

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	14164.00	रु0	300.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24455.00	रु0	364.00
योग(अ) रु0		38619.00	रु0	664.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01/01/2023 को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	4671.00	रु0	80.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0		7911.00	रु0	112.00
महायोग(अ+ब) रु0		46530.00	रु0	776.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01/01/2023 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 324.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटि द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटि के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटि चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

दूरभाष संख्या (0551)2580010 2580020, फ़ैक्स नम्बर- 0551-2580090

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट नोटिस

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **B 89** से0 **23** / **2022-23** /दिनांक

श्री तेज बहादुर सिंह

पुत्र/पुत्री श्री राम बहाल सिंह

निवासी-ग्राम-रिठुआखोर,

पोस्ट एवं तहसील-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 **263** दिनांक **19/08/2011** के माध्यम से गीडा की हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B 89** से0 **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01/01/2022** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

रख-रखाव **लीज रेन्ट**

1. ब्याज दिनांक 31/12/2021 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7.00	रु0	-118.00
योग(अ) रु0				
		7.00	रु0	-118.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01/01/2023** को निम्न धनराशि और देय हो रही है।

1. ब्याज दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक	रु0	0.00	रु0	0.00
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3240.00	रु0	32.00
योग(ब) रु0				
		3240.00	रु0	32.00
महायोग(अ+ब) रु0				
		3247.00	रु0	-86.00

नोट:-रख-रखाव शुल्क—समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01/01/2023** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट **रु0 324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट—समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर **1 जनवरी** से **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

गीडा गोरखपुर।